सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

क्षेका / नासिक / आरडी - बीआईडी /2025-26/102	आरओ: नासिक:आरडी-बीएसडी:2025- 26:102
सिनांक 24.02.2026	दिनांकित: 24.02.2026

भाग – ए: तकनीकी बोली

टेंडर के लिए प्रस्तावित निर्माण काम करता है मिश्रण ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की दीवार (आरएसईटीआई) भवन, नागांव, धुले, महाराष्ट्र।

टेंडर प्रस्तुतकर्ता :

नाम : _____

पता : _____

_____

_____

तारीख : _____

वास्तुकार

M/s. Sandeep Govalkar Design Associates
Architects & Interior Designers.

A3/301-302, SHIVCHHAYA, GILBERT HILL ROAD,
ANDHERI (WEST), MUMBAI - 400 058 INDIA.
TLF: 91- 8828121133
MOBILE: 98211 73563/ 9969699169

SEAL & SIGN OF TENDERER

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

सूचना आमंत्रण निविदायें

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नासिक रीजनल ऑफिस, कंपाउंड के प्रस्तावित
कंस्ट्रक्शन काम के लिए टेंडर मंगा रहा है दीवार का आरएसईटीआई
इमारत पर नागांव, धुले, महाराष्ट्र।

का विवरण टेंडर हैं निम्नानुसार :

एस. एन.	विवरण	विवरण
1	नाम का काम	प्रस्तावित निर्माण वर्क्स कंपाउंड दीवार का आरएसईटीआई इमारत पर नागांव, धुले महाराष्ट्र
2	प्रकृति का काम	नागरिक और संबंधित सम्बद्ध काम करता है
3	समय की अनुमति के लिए समापन	3 महीने (मानसून सहित)
4	बयाना धन जमा	**₹ 40,000.00 (केवल चालीस हजार रुपये)** डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर के माध्यम से (90 दिनों की अवधि के लिए वैध निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से) किसी भी अनुसूचित राष्ट्रीयकृत किनारा अनिर्णित में कृपादृष्टि का केंद्रीय किनारा का भारत और देय नासिक में .
5	सुरक्षा जमा (एसडी)	सफल बोली लगाने वाले के लिए, कुल सिक्योरिटी डिपॉज़िट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 5% होगा। इसमें से, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 2% शुरुआती सिक्योरिटी डिपॉज़िट (ISD) के रूप में होगा; जिसमें EMD शामिल है। बाकी 3% काम के रनिंग अकाउंट बिल से संबंधित रनिंग अकाउंट बिल के 10% की दर से काटा जाएगा, यानी हर रनिंग बिल अकाउंट से 10% की कटौती होगी, जब तक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 3% नहीं मिल जाता और कुल 5% होगा। अगर रनिंग बिल नहीं हैं भुगतान किया गया/जमा किया गया, साबुत 3% का शेष आईएसडी इच्छा होना कटौती से अंतिम बिल चुकाया गया।
6	तारीख का बैंक द्वारा निविदा दस्तावेज (तकनीकी बोली) जारी करना वेबसाइट	**25.02.2026 से 17.03.2026** तक से बैंक वेबसाइट (https://centralbank.bank.in).
	(क) तकनीकी बोली प्रारंभिक	**18.03.2026 को या बैंक द्वारा तय किसी भी तारीख को अगर बदलाव होता है में तारीख में देय अवधि पर क्षेत्रीय कार्यालय नासिक**

SEAL & SIGN OF TENDERER

	(बी) मूल्य बोली (केवल वे बोली लगाने वाले जो अर्हता में तकनीकी बोली लगाना।)	बाद जांच का तकनीकी बोली लगाओ होना सूचित को योग्य विक्रेताओं को अलग से

7	टेक्निकल बिड और EMD जमा करने की आखिरी तारीख और समय	**17.03.2026 द्वारा 03:30 बजे** नोट: यह पूरी तरह से बिडर की ज़िम्मेदारी है कि वे अपने टेंडर डॉक्यूमेंट्स EMD के साथ तय तारीख और समय पर बताए गए पते पर जमा करें, नहीं तो वे क्वालिफ़ाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे।
8	EMD जमा करने का पता और टेंडर डॉक्यूमेंट की कीमत।	**क्षेत्रीय सिर,** सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नासिक क्षेत्रीय कार्यालय, प्लॉट नं. पी-63, एमआईडीसी सतपुर , नासिक-422007.
9	दोष दायित्व / गारंटी अवधि	1 वर्ष से तारीख का आभासी समापन प्रमाणपत्र जारी किए गए द्वारा किनारा/ वास्तुकार।
10	नष्ट हर्जाना	0.50% प्रति सप्ताह विषय को अधिकतम 5% का अनुबंध मात्रा के लिए देरी में समापन का काम।
11	वैधता का प्रस्ताव	90 दिन से तारीख का उद्घाटन का मूल्य- बोली
12	अंतरिम प्रमाणपत्र का मूल्य	**रु . 10 लाख** . नहीं अग्रिम पर सामग्री / पौधा / मशीनरी या मोबिलाइज़ेशन एडवांस का भुगतान किसी भी परिस्थिति में किया जाएगा

18. कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर टेंडर डॉक्यूमेंट के हर पेज पर ठीक से साइन और स्टैम्प लगाएगा। कुंडली सभी पेजों की संख्या और क्रम पक्का करने के लिए बाउंड किया गया है । बिना सील और ऑथराइज़्ड टेंडरर के साइन वाले या खुले कागज़ों वाले टेंडर डॉक्यूमेंट रिजेक्ट किए जा सकते हैं।

19. टेंडर में बताई गई शर्तों के अलावा किसी और शर्त पर विचार नहीं किया जाएगा, और अगर दी गई हैं तो उन्हें प्राइस-बिड खुलने से पहले वापस लेना होगा।

20. CBI के पास किसी भी या सभी टेंडर को, बिना कोई कारण बताए, पूरा या कुछ हिस्सा स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है और इस बारे में कोई दावा/पत्राचार नहीं माना जाएगा।

21. अगर टेंडर खोलने की तारीख को छुट्टी होती है, तो टेंडर अगले वर्किंग डे पर उसी समय खोले जाएंगे।

22. बिना ईएमडी के प्राप्त निविदाएं और लागत निविदा का दस्तावेज़ संक्षेप में होंगे रिजेक्ट कर दिया जाएगा और ऐसे टेंडर को ऑनलाइन प्राइस बिडिंग प्रोसेस में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।

23. बैंक की अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर्स की लिस्ट से हटाया जा सकता है ।

आपका ईमानदारी से,
For Sandeep Govalkar Design Associates,

(Sandeep B. GovalKar)
Founder & Principal Architect
Reg.No. CA/88/11359

SEAL & SIGN OF TENDERER

निर्देश को निविदाकारों

1.0 दायरा काम का

टेंडर के लिए प्रस्तावित निर्माण काम करता है का मिश्रण दीवार का आरएसईटीआई इमारत नागांव, धुले, महाराष्ट्र में

1.1 साइट और इसका जगह

प्रस्तावित आरएसईटीआई इमारत के लिए केंद्रीय किनारा का भारत पर नागांव, धुले, महाराष्ट्र।

2.0 टेंडर दस्तावेज़

2.1 काम टेंडर में बताई गई शर्तों के हिसाब से और सबसे अच्छे तरीके से करना होगा, जिसमें नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं।

- निर्देश को निविदाकारों
- सामान्य स्थितियाँ का अनुबंध
- विशेष स्थितियाँ का अनुबंध
- कीमत बोली
- चित्र और विशेष विवरण

2.2 ऊपर दिए गए डॉक्यूमेंट्स को एक-दूसरे का कॉम्प्लिमेंट्री और एक-दूसरे को समझाने वाला माना जाएगा, लेकिन अगर कोई कन्फ्यूजन या अंतर हो, तो उन्हें नीचे दिए गए ऑर्डर में पहले रखा जाएगा:

a. कीमत बोली
b. तकनीकी विशेष विवरण
c. विशेष स्थितियाँ का अनुबंध
d. सामान्य स्थितियाँ का अनुबंध
e. निर्देश को निविदाकारों

2.3 टेंडर डॉक्यूमेंट्स का पूरा सेट, रिलेटिव ड्रॉइंग्स के साथ, NIT में दिए गए शेड्यूल के अनुसार बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

2.4 टेंडर दस्तावेज़ हैं हस्तांतरणीय नहीं .

3.0 **साइट मिलने जाना**

3.1 टेंडर भरने के लिए ज़रूरी सारी जानकारी और डेटा टेंडर देने वाले को अपनी ज़िम्मेदारी और अपने खर्चे पर खुद ही लेना होगा। काम के संतोषजनक प्रदर्शन के लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार करें और कॉन्ट्रैक्ट करें। टेंडर देने वाला है अनुरोध किया संतुष्ट वह स्वयं के बारे में उपलब्धता पानी डा, शक्ति, परिवहन और संचार सुविधाएं, चरित्र मटीरियल की क्वालिटी और क्वांटिटी, लेबर , लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, मौसम की स्थिति, लोकल अथॉरिटी की ज़रूरतें, ट्रैफिक के नियम वगैरह।

निविदाकार करेगा पूरी तरह से जिम्मेदार के लिए विचार करते हुए वित्तीय प्रभाव किसी भी या टेंडर जमा करते समय सभी बातों का ध्यान रखें।

4.0 **बयाना धन**

4.1 निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे **₹ 40,000.00 (रुपये) की बयाना राशि जमा करें** किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर (टेंडर जमा करने की आखिरी तारीख से 90 दिनों के लिए वैलिड) के ज़रिए (जो सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के नाम पर हो और नासिक में पेयेबल हो) (**केवल चालीस हज़ार रुपये) का पेमेंट करना होगा।**

4.2 ऊपर बताए गए फॉर्म के अलावा किसी और फॉर्म में EMD स्वीकार नहीं किया जाएगा। टेंडर नहीं ऊपर दिए गए क्लॉज़ 4.1 के अनुसार EMD के साथ जमा की गई रकम रिजेक्ट कर दी जाएगी।

4.3 नहीं ब्याज होगा होना चुकाया गया पर ईएमडी .

4.4 ईएमडी का असफल निविदाकार इच्छा होना वापस कर दी अंदर 30 दिन का पुरस्कार का अनुबंध।

4.5 ईएमडी का सफल निविदाकार इच्छा होना बनाए रखा जैसा ए भाग का सुरक्षा जमा करना।

5.0 **प्रारंभिक/ सुरक्षा जमा**

सफल निविदाकार के बराबर राशि जमा करनी होगी स्वीकृत का 2% टेंडर की कीमत, EMD घटाकर सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के नाम DD के ज़रिए । सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया से लेटर ऑफ़ इंटेंट (LOI)/ वर्क ऑर्डर मिलने की तारीख से 10 दिनों के अंदर नासिक में देना होगा।

नहीं दिलचस्पी होगा चुकाया गया को मात्रा बनाए रखा द्वारा केंद्रीय किनारा का भारत सिक्योरिटी डिपॉज़िट के तौर पर।

6.0 **हस्ताक्षर का अनुबंध दस्तावेज़**

सफल टेंडरर को सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया से टेंडर स्वीकार होने की सूचना मिलने के 15 दिनों के अंदर सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के संबंधित रीजनल ऑफिस के साथ एक एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों पर साइन करके कॉन्ट्रैक्ट को लागू करना होगा। हालांकि, बैंक द्वारा टेंडर की लिखित स्वीकृति बैंक और सफल टेंडरर के बीच एक बाइंडिंग एग्रीमेंट होगी, चाहे ऐसा फॉर्मल एग्रीमेंट बाद में किया जाए या नहीं।

7.0 **समापन अवधि**

कॉन्ट्रैक्ट में समय बहुत ज़रूरी है। काम कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के हिसाब से काम मिलने की तारीख से **90 दिन (3 महीने) के अंदर पूरा हो जाना चाहिए।**

8.0 **वैधता निविदा का**

टेंडर, प्राइस बिड खुलने की तारीख से 90 दिनों तक वैलिड रहेंगे और एक्सेप्ट किए जा सकेंगे। अगर टेंडर देने वाला वैल्यू के दौरान अपना ऑफर वापस ले लेता है। अवधि या बनाता है संशोधनों में उसका/उसकी मूल प्रस्ताव जो हैं नहीं स्वीकार्य को किनारा

बिना, बैंक EMD जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

9.0 **नष्ट हर्जाना**

देरी की वजह से होने वाला लिक्विडेटेड डैमेज हर हफ़्ते कुल तय कीमत का 0.50% होगा, जो कुल तय कॉन्ट्रैक्ट कीमत या असल इनवॉइस कीमत का ज़्यादा से ज़्यादा 5% होगा।

10.0 **दर और कीमतें:**

10.1 **में मामला का वस्तु दर टेंडर**

10.1.1 टेंडर देने वालों को अलग-अलग आइटम के लिए अपने रेट शब्दों और अंकों दोनों में बताने होंगे। अगर शब्दों और अंकों में बताए गए रेट में कोई अंतर होता है, तो यूनिट रेट शब्दों में दी गई मात्रा मान्य होगी। हर आइटम की मात्रा कैलकुलेट की जाएगी और ज़रूरी टोटल दिया जाएगा। यूनिट रेट और यूनिट रेट और मात्रा को गुणा करके कैलकुलेट की गई कुल रकम में अंतर होने पर, बताया गया यूनिट रेट लागू होगा और रकम को ठीक किया जाएगा।

अगर कोई नहीं दर है उद्धरित एक या के लिए अधिक निविदा मदें, ऐसी निविदाएं होंगी **गैर** के रूप में माना जाता है **रिस्पॉन्सिव टेंडर** और उन्हें तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा।

10.1.2 टेंडर देने वालों को टेंडर में बताई गई यूनिट्स नहीं बदलनी चाहिए। अगर कोई यूनिट बदली जाती है, तो टेंडर्स को ओरिजिनल यूनिट के हिसाब से जांचा जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर को उसी हिसाब से पेमेंट किया जाएगा।

1.1.3 टेंडर देने वाले को आइटम के डिस्क्रिप्शन में कोई बदलाव, बदलाव या डिलीट नहीं करना चाहिए। अगर कोई गड़बड़ी दिखे तो उसे तुरंत इसकी जानकारी देनी चाहिए। **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया** .

11.1.4 BOQ के हर पेज पर ऑथराइज़्ड व्यक्ति के साइन होंगे और कटिंग या ओवरराइटिंग को उसके द्वारा सही तरीके से अटेस्ट किया जाएगा।

11.1.5 प्रत्येक पृष्ठ करेगा होना कुल और ग्रैंड कुल करेगा होना दिया गया।

11.1.6 कोट किया गया रेट पक्का होगा और उसमें सभी खर्च, अलाउंस, टैक्स, लेवी शामिल होंगे। दौरान अनुबंध की अवधि जिसमें अधिकृत विस्तार, यदि कोई हो, शामिल है, **लेकिन इसके अलावा GST** , जिसका ज़िक्र बिल/इनवॉइस में अलग से किया जाएगा, जैसा लागू हो।

11.1.7 सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के पास किसी भी टेंडर को पूरा या कुछ हिस्सा स्वीकार करने का अधिकार है। वह काम को अलग-अलग हिस्सों में दे सकता है या प्रोजेक्ट के किसी भी स्टेज पर अपनी मर्ज़ी से बिना कोई कारण बताए काम का कुछ हिस्सा छोड़ सकता है। इस बारे में कोई दावा/पत्राचार नहीं माना जाएगा।

11.1.8 अगर सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया एक या ज़्यादा आइटम हटाने का फ़ैसला करता है, तो प्रोजेक्ट के किसी भी स्टेज पर काम के दायरे से हटाए गए कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर को ऐसे हटाए गए काम के दायरे के लिए कोई क्लेम/मुआवजा लेने का हक नहीं होगा। साथ ही, सेंट्रल किनारा का भारत मई विचार करना जारी काम आदेश के लिए विभिन्न

ब्रांच/ऑफिस को चरणों में लेकिन एक उचित समय अंतराल के भीतर पूरा करना होगा और कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर इसे तय समय अवधि के भीतर पूरा करने के लिए बाध्य होगा। इस टेंडर में उनके द्वारा कोट किए गए रेट के अनुसार, कीमत बढ़ाने का कोई दावा नहीं किया जाएगा।

पत्र का उपक्रम (अनुलग्नक मैं)

(द बोलीदाताओं हैं आवश्यक को छपाई यह पर उनका कंपनी का पत्र सिर और हस्ताक्षर, मोहर पहले ईमेल करना)

को,
क्षेत्रीय प्रबंधक,
केंद्रीय किनारा का भारत, नासिक क्षेत्रीय कार्यालय, प्लॉट नं.
पी-63, एमआईडीसी, सतपुर ,
नासिक- 422007 प्रिय

महोदय,

होना जांच की चित्र, विनिर्देश, डिजाइन और इसका कार्यक्रम संबंधित मात्राएँ को
ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को पूरा करने के बाद, और उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों के स्थल का दौरा करने और जांच करने के बाद और निविदा को प्रभावित करने वाली उससे संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद, मैं/हम एतद्द्वारा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को संलग्न मात्राओं की अनुसूची में उल्लिखित दरों पर और सभी मामलों में निविदा की शर्तों, समझौते के लेखों, विशेष शर्तों, मात्राओं की अनुसूची और अनुबंध की शर्तों में संदर्भित विनिर्देशों, डिजाइन, रेखाचित्रों और लिखित निर्देशों के अनुसार और ऐसी सामग्रियों के साथ निष्पादित करने की पेशकश करते हैं, जैसा कि प्रदान किया गया है, और अन्य सभी मामलों में ऐसी शर्तों के अनुसार जहां तक वे लागू हो सकता है।

ज्ञापन

(a) **प्रस्तावित** कार्य का विवरण **निर्माण काम करता है का मिश्रण दीवार का आरएसईटीआई बिल्डिंग नागांव, धुले , महाराष्ट्र में**

(b) बयाना धन **₹ 40,000/- (रुपये चालीस हज़ार केवल)** द्वारा मतलब का
डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर (आखिरी तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए वैध) टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि (टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि) किसी भी शेड्यूल्ड नेशनलाइज़्ड बैंक से सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के नाम पर और नासिक में पेमेंट के लिए होना चाहिए। (c) काम शुरू करने के लिए लिखित ऑर्डर की तारीख या साइट सौंपने की तारीख (जो भी बाद में हो) के सात दिन बाद से काम पूरा करने के लिए 90 दिन (1 साल) का समय दिया गया है।

1) अगर यह टेंडर स्वीकार कर लिया जाता है, तो मैं/हम इसके साथ दिए गए कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों और नियमों को मानने और पूरा करने के लिए सहमत हूँ, जहाँ तक लागू हो सकता है, या इनका उल्लंघन करने पर, कॉन्ट्रैक्ट में बताई गई रकम ज़ब्त करके सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया को दे देंगे।

2) मैंने/हमने कुल निविदा राशि में से **₹ 40,000/- (चालीस हज़ार रुपये मात्र)** बयाना राशि के रूप में सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया में जमा कर दिया है कौन सी राशि नहीं है को भालू कोई दिलचस्पी। चाहिए मैं / हम असफल को निष्पादित करना अनुबंध कब बुलाया ऊपर को

/ हैं कि यह राशि मेरे/हमारे द्वारा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को जब्त कर ली जाएगी।

3) मैं/हम समझते हैं कि इस टेंडर की शर्तों के अनुसार, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया हमारे टेंडर को कुछ या पूरा स्वीकार करने पर विचार कर सकता है या अलग-अलग काम को अलग-अलग चरणों में सौंप सकता है। इसलिए, हम यह वादा करते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान किसी भी स्टेज पर बैंक इस टेंडर के काम के दायरे से किसी भी काम को हटाने का फैसला करता है, तो हम कोई दावा/मुआवजा नहीं देंगे। इसके अलावा, हम यह भी वादा करते हैं कि हमें सौंपे गए काम को हमारी मंज़ूर दरों पर और तय समय सीमा के अंदर चरणों में पूरा करेंगे, बिना किसी अतिरिक्त कीमत बढ़ोतरी के दावे के, जैसा कि इस टेंडर के क्लॉज़ 11.1.6 "टेंडर देने वालों के लिए निर्देश" में भी बताया गया है।

4) मैं/हम, इसके द्वारा यह भी वादा करते हैं कि, हम कॉन्ट्रैक्ट/एग्ज़िक्यूशन/कम्प्लीशन पीरियड के दौरान, जिसमें ऑथराइज़्ड एक्सटेंडेड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी शामिल है, अगर कोई हो, किसी भी मटीरियल की कीमतों में किसी भी बढ़ोतरी के लिए कोई क्लेम नहीं करेंगे।

5) हमारा बैंकर्स क्या मैं)
ii)
नाम हमारे भागीदारों के अटल हैं:
मैं)
ii)
नाम की साथी की फर्म अधिकृत संकेत या (नाम व्यक्ति का कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए पावर ऑफ़ अटॉर्नी होना।
(प्रमाणित सत्य कॉपी का शक्ति का प्रतिनिधि चाहिए संलग्न किया जाना चाहिए)

भवदीय, हस्ताक्षर का ठेकेदार।

हस्ताक्षर और पतों साक्षियों का
मैं)

ii)

सामान्य स्थितियाँ का अनुबंध

1.0 **परिभाषाएँ** : -

"अनुबंध का अर्थ है टेंडर बनाने वाले दस्तावेज और उसकी स्वीकृति तथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (ग्राहक) तथा ठेकेदार/विक्रेता के बीच निष्पादित औपचारिक समझौता, साथ ही उसमें संदर्भित दस्तावेज जिनमें ये शर्तें, विनिर्देश, डिजाइन, चित्र और बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश शामिल हैं और इन सभी दस्तावेजों को एक साथ लेने पर एक अनुबंध माना जाएगा और वे एक दूसरे के पूरक होंगे।

1.1 कॉन्ट्रैक्ट में नीचे दिए गए शब्दों का, जब तक कि संदर्भ में कुछ और ज़रूरी न हो, वही मतलब होगा जो उन्हें दिया गया है।

1.1.1 "सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया" का तात्पर्य सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (ग्राहक) से है, जिसका नासिक क्षेत्रीय कार्यालय प्लॉट सं.पी-63, एमआईडीसी सतपुर, नासिक- 422007 में है।

1.1.2 "आर्किटेक्ट/ कंसल्टेंट" का तात्पर्य मेसर्स संदीप गोवलकर डिज़ाइन एसोसिएट्स, आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनर्स से है।

1.1.3 'ठेकेदार/विक्रेता' का अर्थ उस व्यक्ति, फर्म या कंपनी से है जो काम कर रही है और इसमें उस व्यक्ति या फर्म या कंपनी के कानूनी निजी प्रतिनिधि और व्यक्ति या कंपनी की फर्मों के अनुमत समनुदेशिती शामिल होंगे।

1.1.3 अभिव्यक्ति "कार्य" या "काम" का अर्थ "कार्य के दायरे" में स्थायी या अस्थायी कार्य विवरण होगा और / या अनुबंध के अनुसार निष्पादित किया जाना है जिसमें सामग्री, तंत्र, उपकरण, अस्थायी समर्थन, फिटिंग और चीजें शामिल हैं बशर्ते, कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर की ज़िम्मेदारियां और कॉन्ट्रैक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर द्वारा किया जाने वाला काम।

1.1.4 अभियंता" करेगा अर्थ प्रतिनिधि नागरिक / विद्युतीय अभियंता का
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

1.1.5 „चित्र" करेगा अर्थ चित्र तैयार और जारी किए गए सेंट्रल द्वारा किनारा का INDIA या उनके आर्किटेक्ट्स और स्पेसिफिकेशन्स में बताए गए और इंजीनियर द्वारा समय-समय पर जारी किए गए ड्राइंग्स में किसी भी बदलाव के लिए।

1.1.6 „अनुबंध मूल्य का तात्पर्य निविदा स्वीकृति पत्र में निर्धारित संपूर्ण कार्य के मूल्य से होगा, जिसमें इसके बाद निहित प्रावधान के अंतर्गत किए गए जोड़ या कटौती शामिल होगी।

1.1.7 'विनिर्देशों' का तात्पर्य निविदा में उल्लिखित विनिर्देशों और उनमें ऐसे संशोधनों से है, जिन्हें समय-समय पर केंद्रीय बैंक द्वारा प्रस्तुत या अनुमोदित किया जा सकता है ।

1.1.8 "महीना" मतलब कैलेंडर महीना।

1.1.9 "सप्ताह" मतलब सात लगातार दिन.

1.1.10 "दिन" मतलब ए कैलेंडर दिवस शुरुआत और अंत पर 00 घंटे. और 24 घंटे .

1.1.11 केंद्रीय किनारा का भारत के इंजीनियर" का अर्थ होगा के प्रभारी इंजीनियर परियोजना, जैसा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नासिक क्षेत्रीय कार्यालय, महाराष्ट्र द्वारा नामित किया गया है ।

2.0 <u>खंड</u>

1.0 <u>कुल सुरक्षा जमा</u> : कुल सुरक्षा जमा से युक्त

a) बयाना धन जमा
b) प्रारंभिक सुरक्षा जमा
c) अवधारण धन

a) **बयाना धन जमा -**

- निविदाकार करेगा प्रस्तुत ईएमडी **₹** का **40,000/- (चालीस रुपये) (केवल हजार) किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के** पक्ष में नासिक में देय डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के रूप में ।
- जब तक ज़रूरी फ़ॉर्म में EMD जमा नहीं किया जाता, तब तक किसी भी टेंडर पर विचार नहीं किया जाएगा।
- इस EMD पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला होने के तुरंत बाद, असफल टेंडर देने वाले की EMD बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
- या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इसे एक्सेप्ट किए जाने के बाद , तो EMD पूरी तरह से ज़ब्त हो जाएगी। ठेकेदार/विक्रेता समझौता करने में विफल रहता है औपचारिक समझौते का उल्लंघन करता है या निर्धारित अनुसार प्रारंभिक सुरक्षा जमा राशि का भुगतान करने में विफल रहता है या निर्धारित समय के भीतर काम शुरू करने में विफल रहता है।

b) **प्रारंभिक सुरक्षा जमा (एलएसडी)**

ISD की रकम टेंडर की मंज़ूर कीमत का 2% होगी (इस मामले में, सभी सर्किलों को मिले कॉन्ट्रैक्ट की कुल कीमत को इस मकसद के लिए माना जाएगा) जिसमें किसी भी शेड्यूल्ड बैंक पर DD/PO के रूप में EMD शामिल है। यह टेंडर मंज़ूर होने की तारीख से 15 दिनों के अंदर जमा करना होगा।

c) **अवधारण धन: -**

एक मात्रा @ 5% की बिल राशि होगी द्वारा बनाए रखा जाना केंद्रीय किनारा का भारत से बिल और वही इच्छा द्वारा जारी किया जाएगा केंद्रीय किनारा का INDIA अगेंस्ट डिफेक्ट्स लायबिलिटी / 1 साल के लिए वैलिड वारंटी पीरियड खत्म हो गया है।

नहीं अग्रिम पर सामग्री / पौधा / मशीनरी या लामबंदी अग्रिम करेगा होना चुकाया गया किसी भी परिस्थिति में

2.0 **भाषा**

भाषा में कौन अनुबंध दस्तावेज़ करेगा होना अनिर्णित करेगा होना अंग्रेजी में ।

2.0 त्रुटियाँ, चूक और विसंगतियां

अगर ड्राइंग पर लिखे और स्केल किए गए डाइमेंशन में या ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन वगैरह में कोई गलती, कमी और/या कोई असहमति हो, तो नीचे दिया गया ऑर्डर लागू होगा।

i) ड्राइंग पर स्केल और लिखे हुए डाइमेंशन (या डिस्क्रिप्शन) में से, बाद वाले को अपनाया जाएगा।

ii) बीच में लिखा हुआ या दिखाया विवरण या DIMENSIONS में चित्र और स्पेसिफिकेशन में दिए गए संबंधित ऑप्शन में से पहले वाले को सही माना जाएगा।

iii) स्पेसिफिकेशन्स में आइटम के लिखे हुए डिस्क्रिप्शन और उसी आइटम के बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ में डिस्क्रिप्शन के बीच, पहले वाले को अपनाया जाएगा:

a) यदि दरों के बीच अंतर का आंकड़े और शब्द, शब्दों में रेट लागू होगा।
b) टेंडर की डुप्लीकेट/बाद की कॉपियों के बीच, ओरिजिनल टेंडर रखा जाएगा। सही माना गया।

4.0 **दायरा का काम:**

कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार और सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के ज़रिए बताए गए बैंक के निर्देशों और संतुष्टि के अनुसार हर तरह से बताए गए काम को करेगा, पूरा करेगा और मेंटेन करेगा। सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, बैंक के निर्देश पर समय-समय पर और ड्राइंग और/या लिखित निर्देश, डिटेल्ड निर्देश और एक्सप्लेनेशन जारी करता है, जिन्हें आगे एक साथ बदलाव या उससे जुड़े निर्देश कहा जाएगा। का संशोधन डिजाइन, गुणवत्ता या किसी भी कार्य की मात्रा या जोड़ या काम में कमी या बदलाव। ड्रॉइंग में या BOQ और/या ड्रॉइंग और/या स्पेसिफिकेशन्स के बीच कोई भी अंतर तुरंत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को बताया जाना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर द्वारा साइट पर लाए गए किसी भी सामान को हटाना और किसी भी दूसरे सामान को बदलना, इसलिए उसके द्वारा किए गए किसी भी काम को हटाना और/या दोबारा करना। उस पर लगे किसी भी व्यक्ति को काम से निकालना।

5.0 मैं) **इसका** पत्र **स्वीकृति:**

टेंडर की वैलिडिटी पीरियड के अंदर सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया सीधे रजिस्टर्ड पोस्ट से एक्सेप्टेंस लेटर जारी करेगा या अन्यथा कार्यालय में जमा करना

कॉन्ट्रैक्टर /वेंडर को टेंडर की शर्तों के अनुसार काम पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। एक्सेप्टेंस लेटर, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया और कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर के बीच एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा।

ii) **अनुबंध समझौता:**

कीमत के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक एग्रीमेंट पर साइन करेगा।

6.0 **स्वामित्व चित्रों का** :

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा दिए गए सभी ड्रॉइंग, स्पेसिफिकेशन और उनकी कॉपी सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की प्रॉपर्टी हैं। उनका इस्तेमाल नहीं किया जाना है। दूसरे काम पर।

7.0 **विस्तृत चित्र और निर्देश:**

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, ड्राइंग के ज़रिए या किसी और तरह से ज़रूरी, सही और अतिरिक्त निर्देश देगा, ताकि काम पूरा हो सके। काम। ऐसी सभी ड्राइंग और निर्देश कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से होने चाहिए, उनके सही डेवलपमेंट और उनसे सही अंदाज़ा लगाया जा सके।

कार्य इसके अनुरूप निष्पादित किया जाएगा और ठेकेदार/विक्रेता एक विस्तृत कार्यक्रम अनुसूची तैयार करें जिसमें प्रारंभ की तिथि का उल्लेख हो विभिन्न गतिविधियों को पूरा करना की प्राप्ति कार्य आदेश और जमा करें वही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आर्किटेक्ट/सलाहकार के माध्यम से

7.0 **प्रतियां सहमति का**

दोनों पार्टियों के साइन किए हुए एग्रीमेंट की दो कॉपी, ड्राइंग के साथ कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर्स को दी जाएंगी।

8.0 **एल इक्विडेट नुकसान:**

अगर कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर जनरल कंडीशंस ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट (GCC) के तहत ज़रूरी क्लॉज़ के हिसाब से ज़रूरी प्रोग्रेस बनाए रखने में नाकाम रहता है या काम पूरा करने और साइट खाली करने में नाकाम रहता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट या बढ़ाई गई तारीख या काम पूरा होने से पहले अपना ऑफिस खाली करना भी शामिल है, और देरी की वजह बताए बिना, उसे बुलाया जा सकता है। ऐसे उल्लंघन के कारण सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया को कानून के तहत उपलब्ध किसी भी अन्य उपचार के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य के 0.50% की दर से, जो कॉन्ट्रैक्ट मूल्य का अधिकतम 5% हो सकता है, लिक्विडेटेड डैमेज का भुगतान करने का अधिकार होगा।

9.0 **सामग्री, उपकरण और कर्मचारी**

जब तक या कुछ और न बताया गया हो, कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर को काम को ठीक से करने और पूरा करने के लिए ज़रूरी सभी सामान, लेबर , पानी, बिजली, टूल्स, इक्विपमेंट ट्रांसपोर्टेशन और दूसरी सुविधाएं देनी होंगी और उनका पेमेंट करना होगा। जब तक या कुछ और न बताया गया हो, सभी सामान नए होने चाहिए और कारीगरी और सामान दोनों ही सबसे अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर अपने कर्मचारियों के बीच हर समय सख्त डिसिप्लिन और अच्छा ऑर्डर बनाए रखेगा और किसी भी ऐसे व्यक्ति को काम पर नहीं रखेगा जो उसे दिए गए काम में माहिर न हो। जिस कामगार का काम या व्यवहार CENTRAL BAN OF INDIA को ठीक न लगे, उसे तुरंत साइट से हटा दिया जाएगा।

10.0 परमिट, कानून और विनियम:

काम करने के लिए ज़रूरी परमिट और लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर को अपने खर्चे पर लेने होंगे। कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर को नोटिस देना होगा। और अनुपालन करें साथ विनियम, कानून और अध्यादेशों नियम, लागू होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर को ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन्स में कोई अंतर दिखता है , तो वह तुरंत सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया को लिखकर बताएगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर कोई ऐसा काम करता है, जो कानून, नियमों और रेगुलेशन के खिलाफ है। वह इससे उत्पन्न होने वाले सभी खर्चों को वहन करेगा और इससे उत्पन्न होने वाली किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को क्षतिपूर्ति करेगा।

11.0 सेटिंग बाहर काम:

कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर काम तय करेगा और उसके लिए ज़िम्मेदार होगा। इसकी सही और परफेक्ट सेटिंग और इसके सभी हिस्सों की पोजीशन, लेवल, डाइमेंशन और अलाइनमेंट की सही जांच करवा लें और काम शुरू करने से पहले इसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूव करवा लें। अगर इसमें कभी कोई गलती हो तो काम के दौरान सम्मान दिखाया जाएगा, भले ही लेआउट को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर ने मंज़ूरी दे दी हो। यदि ऐसा है तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की संतुष्टि के लिए ऐसी त्रुटि को ठीक करने के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

12.0 सुरक्षा का काम करता है और संपत्ति:

कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर अपने सभी काम को नुकसान से बचाने के लिए लगातार पूरी सुरक्षा बनाए रखेगा और कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में होने वाली चोट या नुकसान से सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की प्रॉपर्टीज़ की रक्षा करेगा। वह ऐसे किसी भी नुकसान, चोट, नुकसान की भरपाई करेगा, सिवाय इसके कि वह कारणों के लिए उसके नियंत्रण से परे और देय उनके के लिए गलती या लापरवाही।

उसे आस-पास की प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए पूरी सावधानी और कदम उठाने होंगे। कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर काम पर अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सभी सावधानियां बरतेंगे और सरकार और लोकल अथॉरिटी के सभी लागू नियमों का पालन करेंगे। शरीर" सुरक्षा कानून और इमारत कोड को रोकना दुर्घटनाएँ, या चोट लगने की घटनाएं को अपने काम की जगह के आस-पास या आस-पास के लोगों या प्रॉपर्टी पर कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर क्लॉज़ के अनुसार इंश्योरेंस कवर अपने खर्च पर लें। पॉलिसी कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर और सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के जॉइंट नाम से ली जा सकती है और ओरिजिनल पॉलिसी सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया में जमा की जा सकती है।

13.0 निरीक्षण का काम:

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया या उनके प्रतिनिधियों को हर सही समय पर काम की जगह और/या वर्कशॉप, फैक्ट्रियों, या दूसरी जगहों पर जाने की आज़ादी होगी जहाँ सामान रखा है या जहाँ से उसे लिया गया है और कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया और उनके प्रतिनिधियों को सामान और कारीगरी के इंस्पेक्शन, जाँच और टेस्ट के लिए हर ज़रूरी सुविधा देगा। पब्लिक अथॉरिटी के प्रतिनिधि को छोड़कर, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया से मंज़ूरी पाए किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय काम पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। प्रस्तावित काम, चाहे बनने के स्टेज पर हो या पूरा होने के दौरान, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन द्वारा भी इंस्पेक्शन किया जा सकता है।

14.0 कार्यभार और उप-किराए पर देना

कॉन्ट्रैक्ट में शामिल पूरा काम कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर को करना होगा और वह सीधे तौर पर किसी को काम पर नहीं रखेगा या किसी और को नहीं देगा या इनडायरेक्टली ट्रांसफर, असाइन या अंडरलेट नहीं करेगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की लिखित सहमति के बिना अनुबंध या उसके किसी भाग या शेयर या उसमें रुचि को समाप्त नहीं किया जाएगा और कोई भी उपक्रम ठेकेदार/विक्रेता को सक्रिय और काम के चलने के दौरान उसकी देखरेख करना।

15.0 गुणवत्ता का सामग्री, कारीगरी और परीक्षा

सभी सामग्री और कारीगरी संबंधित क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ होगी प्रकार जैसा कि वर्णित है अनुबंध/बीओक्यू और केंद्रीय बैंक के निर्देशों के अनुसार होगा और समय-समय पर ऐसे परीक्षणों के अधीन होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. मैन्युफैक्चरिंग या फैब्रिकेशन की जगह पर या साइट पर या किसी अप्रूव्ड टेस्टिंग लैबोरेटरी में डायरेक्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर ऐसी मदद, इंस्ट्रूमेंट्स, मशीनरी, लेबर और मटीरियल देगा जो आमतौर पर किसी भी मटीरियल या काम के हिस्से को टेस्टिंग के लिए काम में शामिल करने से पहले, मापने, सैंपलिंग और टेस्टिंग के लिए ज़रूरी होते हैं, जिसे सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया चुन सकता है और जिसकी ज़रूरत हो सकती है।

ii) नमूने

पर्याप्त मात्रा के सभी नमूने संख्या, आकार, रंग और स्पेसिफिकेशन्स के हिसाब से पैटर्न कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के सप्लाई करेगा। अगर कुछ आइटम इस्तेमाल किए जाने वाले सैंपल ऐसे हैं कि उन्हें साइट पर पेश या तैयार नहीं किया जा सकता है। उनका डिटेल्ड लिटरेचर / टेस्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की संतुष्टि के लिए दिया जाएगा। सैंपल जमा करने से पहले / लिटरेचर के लिए कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर को यह पक्का करना होगा कि जिस मटीरियल/इक्विपमेंट का वह सैंपल/लिटरेचर जमा कर रहा है, वह टेंडर स्पेसिफिकेशन्स की ज़रूरतों को पूरा करता है। जब सैंपल को सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया लिखित रूप में मंज़ूरी दे देता है, तो कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर खरीद और इंस्टॉलेशन के साथ आगे बढ़ेगा। खास मटीरियल / इक्विपमेंट। अप्रूव्ड सैंपल पर पहचान के लिए CENTRAL BAN OF INDIA के साइन होंगे और काम पूरा होने तक साइट ऑफिस में रिकॉर्ड में रखे जाएंगे ताकि किसी भी समय इंस्पेक्शन / तुलना की जा सके। CENTRAL BAN OF INDIA का भारत करेगा लेना उचित समय को मंज़ूरी देना नमूना। कोई देरी वह

स्पेसिफिकेशन्स को पूरा न करने या दूसरी गड़बड़ियों, अलग-अलग मैन्युफ़ैक्चरर्स से सबसे अच्छी क्वालिटी के सैंपल न दे पाने और ऐसे दूसरे पहलुओं की वजह से मटीरियल/इक्विपमेंट वगैरह की मंज़ूरी में देरी होने की वजह से होने वाली गड़बड़ी के लिए कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर ज़िम्मेदार होगा।

iii) **लागत परीक्षणों के**

अगर ऐसा टेस्ट स्पेसिफिकेशन या BOQ के तहत किया गया है या उसमें ऐसा कोई टेस्ट दिया गया है, तो उसका खर्च कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर उठाएगा।

16.0 प्राप्त जानकारी संबंधित को कार्यान्वयन का काम

कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर द्वारा एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए कोई भी क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा। कार्य के निष्पादन को प्रभावित करने वाले किसी भी मामले के बारे में सही जानकारी प्राप्त करने में उसकी ओर से विफलता के परिणामस्वरूप या किसी गलतफहमी या गलत जानकारी प्राप्त करने या सही जानकारी प्राप्त करने में विफलता उसे किसी भी जोखिम से मुक्त करती है या कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की पूरी ज़िम्मेदारी से मुक्त।

17.0 ठेकेदार/ विक्रेता का देख-रेख

कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर काम पूरा होने के दौरान और उसके बाद, जब तक सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ज़रूरी समझे, तब तक ज़रूरी पर्सनल सुपरविज़न देगा, जब तक कि यहाँ बताई गई डिफेक्ट्स लायबिलिटी पीरियड खत्म न हो जाए।

18.0 मात्रा

बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ (BOQ) को, जब तक या कुछ और न कहा गया हो, इंडियन स्टैंडर्ड मेथड ऑफ़ मेज़रमेंट्स और क्वांटिटीज़ के अनुसार तैयार किया गया माना जाएगा। रेट कोट किया गया मूल्य किसी भी आइटम की मात्रा में किसी भी हद तक बदलाव के लिए मान्य रहेगा।

19.0 काम करता है होना मापा

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया समय-समय पर कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर को बता सकता है कि काम को नापने की ज़रूरत है और कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर तुरंत आएगा या सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की मदद करने के लिए एक काबिल प्रतिनिधि भेजेगा ताकि ऐसे नाप और कैलकुलेशन किए जा सकें और सभी डिटेल्स दी जा सकें या उनमें से किसी को भी ज़रूरी सभी मदद दी जा सके। ऐसे नाप स्पेसिफिकेशन्स में दिए गए नाप के तरीके के हिसाब से लिए जाएंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया का प्रतिनिधि कॉन्ट्रैक्टर/ वेंडर के प्रतिनिधि के साथ नाप लेगा और नाप को नाप बुक में दर्ज किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर या उसका ऑथराइज़्ड प्रतिनिधि अपनी मंज़ूरी के निशानी के तौर पर नाप बुक के उन सभी पन्नों पर साइन करेगा जिनमें नाप रिकॉर्ड किए गए हैं। सभी सुधार दोनों प्रतिनिधियों द्वारा ठीक से अटेस्टेड किए जाएंगे। अगर कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर नाप लेने के लिए अपने प्रतिनिधि को नहीं भेजता है या उसे नज़रअंदाज़ करता है या भूल जाता है, तो <u>नाप बुक में कोई ओवरराइटिंग नहीं की जाएगी।</u> दर्ज द्वारा प्रतिनिधि का केंद्रीय किनारा का भारत करेगा

होगा। सभी ऑथराइज़्ड एक्स्ट्रा काम, चूक और किए गए सभी बदलाव ऐसे मेज़रमेंट में शामिल होंगे।

20.0 बदलाव

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लिखित में दिया गया कोई भी बदलाव, चूक या बदलाव कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं करता है। अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत सोचता है किसी भी समय उचित मंच के दौरान काम की प्रोग्रेस में कोई बदलाव करना, काम में कुछ जोड़ना या हटाना या उसमें इस्तेमाल होने वाले मटीरियल के टाइप या क्वालिटी में कोई बदलाव करना, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर को लिखित में इसकी सूचना देगा और ऐसे मौखिक निर्देश देने के सात दिनों के अंदर लिखित में पुष्टि करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट बदल जाएगा। जोड़ना, या छोड़ना से मामला ऐसे नोटिस के अनुसार हो सकता है, लेकिन ठेकेदार/विक्रेता इसके अतिरिक्त कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करेगा या कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी कार्य में परिवर्तन या परिवर्धन या चूक या अनुबंध के किसी भी प्रावधान, शर्तों, विनिर्देशों या अनुबंध रेखाचित्रों से कोई विचलन और ऐसे अतिरिक्त, परिवर्तन, संयोजन या चूक का मूल्य सभी मामलों में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित किया जाएगा और उसे अनुबंध मूल्य में जोड़ा या घटाया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

21.0 मूल्यांकन का बदलाव

किसी एक्स्ट्रा आइटम के लिए कोई क्लेम तब तक मंज़ूर नहीं किया जाएगा जब तक कि वह सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की मंज़ूरी से सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की मंज़ूरी के तहत न किया गया हो, जैसा कि यहाँ बताया गया है। ऐसे किसी भी एक्स्ट्रा को यहाँ ऑथराइज़्ड एक्स्ट्रा कहा गया है और इसे नीचे दिए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

a) (i) अनुबंध में शुद्ध दरें या मूल्य अतिरिक्त कार्य के मूल्यांकन का निर्धारण करेंगे जहां ऐसा अतिरिक्त कार्य समान प्रकृति का है और समान परिस्थितियों में निष्पादित किया गया है जैसा कि यहां मूल्यांकित कार्य है।

(ii) सभी वस्तुओं के लिए दरें, जहाँ तक संभव हो, मूल्य BOQ में दी गई दरों से निकाली जानी चाहिए।

b) ओरिजिनल टेंडर की नेट कीमतों से छोड़ी गई चीज़ों की वैल्यू तय होगी, बशर्ते कि अगर छूटी हुई चीज़ों से उन शर्तों में कोई बदलाव न हो जिनके तहत काम के बाकी आइटम किए जाते हैं, नहीं तो उनकी कीमतों का वैल्यूएशन नीचे दिए गए सब-क्लॉज 'c' के तहत किया जाएगा।

c) जहां एक्स्ट्रा काम पहले बताए गए जैसे नहीं हैं और/या वैसी ही कंडीशन में नहीं किए गए हैं या जहां चूक उन कंडीशन को बदलती है जिनमें कोई बाकी आइटम या काम किया जाता है, तो कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर एक्सेप्टेंस लेटर मिलने के 7 दिनों के अंदर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को उस रेट के बारे में बताएगा जो वह ऐसे काम के आइटम के लिए चार्ज करना चाहता है, और क्लेम किए गए रेट या रेट के एनालिसिस के साथ यह जानकारी देगा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रेट तय करेगा। ऐसी दर या कीमतें जो परिस्थितियों में उसकी राय में बाजार दर के आधार पर उचित और उचित हैं।

d) जहां अतिरिक्त कार्य को ठीक से मापा या मूल्यांकित नहीं किया जा सकता है, वहां ठेकेदार/विक्रेता को एक दिन की अनुमति दी जाएगी काम निविदा में बताई गई शुद्ध दरों पर कीमतें, बीओक्यू या, अगर नहीं, तो जिले के लोकल दिन के काम के रेट और मज़दूरी के हिसाब से ऐसा बताया जाएगा; बशर्ते कि किसी भी मामले में, रोज़ का समय बताने वाले वाउचर (और अगर (यदि सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा अपेक्षित हो) तो कामगार का नाम और इस्तेमाल की गई सामग्री सत्यापन के लिए आर्किटेक्ट/सलाहकार को निर्धारित तिथि पर या उससे पहले दी जानी चाहिए। जिस हफ़्ते काम पूरा हुआ है, उसके अगले हफ़्ते के आखिर में।

e) यह भी साफ़ किया जाता है कि ऐसे सभी ऑथराइज़्ड एक्स्ट्रा आइटम के लिए, जिनके रेट टेंडर से नहीं मिल सकते, कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर को ऐसे रेट जमा करने होंगे जिनके साथ मटीरियल, लेबर हायर/इक्विपमेंट के रनिंग चार्ज और वेस्टेज वगैरह के लिए 'मार्केट रेट बेसिस' पर किया गया रेट एनालिसिस हो। साथ ही, एस्टैब्लिशमेंट चार्ज, कॉन्ट्रैक्टर/ वेंडर के ओवरहेड और प्रॉफ़िट के लिए 15% अलग से देना होगा। ऐसे आइटम एस्केलेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे ।

22.0 अंतिम माप

कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में मेज़रमेंट और वैल्यूएशन का काम काम के लगभग पूरा होने के एक महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा।

23.0 आभासी समापन प्रमाणपत्र (वीसीसी)

पर सफल समापन संपूर्ण का कवर किए गए कार्य द्वारा अनुबंध को भरा हुआ सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की संतुष्टि के लिए, कॉन्ट्रैक्टर यह पक्का करेगा कि नीचे दिए गए काम बैंक/कंसल्टेंट की संतुष्टि के अनुसार पूरे हो गए हैं:

a) साइट से सभी मचान, वायरिंग, पाइप, फालतू सामान, कॉन्ट्रैक्टर के सामान हटा दें। लेबर इक्विपमेंट और मशीनरी।

b) कॉन्ट्रैक्टर के साइट ऑफिस, टेम्पररी कामों को तोड़कर हटा दें । स्ट्रक्चर जिसमें लेबर शेड/कैंप और कंस्ट्रक्शन और दूसरी चीज़ें शामिल हैं, जो साइट पर लाई गई हैं या बनाई गई हैं या सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को अलॉट की गई कोई ज़मीन है और जो परमानेंट काम में शामिल नहीं है।

c) साइट और कॉन्ट्रैक्टर को सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा दी गई ज़मीन से सारा कचरा, मलबा वगैरह हटा दें और सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की ज़रूरत के हिसाब से साइट को साफ़, लेवल और तैयार करें, और कॉम्पैक्ट करें।

d) सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया को साइट और सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा अलॉट की गई सारी ज़मीन बिना किसी विवाद के अपने कब्ज़े में दे देगा।

e) करेगा हाथ ऊपर में काम ए शांतिपूर्ण ढंग को केंद्रीय किनारा का भारत

f) आर्किटेक्ट्स द्वारा बताई गई सभी कमियों को दूर कर दिया गया है और सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया पूरी तरह से संतुष्ट है।

जैसा ऊपर बताया गया है, कॉन्ट्रैक्टर के संतोषजनक काम पूरा करने पर, कॉन्ट्रैक्टर काम पूरा होने से संतुष्ट होने पर आर्किटेक्ट/कंसल्टेंट के पास अप्लाई करने का हकदार है। जिसके लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट मांगा गया है, आर्किटेक्ट/कंसल्टेंट एप्लीकेशन मिलने के चौदह (14) दिनों के अंदर काम पूरा होने के लिए सर्टिफिकेट देगा। सर्टिफिकेट, उस काम के लिए VCC जारी करें जिसके लिए VCC ने अप्लाई किया है।

वीसीसी का यह जारी होना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारों और अनुबंध के तहत ठेकेदार की देनदारियों, जिसमें दोषों के लिए ठेकेदार की देयता भी शामिल है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नहीं होगा और न ही वीसीसी का जारी होना कार्यों के संबंध में वी.सी.सी. या किसी भी साइट पर काम निर्माण हो या साइट पर काम के संबंध में और संबंध में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ठेकेदार के खिलाफ किसी भी अधिकार या दावे का त्याग हो जिसका VCC जारी कर दिया गया है।

24.0 बीमा का काम करता है

24.1 कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों और दायित्वों को सीमित किए बिना, कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया और कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर के संयुक्त नामों से बीमा कराएगा। सभी के खिलाफ नुकसान नुकसान की किसी भी कारण से उत्पन्न होने वाला अन्य अपवादित जोखिमों से अधिक, जिसके लिए वह अनुबंध की शर्तों के तहत जिम्मेदार है और इस तरह से कि सेंट्रल बैंक ऑफ INDIA. और कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर कवर किए गए हैं जीसीसी की धारा 28 में निर्धारित अवधि के लिए और रखरखाव की अवधि के दौरान किसी कारण से होने वाली हानि या क्षति के लिए भी कवर किया जाएगा, जो रखरखाव की अवधि के आरंभ होने से पहले हुई हो और खंड के तहत अपने दायित्वों का पालन करने के उद्देश्य से ठेकेदार/विक्रेता द्वारा किए गए किसी संचालन के दौरान हुई किसी हानि या क्षति के लिए भी कवर किया जाएगा।

a) अभी के लिए किए गए काम, उनकी अनुमानित मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पर, या काम में शामिल करने के लिए सामान के साथ बताई गई कोई और रकम, उनकी रिप्लेसमेंट वैल्यू पर।

b) ऐसा इंश्योरेंस किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ और सेंट्रल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा मंज़ूर शर्तों के अनुसार किया जाएगा। किनारा का भारत जो अनुमोदन अनुचित रूप से नहीं होगा पर रोक लगाई और ठेकेदार/विक्रेता को जब भी अपेक्षित हो, बीमा पॉलिसी तथा वर्तमान प्रीमियम के भुगतान की रसीदें केन्द्रीय बैंक को प्रस्तुत करनी होंगी।

25.0 हानि को व्यक्तियों और संपत्ति

ठेकेदार/विक्रेता, जब तक कि अनुबंध में अन्यथा प्रावधान न हो, केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया को किसी व्यक्ति को लगी चोट या क्षति या किसी संपत्ति को भौतिक या भौतिक क्षति के संबंध में सभी नुकसानों और दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा, जो कार्यों के निष्पादन और रखरखाव के परिणामस्वरूप या उसके कारण उत्पन्न हो सकती है और सभी दावों की कार्यवाही, क्षति, लागतों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा। इसके संबंध में या इसके संबंध में किसी भी प्रकार के शुल्क और व्यय, सिवाय इसके कि किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई के लिए:

a) स्थायी उपयोग या पेशा भूमि का द्वारा या कोई भाग उसका।

b) सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया को किसी भी ज़मीन पर, उसके ऊपर, नीचे, अंदर या उसके ज़रिए काम या उसके किसी हिस्से को पूरा करने का अधिकार।

c) कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार काम करने या मेंटेनेंस की वजह से लोगों या प्रॉपर्टी को चोट लगना या नुकसान होना, जो ज़रूरी हो।

d) सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के किसी एजेंट, कर्मचारी या दूसरे कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर जो कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर द्वारा काम पर नहीं रखे गए हैं, उनके किसी काम या लापरवाही की वजह से किसी व्यक्ति या प्रॉपर्टी को लगी चोट या नुकसान, या उससे जुड़े किसी दावे, कार्रवाई, नुकसान, लागत, चार्ज और खर्च के लिए या जहाँ चोट या नुकसान में कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर का हाथ हो, उसके कर्मचारियों या एजेंटों को मुआवजे का ऐसा हिस्सा मिलेगा जो जिम्मेदारी की सीमा को ध्यान में रखते हुए न्यायसंगत और न्यायसंगत हो। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उनके कर्मचारियों, या एजेंटों या अन्य कर्मचारियों, या एजेंटों या अन्य ठेकेदार/विक्रेताओं को नुकसान या चोट के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

26.0 ठेकेदार/ विक्रेता को क्षतिपूर्ति केंद्रीय किनारा का भारत

कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर इस क्लॉज़ के सब-क्लॉज़ 25 में बताए गए मामलों से जुड़े सभी दावों, कार्रवाई, नुकसान, लागत, चार्ज और खर्चों के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया को हर्जाना देगा।

27.0 ठेकेदार/ विक्रेता का देख-रेख

कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर किसी भी पेटेंट या डिज़ाइन या किसी कथित पेटेंट या डिज़ाइन अधिकारों के उल्लंघन या इस्तेमाल से जुड़े किसी भी एक्शन, क्लेम या कार्रवाई के खिलाफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को पूरी तरह से हर्जाना देगा और हर्जाना देता रहेगा और कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किसी भी आर्टिकल या उसके हिस्से के संबंध में देय कोई भी रॉयल्टी देगा। अगर ऊपर बताए गए मामलों के संबंध में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तहत कोई क्लेम किया जाता है या उसके खिलाफ कोई एक्शन लाया जाता है, तो कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर को तुरंत इसकी सूचना दी जाएगी और कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर अपने खर्चे पर किसी भी विवाद को निपटाने या उससे पैदा होने वाले किसी भी मुकदमे को चलाने के लिए आज़ाद होगा, बशर्ते कि अगर पेटेंट या डिज़ाइन या किसी कथित पेटेंट या डिज़ाइन अधिकार का उल्लंघन CENTRAL BANK द्वारा पास किए गए ऑर्डर का सीधा नतीजा है, तो कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को हर्जाना देने के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। इस संबंध में भारत का।

28.0 तीसरा दल बीमा

28.1 काम शुरू करने से पहले, कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर को GCC के क्लॉज़ 24.0 के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों और दायित्वों को सीमित किए बिना, बीमा करवाना होगा। उसका देयता किसी के लिए सामग्री या शारीरिक हानि, नुकसान, या चोट कौन मई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सहित किसी भी संपत्ति को, या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी कर्मचारी सहित किसी भी व्यक्ति को, इसके कारण या इसके कारण होने वाली हानि

28.2 का निष्पादन काम या में कार्यान्वयन की अनुबंध, अन्यथा बजाय देय को इसके खंड 24.0 के प्रावधान में संदर्भित मामले।

28.3 **न्यूनतम मात्रा का तीसरा दल बीमा**

ऐसा बीमा किसी बीमाकर्ता के साथ और केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित शर्तों के अनुसार किया जाएगा, जिसकी स्वीकृति उचित रूप से रोकी नहीं जाएगी और कम से कम नीचे बताई गई रकम। कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर, जब भी ज़रूरी हो, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया को इंश्योरेंस कवर की पॉलिसी या पॉलिसियाँ दिखाएगा। और मौजूदा प्रीमियम के पेमेंट की रसीदें।

न्यूनतम बीमा ढकना के लिए भौतिक संपत्ति, चोट, और मौत 10 लाख रुपये है प्रति हर घटना के बाद कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर इंश्योरेंस को हमेशा चार घटनाओं के लिए वैलिड बनाने के लिए ज़रूरी एक्स्ट्रा प्रीमियम देगा।

29.0 **दुर्घटना या चोट को कामगार:**

i. सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर या किसी सब-कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर के काम में लगे किसी भी कामगार या दूसरे व्यक्ति को किसी भी दुर्घटना या चोट के कारण कानून के तहत मिलने वाले किसी भी नुकसान या मुआवज़े के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा, सिवाय सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया या उनके एजेंट या कर्मचारियों के किसी काम या गलती से होने वाली दुर्घटना या चोट के। कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर ऐसे सभी नुकसान और मुआवज़े के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया को हर्जाना देगा और हर्जाना देता रहेगा। बचाना और के अलावा जैसा पूर्वोक्त, और ख़िलाफ़ सभी दावे, इसके संबंध में या इसके संबंध में जो भी कार्यवाही, लागत, शुल्क और व्यय हो।

ii. **बीमा ख़िलाफ़ दुर्घटनाओं वगैरह। को कर्मकार**

कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर को ऐसी लायबिलिटी के लिए CENTRAL BAN OF INDIA से अप्रूव्ड किसी इंश्योरर से इंश्योरेंस करवाना होगा, उस पूरे समय के दौरान जब कोई व्यक्ति उसके द्वारा काम पर रखा गया हो और जब ज़रूरत हो, तो आर्किटेक्ट/कंसल्टेंट को इंश्योरेंस की ऐसी पॉलिसी और मौजूदा प्रीमियम के पेमेंट की रसीद दिखानी होगी। बशर्ते कि, उसके द्वारा काम पर रखे गए किसी भी व्यक्ति के संबंध में किसी भी सब-कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर के लिए, कॉन्ट्रैक्टर/ वेंडर की इस सब-क्लॉज के तहत ऊपर बताए गए तरीके से इंश्योरेंस कराने की ज़िम्मेदारी पूरी होगी, अगर सब-कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर ने ऐसे लोगों के संबंध में लायबिलिटी के खिलाफ इस तरह से इंश्योरेंस कराया हो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को पॉलिसी के तहत हर्जाना मिल जाए , लेकिन ऐसे उप-विक्रेता को ऐसी बीमा पॉलिसी तथा चालू प्रीमियम के भुगतान की रसीद केन्द्रीय बैंक के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

iii. **उपचार पर ठेकेदार/ विक्रेता का असफलता को ठीक कर लेना**

अगर कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर ऊपर बताए गए इंश्योरेंस या कोई दूसरा इंश्योरेंस नहीं करवा पाता है, जिसे उसे शर्तों के तहत करवाना ज़रूरी हो, तो उसे लागू नहीं रख पाता है। अनुबंध की, तब और ऐसे किसी भी मामले में केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया ऐसे किसी भी बीमा को लागू कर सकता है और लागू रख सकता है और ऐसे प्रीमियम या प्रीमियमों का भुगतान कर सकता है जो उस उद्देश्य के लिए आवश्यक हो सकते हैं और समय-समय पर केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पूर्वोक्त रूप से भुगतान की गई राशि को किसी भी देय राशि से काट सकता है या जो ठेकेदार/विक्रेता को देय हो सकती है या उसे ठेकेदार/विक्रेता से ऋण के रूप में वसूल कर सकता है।

iv. कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर्स के खिलाफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के दूसरे अधिकारों पर कोई असर डाले बिना। ऐसी गलती के मामले में, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर को देने वाली किसी भी रकम में से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए किसी भी डैमेज कॉस्ट, चार्ज और दूसरे खर्चों की रकम काटने का हकदार होगा, जो इस क्लॉज के तहत कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर्स को देने हैं। कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर करेगा ऊपर निपटान द्वारा बीमा कंपनी किसी भी दावा इस खंड के तहत ली गई पॉलिसी के अनुसरण में बीमाकर्ता के विरुद्ध किए गए किसी भी दावे पर, उचित कार्यवाही की जाएगी खराब या टूटे हुए काम को फिर से बनाने या रिपेयर करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। ऐसे में, ऐसे नुकसान के लिए इंश्योरर से मिली सारी रकम कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर को देनी होगी और कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर खराब या टूटे हुए सामान या सामान को फिर से बनाने या रिपेयर करने में हुए खर्च के लिए कोई और पेमेंट पाने का हकदार नहीं होगा।

30.0 प्रारंभ **का कार्य:**

काम शुरू होने की तारीख को सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा काम देने की तारीख या सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के साथ एग्रीमेंट पूरा करने की तारीख माना जाएगा।

31.0 समय **पूरा करने के लिए**

समय कॉन्ट्रैक्ट का ज़रूरी हिस्सा है और कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर को इसका सख्ती से पालन करना होगा। पूरा काम **90 कैलेंडर दिनों के अंदर पूरा करना होगा।** प्रारंभ तिथि से।

32.0 विस्तार **का समय**

अगर, कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर के कंट्रोल से बाहर की वजहों से काम में देरी होती है, तो कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया को सही और वाजिब समय बढ़ाने की सिफारिश कर सकता है। पूरा होने का समय काम कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के अनुसार। अगर कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर को काम पूरा करने के लिए समय बढ़ाने की ज़रूरत है या अगर कॉन्ट्रैक्ट में बताई गई काम पूरा होने की तारीख के बाद किसी भी वजह से काम पूरा होने में देरी होने की संभावना है, तो कॉन्ट्रैक्टर/ वेंडर को सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया में अप्लाई करना होगा। निर्धारित समय की समाप्ति से कम से कम 30 दिन पहले लिखित रूप में और समय विस्तार के लिए आवेदन करते समय स्वीकृति देने के लिए निर्धारित प्रारूप में देरी के लिए कारण और यदि कोई हो तो उसका औचित्य विस्तार से प्रस्तुत करेगा।

बढ़ाना । समय बढ़ाते समय कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर को बताया जाएगा कि कितना समय बढ़ाया गया है, जिसके लिए लिक्विडेटेड डैमेज लगेगा। बाकी समय के लिए, जो ओरिजिनल तय समय से ज़्यादा है और क्लॉज़ 8.0 के तहत बताए गए लिक्विडेटेड डैमेज के प्रोविज़न से समय का सही तरीके से मंज़ूर एक्सटेंशन लागू होगा। इसके अलावा, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने की ड्यू डेट के बाद भी लागू रहेगा, भले ही एक्सटेंशन दिया गया हो या नहीं। या नहीं।

33.0 दर का प्रगति

कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर द्वारा दिया जाने वाला पूरा सामान, प्लांट और लेबर और काम करने का तरीका, तरीका और स्पीड का निष्पादन और रखरखाव कामों का होना है एक तरह से और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की संतुष्टि के लिए तरीके से संचालित इंडिया. अगर काम या उसके किसी हिस्से की प्रोग्रेस की रफ़्तार किसी भी समय सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की राय में इतनी धीमी हो कि पूरा काम तय समय या बढ़ाए गए समय में पूरा नहीं हो पाएगा, तो सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया प्रोग्रेस को तेज़ करने के लिए ज़रूरी कदम उठाएगा ताकि काम तय समय या बढ़ाए गए समय तक पूरा हो सके। सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की तरफ़ से ऐसे कम्युनिकेशन से कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर को कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने से न तो राहत मिलेगी और न ही वह इसके लिए हक़दार होगा। ऐसे निर्देशों से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे को उठाने के लिए।

34.0 काम **दौरान नाइट्स और छुट्टियों**

कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए किसी भी उलटे नियम के तहत, जैसा कि इसमें बताया गया है, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की लिखित इजाज़त के बिना रात में या छुट्टियों में कोई भी पक्का काम नहीं किया जाएगा, सिवाय तब जब काम करना ज़रूरी हो या जान-माल की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी हो। ऐसे में कॉन्ट्रैक्टर/कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर तुरंत सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया को बताएगा। हालाँकि, इस क्लॉज़ के नियम ऐसे किसी भी काम पर लागू नहीं होंगे जिसे रोटरी या किसी और से करवाना ज़रूरी हो जाता है। दोहरी शिफ्ट तकनीकी रूप से ज़रूरी/जारी काम के हिस्से की प्रगति और क्वालिटी को सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की पहले से मंज़ूरी लेकर बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के हासिल करना।

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के सक्षम अधिकारियों से मंज़ूरी मिलने के बाद, रात में सभी काम बिना किसी बेवजह के शोर और परेशानी के किए जाएँगे।

35.0 नहीं **मुआवज़ा या प्रतिबंध का काम**

यदि टेंडर स्वीकार होने के बाद किसी भी समय, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. किसी भी कारण से काम का दायरा छोड़ने या कम करने का फैसला करेगा और इसलिए काम का पूरा या कोई हिस्सा करने की ज़रूरत नहीं होगी। सेंट्रल बैंक ऑफ़ INDIA इस बारे में कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर को लिखकर नोटिस देगा और कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर इस मामले में उसी हिसाब से काम करेगा। कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर का किसी भी तरह के मुआवज़े या किसी और चीज़ के पेमेंट पर कोई दावा नहीं होगा। किसी भी लाभ या

इस फैसले से उसे जो फ़ायदा हो सकता था पूरा काम, लेकिन जो काम पूरा या उसका कुछ हिस्सा बंद होने की वजह से उसे नहीं मिला।

बशर्ते कि विक्रेता को केवल उस सामग्री के ढुलाई शुल्क का भुगतान किया जाएगा जो ठेकेदार/विक्रेता द्वारा कार्य स्थल पर वास्तव में और वास्तविक रूप से लाई गई हो और कार्य को छोड़ देने, उसमें कटौती करने या किसी अन्य कारण से अधिशेष हो गई हो। उसका हिस्सा और फिर विक्रेता द्वारा वापस ले लिया जाता है, बशर्ते कि ऐसे मामलों में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास संपूर्ण या ऐसी कोई भी सामग्री उनके खरीद मूल्य या स्थानीय वर्तमान दर पर, जो भी कम हो।

"यदि ऐसे स्टोर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के स्टोर से जारी किए गए हैं और ठेकेदार/विक्रेता द्वारा स्टोर को वापस कर दिया जाता है, तो उसे उन दरों पर क्रेडिट दिया जाएगा जो उन दरों से अधिक नहीं होंगी जिन पर मूल रूप से विक्रेता को क्रेडिट लेने के बाद जारी किया गया था ठेकेदार/विक्रेता की हिरासत में रहते हुए किसी भी गिरावट या क्षति के कारण दावों के लिए विचार और कटौती में और इस संबंध में वास्तुकार/सलाहकार का निर्णय अंतिम होगा।

36.0 निलंबन का काम

i) कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया से लिखित ऑर्डर मिलने पर (जिसका फ़ैसला कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर के लिए आख़िरी और ज़रूरी होगा) काम की तरक्की या उसके किसी हिस्से को उस समय और उस तरीके से रोक देगा, जैसा सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ज़रूरी समझे।
न पहुंचे या निम्नलिखित कारणों से उसकी सुरक्षा को खतरा न हो:

a) पर खाता कोई गलती करना पर का हिस्सा ठेकेदार/ विक्रेता, या

b) काम या उसके हिस्से के सही तरीके से पूरा करने के लिए विक्रेता/ठेकेदार की चूक के अलावा अन्य कारणों से, या

c) सुरक्षा के लिए का काम या भाग उसका।

कॉन्ट्रैक्टर / वेंडर, ऐसे सस्पेंशन के दौरान, ठीक से सुरक्षा और सिक्योर करेगा। ज़रूरी हद तक काम पूरा करें और उस बारे में दिए गए निर्देशों का पालन करें। भारतीय केंद्रीय बैंक।

ii) अगर निलंबन है आदेश दिया के लिए कारण (बैंड (सी) में उप पैरा (मैं) ऊपर:

कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर को हर सस्पेंशन के समय के बराबर समय बढ़ाने का हक होगा। इसके लिए कोई भी मुआवज़ा नहीं दिया जाएगा।

37.0 कार्रवाई कब साबुत सुरक्षा जमा है जब्त

किसी भी मामले में, जिसमें इस कॉन्ट्रैक्ट के किसी क्लॉज़ या क्लॉज़ के तहत, कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर खुद को मुआवज़ा देने के लिए ज़िम्मेदार बनाता है, अपनी पूरी सिक्योरिटी डिपॉज़िट के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के पास नीचे दिए गए किसी भी तरीके को अपनाने का अधिकार होगा, जिसे वे सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के हित में सबसे सही समझें:

a) कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना (जिसका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर को लिखा हुआ रद्द करने का नोटिस पक्का सबूत होगा) और ऐसे में कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर की सिक्योरिटी, डिपॉज़िट ज़ब्त कर ली जाएगी और पूरी तरह से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में होगी।

b) श्रमिकों को नियोजित करने और कार्य या कार्य के हिस्से को पूरा करने के लिए सामग्री की आपूर्ति करने के लिए, ठेकेदार/विक्रेता के खाते में श्रम और सामग्री की लागत (जैसा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित किया गया है, ठेकेदार/विक्रेता के खिलाफ अंतिम और निर्णायक होगा) को डेबिट करना और उसे किए गए कार्य के मूल्य को, सभी तरह से उसी तरीके से और उसी दर पर और उसी दर पर जमा करना, जैसे कि यह ठेकेदार/विक्रेता द्वारा इस अनुबंध की शर्तों के तहत किया गया हो, किए गए कार्य के मूल्य के संबंध में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्रमाण पत्र ठेकेदार/विक्रेता के खिलाफ अंतिम निर्णायक होगा ।

c) कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर के काम का माप लेना, और उसका जो हिस्सा बाकी रह गया है, उसे उससे लेकर दूसरे कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर को पूरा करने के लिए देना। ऐसे में, अगर पूरा काम ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर ने किया होता तो उसे जो रकम दी जाती, उससे ज़्यादा खर्च होता है (जिस ज़्यादा रकम का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिखित सर्टिफिकेट आखिरी और पक्के होंगे) वह ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर को देना होगा और अगर उस पर कोई पैसा बकाया है तो उसे काटा जा सकता है। केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया के साथ अनुबंध के तहत या अन्यथा, या उसकी सुरक्षा जमा या उसकी बिक्री की आय, या उसके पर्याप्त हिस्से से।

में उपरोक्त में से किसी भी पाठ्यक्रम को केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाए जाने की स्थिति में भारत में ठेकेदार/विक्रेता के पास किसी सामग्री के क्रय या प्राप्ति अथवा कोई अनुबंध करने अथवा कार्य के निष्पादन अथवा अनुबंध के प्रदर्शन के लिए कोई अग्रिम राशि देने के कारण उसे हुई किसी भी हानि के लिए मुआवजे का कोई दावा नहीं होगा और ऐसी स्थिति में अनुबंध रद्द हो जाएगा। पूर्वोक्त प्रावधान, ठेकेदार/विक्रेता नहीं होगा अधिकारी इस अनुबंध के अंतर्गत वास्तव में किए गए किसी कार्य या राशि की वसूली या भुगतान पाने के लिए, जब तक कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिखित रूप में ऐसे कार्य के निष्पादन और उसके संबंध में देय मूल्य को प्रमाणित नहीं कर देता, और वह केवल इस प्रकार प्रमाणित मूल्य का भुगतान पाने का हकदार होगा।

38.0 मालिक का सही को बर्खास्त अनुबंध

अगर ठेकेदार/ विक्रेता एक होने के नाते व्यक्ति या ए अटल प्रतिबद्ध कोई "कार्य दिवालियापन का या दिवालिया होने पर एडजस्ट किया जाएगा या एक इनकॉरपोरेटेड कंपनी होने के नाते, सरकार की देखरेख में अपनी मर्ज़ी से या लिक्विडेटर के ऑफिशियल असाइनी के अधीन अनिवार्य वाइंडिंग अप का ऑर्डर होगा। ऐसे दिवालिया होने या वाइंडिंग अप के कामों में, उसे नोटिस दिए जाने के सात दिनों के अंदर, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की उचित संतुष्टि के लिए यह दिखाने में असमर्थ होगा कि वह कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में सक्षम है, और को रंग सुरक्षा इसलिए यदि ऐसा है तो द्वारा अपेक्षित सेंट्रल बैंक ऑफ भारत

या अगर ठेकेदार/ विक्रेता (चाहे कोई भी हो) व्यक्ति अटल या निगमित कंपनी) को एग्जीक्यूशन जारी होने देना होगा या इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी भी पेमेंट को कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर के किसी भी क्रेडिटर द्वारा या उसकी ओर से अटैच होने देना होगा।

या सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की लिखित सहमति के बिना इस कॉन्ट्रैक्ट को असाइन या सबलेट करेगा या इस कॉन्ट्रैक्ट या किसी भी पेमेंट पर चार्ज या बोझ डालेगा। जो कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर को इसके तहत मिल सकता है:

a) है छोड़ा हुआ अनुबंध; या

b) काम शुरू करने में नाकाम रहा है या इन हालात में बिना किसी कानूनी वजह के सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया से काम शुरू करने का लिखा हुआ नोटिस मिलने के बाद 14 दिनों के लिए काम रोक दिया है, या

c) काम को इतनी लगन से आगे बढ़ाने में नाकाम रहा है और ऐसी सही तरक्की करने में नाकाम रहा है जिससे काम तय समय में पूरा हो सके, या हटाने में नाकाम रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया से लिखित नोटिस मिलने के सात दिनों के अंदर साइट से सामान हटाने या काम को हटाने और बदलने के लिए, कि इन शर्तों के तहत सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ने उस सामान को खराब और रिजेक्ट कर दिया था; या कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर को लिखित नोटिस दिए जाने के सात दिनों के अंदर इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत सभी या किसी भी काम या बातों का पालन करने और करने में लगातार लापरवाही की है या नाकाम रहा है, या अच्छे काम को नुकसान पहुँचाया है। या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के विपरीत निर्देश के उल्लंघन में अनुबंध के किसी भी भाग को रद्द करना।

तब और ऐसे किसी भी मामले में, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, किसी पिछली छूट के बावजूद, कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर को सात दिन का लिखित नोटिस देने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट तय कर सकता है, लेकिन इससे सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की शक्तियों या कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर की ज़िम्मेदारियों और देनदारियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह पूरी तरह से वैसे ही लागू रहेगा जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट तय नहीं हुआ था और जैसे कि काम बाद में कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर ने या उसकी ओर से किया था। और, इसके अलावा, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया या उनके कर्मचारी काम पर जा सकते हैं और उस जगह या आस-पास की ज़मीन या सड़कों पर पड़े सभी प्लांट, मचान, सामान, शेड, मशीनरी को अपने कर्मचारियों या काम करने वालों के ज़रिए काम पूरा करने या किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर या काम में लोगों को लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर किसी भी तरह से काम में रुकावट नहीं डालेगा या ऐसा कोई काम, बात या चीज़ नहीं करेगा जिससे ऐसा कोई और काम रुके या रुकावट आए।

कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर या दूसरे लोग जो काम के लिए मटीरियल और प्लांट का इस्तेमाल करने या उसे पूरा करने और फिनिशिंग के लिए रखे गए हैं।

जब काम पूरा हो जाएगा या उसके तुरंत बाद सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया को जो भी सुविधा हो, कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर को लिखकर नोटिस दिया जाएगा। को उसका अधिशेष हटा दें सामग्री और पौधों और चाहिए ठेकेदार/विक्रेता विफल ऐसा करने के लिए उसे प्राप्त होने के बाद 14 दिनों के भीतर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रकाशन द्वारा उसे बेच देगा, और उचित प्रकाशन के बाद, प्राप्त राशि को समायोजित करेगा ऐसी नीलामी से। कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर को सामान वगैरह की बिक्री से जुड़े सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी काम पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं होगा।

39.0 प्रमाणपत्र **का भुगतान**

कॉन्ट्रैक्टर को आर्किटेक्ट/कंसल्टेंट द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को समय-समय पर CENTRAL BAN OF INDIA से पेमेंट के सर्टिफिकेट की तारीख से 10 वर्किंग डेज़ के अंदर जारी किए जाने वाले सर्टिफिकेट के तहत हकदार होगा। CENTRAL BAN OF INDIA पेमेंट के सर्टिफिकेट से रिटेंशन अमाउंट सहित कानूनी तौर पर वसूली जाने वाली दूसरी बकाया रकम वसूल करेगा।

बशर्ते कि कार्य की प्रगति या पूर्णता के दौरान वास्तुकार/सलाहकार द्वारा जारी कोई भी प्रमाण पत्र प्रभावी नहीं होगा क्योंकि संतुष्टि का प्रमाण पत्र ठेकेदार को खंड के तहत उसके दायित्व से मुक्त कर देता है।

अगर काम या उसका कोई हिस्सा उनकी संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो आर्किटेक्ट/कंसल्टेंट के पास सर्टिफिकेट रोकने का अधिकार होगा।

आर्किटेक्ट / कंसल्टेंट किसी भी सर्टिफिकेट से पिछले सर्टिफिकेट में ज़रूरी सुधार कर सकते हैं।

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी किए गए पेमेंट सर्टिफिकेट को बदलेगा। भुगतान करते समय समय-समय पर आर्किटेक्ट / सलाहकार

कॉन्ट्रैक्टर को असल मेज़रमेंट लेने और मेज़रमेंट बुक में ठीक से रिकॉर्ड करने के बाद ही अंतरिम बिल जमा करना होगा।

अगर कॉन्ट्रैक्टर के किए गए काम की अनुमानित कीमत **Rs 10.00 लाख से कम है, तो वह अंतरिम बिल जमा नहीं करेगा।**

कॉन्ट्रैक्टर फ़ाइनल बिल एक महीने के अंदर जमा कर सकता है। वर्चुअल कंप्लीशन की तारीख और आर्किटेक्ट/कंसल्टेंट दो महीने के अंदर पेमेंट का सर्टिफिकेट जारी करेंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया सर्टिफिकेट जारी होने की तारीख से तीन महीने के अंदर रकम का पेमेंट करेगा, बशर्ते रेट और क्वांटिटी को लेकर कोई विवाद न हो।

ठेकेदार करेगा जमा करना अन्तरिम बिल में निर्धारित प्रारूप साथ सभी विवरण।

काम सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, ठेकेदार/विक्रेता अलग से एक फॉर्म तैयार करेगा। प्रत्येक शाखा / कार्यालय / एटीएम / साइट के लिए बिल और **कंपनी वारंटी कार्ड पर** निर्दिष्ट 5 से 10 साल की वारंटी के साथ शाखा-वार कर चालान/बिल जमा करें **500/- रुपये गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर)** फर्नीचर/वॉटरप्रूफिंग कार्य या इसी तरह के अन्य कार्यों की आपूर्ति के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र/पावती के साथ।

किसी भी हालत में मटीरियल / प्लांट / मशीनरी या मोबिलाइज़ेशन एडवांस पर कोई एडवांस नहीं दिया जाएगा।

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया कानूनी वसूली करेगा, जैसे TDS, रिटेंशन और दूसरी बकाया रकम, अगर कोई हो, तो कॉन्ट्रैक्ट के नियमों के मुताबिक।

अगर काम या उसका कोई हिस्सा उनकी संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के पास पेमेंट रोकने का अधिकार होगा।

40.0 एक। समझौता का विवादों और मध्यस्थता करना

i. कोई भी और सभी विवाद, मतभेद और संघर्ष ("विवाद") इस टेंडर और/या, आने वाले कॉन्ट्रैक्ट या इसमें बताए गए अधिकारों और ज़िम्मेदारियों के प्रदर्शन या गैर-प्रदर्शन, या उनके उल्लंघन, समाप्ति, अमान्यता या व्याख्या से जुड़े होने पर होने वाले विवाद को आर्बिट्रेशन के लिए भेजा जाएगा। आर्बिट्रेशन और सुलह एक्ट, 1996 (आर्बिट्रेशन एक्ट) या उसके किसी भी बदलाव के तहत। विवादों को आर्बिट्रेशन में भेजने से पहले, पार्टियां आपसी बातचीत और चर्चा से विवाद/विवादों को सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगी। अगर कहा गया विवाद/विवाद, किसी भी पार्टी द्वारा दूसरे पक्ष को विवादों के बारे में पहले लिखित संदेश से पता चलने पर, उसके होने के 30 दिनों के अंदर नहीं सुलझते हैं, तो उन्हें आखिर में ऊपर बताए गए तरीके से आर्बिट्रेशन से सुलझाया और तय किया जाएगा।

ii. आर्बिट्रेशन की जगह नासिक होगी और आर्बिट्रेशन की कार्रवाई में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा इंग्लिश होगी। आर्बिट्रेशन आपसी सहमति से चुने गए अकेले आर्बिट्रेटर द्वारा किया जाएगा। अगर पार्टियां अकेले आर्बिट्रेटर पर सहमत नहीं हो पाती हैं, तो हर पार्टी एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा और पक्षों द्वारा नियुक्त दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करेंगे, जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण का अध्यक्ष होगा।

iii. मध्यस्थता पुरस्कार लिखित में होगा और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अधीन होगा और सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसी भी न्यायालय में लागू किया जा सकेगा।

iv. आर्बिट्रेशन में सबमिशन पेंडिंग रहने तक और उसके बाद, जब तक आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कोई अवॉर्ड या फैसला नहीं सुना देता, पार्टियां, इस एग्रीमेंट के खत्म होने या ऊपर बताए गए एक्ट के तहत कोई अंतरिम ऑर्डर/अवार्ड दिए जाने की स्थिति को छोड़कर, इस एग्रीमेंट के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करती रहेंगी।

बी। शासी कानून और क्षेत्राधिकार

टेंडर और/या, उसके बाद होने वाला कॉन्ट्रैक्ट भारत गणराज्य के कानूनों के अनुसार चलाया और समझा जाएगा।

क्लॉज़ 40.0, A के तहत, पार्टियां सिर्फ़ अधिकार क्षेत्र में रहने के लिए सहमत हैं। निविदा और/या आगामी अनुबंध के अंतर्गत पक्षों के बीच किसी भी विवाद के संबंध में (**नासिक**) में उपयुक्त न्यायालयों में मुकदमा चलाया जाएगा ।

41.0 **पानी आपूर्ति**

कॉन्ट्रैक्टर को काम के लिए ज़रूरी पानी का इंतज़ाम खुद करना होगा और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं किया जाएगा। यह इन शर्तों पर निर्भर करेगा:

i) कॉन्ट्रैक्टर जो पानी इस्तेमाल करेगा, वह आर्किटेक्ट/ कंसल्टेंट की संतुष्टि के हिसाब से कंस्ट्रक्शन के काम के लिए सही होगा ।

ii) अगर आर्किटेक्ट/कंसल्टेंट की राय में पानी खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्टर का किया गया इंतज़ाम ठीक नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्टर को पानी की सप्लाई के लिए दूसरा इंतज़ाम करना होगा।

iii) में मामला ठेकेदार है अनुमत को सेंट्रल का उपयोग करें बैंक ऑफ भारत में पानी के सोर्स यानी म्युनिसिपल कनेक्शन, बोरवेल (मौजूदा या नया) वगैरह के लिए, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया कॉन्ट्रैक्टर के फ़ाइनल बिल से कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का @1% वसूलने पर विचार कर सकता है।

41.1 ठेकेदार निर्माण कार्य हेतु पानी लेने हेतु सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की भूमि पर अस्थायी कुआं/ट्यूबवेल का निर्माण केवल अनुमति प्राप्त करने के बाद ही करेगा। सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया से लिखित में। कॉन्ट्रैक्टर को अपने खर्च पर पानी निकालने और बांटने का इंतज़ाम खुद करना होगा। उसे ज़रूरी इंतज़ाम करने होंगे। कुओं के कंस्ट्रक्शन और उसके बाद के मेंटेनेंस की वजह से होने वाले किसी भी एक्सीडेंट या नुकसान से बचने के लिए। अगर ज़रूरत हो, तो उसे अपने खर्च पर लोकल अथॉरिटी से ज़रूरी मंज़ूरी लेनी होगी। वह ठीक करेगा। काम पूरा होने पर कुओं को हटाने के बाद इसे उसकी मूल स्थिति में लाया जाता है या सौंप दो केंद्रीय बैंक को भी आर्किटेक्ट / कंसल्टेंट के निर्देशानुसार बिना किसी मुआवज़े के।

42.0 **शक्ति आपूर्ति**

ठेकेदार को काम के लिए प्लांट या मशीनरी चलाने के लिए बिजली और सप्लाई/डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और रोशनी के लिए अपने खर्च पर इंतज़ाम करना होगा, प्लांट चलाने और मेंटेनेंस का खर्च भी खुद उठाना होगा। पौधों को उनकी निविदा कीमतों में शामिल किया जाना है, करेगा वेतन सभी फीस और प्रभार आवश्यक, द्वारा पावर सप्लाय और शामिल करना वह अपने टेंडर रेट में भी यही बदलाव करेगा और मालिक को ऐसे सभी खर्चों से मुक्त रखेगा। अगर ज़रूरत हो, तो उसे सही अधिकारियों से ज़रूरी मंज़ूरी लेनी होगी।

43.0 **खज़ाना निधि वगैरह।**

साइट पर मिलने वाला कोई भी खजाना, सिक्का या पुरानी चीज़ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी होगी और उसे तुरंत बैंक को सौंप दिया जाएगा।

44.0 **तरीका का माप**

जब तक क्वांटिटी के शेड्यूल या मेज़रमेंट के तरीके में कुछ और न बताया गया हो, मेज़रमेंट ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बनाए गए नए नियमों के हिसाब से नेट क्वांटिटी या बनाए गए काम पर होगा। किसी भी विवाद/असहमति की स्थिति में सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया का फ़ैसला मान्य होगा। भारत होगा अंतिम और सुधारक पर बाध्यकारी।

45.0 **रखरखाव का रजिस्टर**

ठेकेदार को बनाए रखना निम्नलिखित रजिस्टरों के रूप में प्रति संलग्न अभिनय करना पर इसकी साइट काम और चाहिए उत्पादन करना वही के लिए निरीक्षण का केंद्रीय किनारा का भारत /आर्किटेक्ट/कंसल्टेंट जब चाहें, काम पर रख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर को लोकल अथॉरिटी/सरकार की ज़रूरत के हिसाब से समय-समय पर रिकॉर्ड/रजिस्टर भी रखने होंगे।

मुझे पंजीकृत करना होता है के लिए सुरक्षित अग्रिम
ii) पंजीकरण करवाना के लिए बाधा को काम
iii) पंजीकरण करवाना के लिए दौड़ना खाता बिल
iv) पंजीकरण करवाना के लिए श्रम

46.0 **बल घटना**

46.1 न तो कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर और न ही सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया को अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में गलती करने वाला माना जाएगा, अगर ऐसा काम युद्ध, दुश्मनी, क्रांति, दंगे, नागरिक हंगामा, हड़ताल, तालाबंदी, आग, महामारी, दुर्घटना, आग, तूफ़ान, बाढ़, सूखा, भूकंप या अध्यादेश या किसी और वजह से रुकता है या देरी होती है, जो सही कंट्रोल से बाहर हो। की पार्टी को प्रभावित करता है या रोकता है या देरी करता है। हालाँकि, एक नोटिस ज़रूरी है घटना होने के 30 दिनों के अंदर पूरी जानकारी के साथ दी जानी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी पार्टी।

46.2 जैसे ही फ़ोर्स मेज्योर का कारण हट जाता है, जिस पार्टी की अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने की क्षमता पर असर पड़ा है, वह दूसरे पक्ष को ऐसे काम बंद होने और ऐसे काम में हुई असली देरी के बारे में बताएगी और इसके सपोर्ट में ज़रूरी सबूत देगी।

46.3 फोर्स मेज्योर के मामले की तारीख से पार्टी की ज़िम्मेदारियाँ प्रभावित व्यक्ति को किसी भी तरह की अक्षमता के जारी रहने तक सस्पेंड कर दिया जाएगा। देरी की वजह से हुई देरी और उससे होने वाली असमर्थता को दूर किए जाने की स्थिति में, इस समझौते के तहत संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए सहमत समय को ऐसी घटनाओं के कारण हुई देरी की अवधि के बराबर अवधि के लिए बढ़ा दिया जाएगा।

46.4 अगर किसी एक या दोनों पार्टी को 6 महीने या उससे ज़्यादा समय तक स्टेट ऑफ़ फ़ोर्स मेज्योर की वजह से कॉन्ट्रैक्ट की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने से रोका जाता है, तो दोनों पार्टी इस एग्रीमेंट को आगे लागू करने के बारे में आपस में तय करेंगी।

47.0 **स्थानीय कानून, अधिनियमों विनियम:**

कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर को सभी मौजूदा लेबर कानूनों का सख्ती से पालन करना होगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970) और दूसरे सेफ्टी रेगुलेशन शामिल हैं। कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर को सभी लेबर कानूनों के नियमों का पालन करना चाहिए, जिसमें प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए लागू होने वाले एक्ट्स, कानूनों और दूसरे रेगुलेशन की नई ज़रूरतें शामिल हैं।

48.0 **दुर्घटनाओं**

ठेकेदार/विक्रेता किसी भी दुर्घटना की स्थिति में तुरंत साइट पर या काम के दौरान हुई किसी दुर्घटना की रिपोर्ट आर्किटेक्ट/कंसल्टेंट को दें। कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर को भी ऐसी रिपोर्ट तुरंत देनी होगी। जब भी ऐसी रिपोर्ट दर्ज करने की आवश्यकता हो, सक्षम प्राधिकारी को से कानून और उस पर उचित कार्रवाई करें।

49.0 ठेकेदार का करेगा होना अवश्यंभावी को अनुपालन करना अगले प्रावधान में शर्तें का

"भारत सरकार, वित्त मंत्रालय विभाग द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का व्यय अंतर्गत नियम 144 (ग्यारह) का सामान्य वित्तीय नियम 2017 उनके आदेश संख्या एफ. सं. 6/18/2019/पीपीडी दिनांक 23 जुलाई 2020 के अनुसार" निम्नानुसार है;

I. कोई बोली लगाने वाले एक से वह देश जो शेयरों एक भूमि सीमा के साथ भारत इच्छा पात्र बनें को बोली इस निविदा में केवल तभी बोलीदाता सक्षम प्राधिकारी (उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग द्वारा गठित पंजीकरण समिति) के साथ पंजीकृत है व्यापार)।

II. 'बोलीदाता' (जिसमें 'निविदाकर्ता', 'सलाहकार' या कुछ संदर्भों में 'सेवा प्रदाता' शब्द शामिल हैं) का तात्पर्य किसी भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी से है, जिसमें किसी भी सदस्य शामिल हैं कंसोर्टियम या जॉइंट वेंचर (यानी कई लोगों, या फर्मों या कंपनियों का एसोसिएशन), हर आर्टिफिशियल ज्यूडिशियल व्यक्ति जो पहले बताए गए बिडर्स में से किसी में नहीं आता है, जिसमें ऐसे व्यक्ति द्वारा कंट्रोल की जाने वाली कोई भी एजेंसी ब्रांच या ऑफिस शामिल है, जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में हिस्सा ले रहा है।

III. इस मकसद के लिए, "भारत के साथ ज़मीनी सीमा शेयर करने वाले देश (ऐसा देश) से बोली लगाने वाले" का मतलब है:

a. एक इकाई निगमित, स्थापित या दर्ज कराई में ऐसा ए देश; या
b. ए सहायक की एक इकाई निगमित, स्थापित या दर्ज कराई में ऐसा ए देश; या
c. एक इकाई काफी हद तक नियंत्रित के माध्यम से इकाइयां, निगमित, स्थापित या ऐसे देश में रजिस्टर्ड; या
d. एक इकाई किसका लाभकारी मालिक है स्थित में ऐसा ए देश; या
e. एक भारतीय (या अन्य) ऐसे एजेंट एक इकाई; या

f. ए प्राकृतिक व्यक्ति कौन है ए नागरिक का ऐसा ए देश; या
g. ए संघ या संयुक्त उद्यम जहां कोई सदस्य की संघ या संयुक्त उद्यम उपरोक्त में से किसी के अंतर्गत आता है

IV. लाभकारी मालिक के लिए उद्देश्य का (iii) ऊपर इच्छा होना जैसा अंतर्गत:

1. में ए का मामला कंपनी या सीमित देयता साझेदारी, लाभकारी मालिक है प्राकृतिक व्यक्ति(व्यक्तियों), कौन, चाहे अभिनय अकेला या एक साथ, या के माध्यम से एक या अधिक न्यायिक व्यक्ति, जिसके पास कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हो या जो दूसरे तरीकों से कंट्रोल करता हो। स्पष्टीकरण-

a. "नियंत्रण स्वामित्व दिलचस्पी" मतलब स्वामित्व का या हक को अधिक बजाय कंपनी के शेयर या पूंजी या लाभ का पच्चीस प्रतिशत;

b. "नियंत्रण" में अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने या प्रबंधन या नीति निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा, जिसमें उनके शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकार या शेयरधारक समझौतों या मतदान समझौतों के आधार पर शामिल होगा;

2. पार्टनरशिप फर्म के मामले में, बेनिफिशियल ओनर वह नैचुरल पर्सन होता है, जो, चाहे अकेले या एक साथ मिलकर, या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करते हुए, साझेदारी की पूंजी या लाभ के पंद्रह प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हक हो ;

3. किसी असंबद्ध संघ या व्यक्तियों के निकाय के मामले में, लाभकारी स्वामी वह प्राकृतिक व्यक्ति है, जो अकेले या एक साथ कार्य करते हुए, या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से, ऐसे संघ या व्यक्तियों के निकाय की संपत्ति या पूंजी या लाभ के पंद्रह प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी रखता है;

4. कहाँ कोई प्राकृतिक नहीं व्यक्ति के अंतर्गत पहचाना जाता है (1) या (2) या (3) ऊपर, लाभकारी स्वामी वह संबंधित प्राकृतिक व्यक्ति है जो वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी का पद धारण करता है;

5. ट्रस्ट के मामले में, बेनिफिशियल ओनर(ओं) की पहचान में ट्रस्ट के ऑथर, ट्रस्टी, 15 परसेंट या उससे ज़्यादा बेनिफिशियरी की पहचान शामिल होगी। ट्रस्ट में कोई भी व्यक्ति या संस्था या व्यक्ति जो कंट्रोल या ओनरशिप की चेन के ज़रिए ट्रस्ट पर आखिरी असरदार कंट्रोल रखता है।

V. एजेंट वह व्यक्ति होता है जो किसी दूसरे के लिए कोई काम करना, या किसी तीसरे व्यक्ति के साथ लेन-देन में किसी दूसरे का प्रतिनिधित्व करना।

VI. सफल बोली लगाने वाले को किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को काम सब-कॉन्ट्रैक्ट करने की इजाज़त नहीं होगी। ऐसे देश से जो भारत के साथ ज़मीनी सीमा शेयर करता है, जब तक कि ऐसा कॉन्ट्रैक्टर सक्षम अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड न हो।

VII. **"Annexure Q"** के अनुसार एक डिक्लेरेशन-कम-सर्टिफिकेट (सबूत के साथ) जमा करना होगा । ऐसा वैलिड डिक्लेरेशन-कम-सर्टिफिकेट जमा न करने पर बिड रिजेक्ट हो जाएगी।"

अनुलग्नक "क्यू"

बोली लगाने वाले के लेटर हेड पर प्रतिबंधों के संबंध में घोषणा-सह-प्रमाणपत्र किसी देश या देशों के बोलीदाताओं से खरीद, निम्नलिखित आधारों पर भारत में रक्षा ,
या मैटर्स सीधे संबंधित इसके अलावा, शामिल राष्ट्रीय सुरक्षा।

प्रतिबंध अंतर्गत नियम 144 (ग्यारह) का सामान्य वित्तीय नियम 2017 का मंत्रालय का वित्त, भारत आदेश संख्या एफ. सं. 6/18/2019/पीपीडी दिनांक 23 जुलाई 2020

मेरे/हमारे पास है पढ़ना खंड के बारे में प्रतिबंध पर खरीद से एक बोलीदाता का वह देश जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है;

मुझे लगता है हम, बोली लगाने वाले (निर्दिष्ट ~~करें भरा हुआ नाम~~---------- ----------)
सर्टिफ़ाई करें कि हम ऐसे देश से नहीं हैं या, अगर ऐसे देश से हैं, तो रजिस्टर्ड हैं सक्षम प्राधिकारी के साथ।

मुझे लगता है हम इसके द्वारा प्रमाणित वह हम पूरा सभी आवश्यकताएं में यह संबद्ध और है योग्य को होना माना

जाएगा। (ऑथराइज़्ड सिग्नेटरी के सिग्नेचर सील के साथ)

नाम का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता:

पद का नाम का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता:

सूची का सबूत संलग्न करना:

1. सक्षम अधिकारी के पास वैध पंजीकरण के प्रमाणपत्र की प्रति (यदि नहीं हो तो काट दें) लागू)
2. .....
3. .....
4. .....

तारीख:
जगह:

विशेष स्थिति का अनुबंध

1. तकनीकी बोली चाहिए रोकना अगले: -

   a. तकनीकी बोली विधिवत पर हस्ताक्षर किए और सील पर प्रत्येक पृष्ठ.
   b. बैंकर चेक / मांग मसौदा का बयाना धन जमा करना।

   जिस टेक्निकल बिड के साथ ऊपर बताए गए कोई एक या ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, उसे नॉन-रिस्पॉन्सिव बिड माना जाएगा और उसे तुरंत डिसक्वालिफाई कर दिया जाएगा। इस बारे में कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं लिया जाएगा।

2. **कर, कर्तव्य, लेवी वगैरह।** :

   कोट किए गए रेट में काम से जुड़े सभी टैक्स, ड्यूटी, लेवी, रॉयल्टी, फीस, सेस या चार्ज शामिल होंगे, लेकिन इसमें GST शामिल नहीं होगा, जो असल में अप्रूव्ड रेट के ऊपर देना होगा। काम पूरा होने तक टैक्स, ड्यूटी, फीस, लेवी वगैरह (GST को छोड़कर) में अगर कोई बदलाव होता है, तो उसे कोट किए गए रेट में शामिल माना जाएगा और इस वजह से किसी भी हालत में कोई एक्स्ट्रा क्लेम नहीं लिया जाएगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के दौरान अगर कोई नया टैक्स या ड्यूटी या लेवी या सेस या रॉयल्टी या ऑक्ट्रॉय कानूनी कानून के तहत लगाया जाता है, तो उसे कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर को उठाना होगा। **हालांकि, GST का पेमेंट सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया करेगा, जैसा लागू हो।**

3. कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर को आइटम के शेड्यूल, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स, ड्रॉइंग, डिज़ाइन वगैरह की स्टडी करनी होगी। इसके लिए लोकल अथॉरिटी और सप्लाई कंपनी के सभी नियमों और सबमिट करते समय लागू स्टैंडर्ड कोड को ध्यान में रखना होगा। कोमल और करेगा लाना को सूचना बैंक का, जोड़ना या विलोपन, यदि कोई हो, निविदा जमा करने की नियत तिथि से पहले लिखित रूप में करना होगा।

4. **स्वीकार का टेंडर**

   सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया को बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी टेंडर को रिजेक्ट करने का अधिकार होगा। वे सबसे कम या किसी भी टेंडर को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होंगे और टेंडर देने वाले या टेंडर देने वालों को सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के कामों पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं होगा। हालाँकि, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा पूरी पारदर्शिता बनाए रखी जाएगी।

5. **DIMENSIONS और स्तरों**

   ड्राइंग में दिखाए गए सभी डाइमेंशन और लेवल को कॉन्ट्रैक्टर द्वारा वेरिफाई किया जाएगा। और साइट और वह सभी डाइमेंशन और लेवल की एक्यूरेसी और मेंटेनेंस के लिए ज़िम्मेदार होगा। सभी मामलों में फिगर्ड डाइमेंशन एक्सेप्ट किए जाएंगे और डाइमेंशन को स्केल किया जाएगा। बड़े स्केल की डिटेल्स को छोटे स्केल की ड्रॉइंग्स से पहले रखा जाएगा। अगर कोई अंतर हो तो कॉन्ट्रैक्टर काम शुरू करने से पहले आर्किटेक्ट / कंसल्टेंट से क्लैरिफिकेशन मांगेगा।

6. **सूचना का संचालन**

कॉन्ट्रैक्टर आर्किटेक्ट/कंसल्टेंट की सहमति के बिना कोई भी ज़रूरी काम नहीं करेगा:

7. **निर्माण अभिलेख**

कॉन्ट्रैक्टर को सभी नए काम के डाइमेंशन और पोजीशन का पूरा और सही रिकॉर्ड रखना होगा और आर्किटेक्ट/कंसल्टेंट को देना होगा, साथ ही कंस्ट्रक्शन के तौर पर काम की डिटेल्स रिकॉर्ड करने वाली पूरी ड्राइंग तैयार करने के लिए ज़रूरी कोई भी दूसरी जानकारी भी देनी होगी।

8. **सुरक्षा का नज़दीक संरचनाएं और पेड़ों**

कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट/कंसल्टेंट की मंज़ूरी से, सभी स्ट्रक्चर और पेड़ों को बचाने के लिए ज़रूरी सपोर्ट देगा और लगाएगा, जो काम के दौरान खतरे में पड़ सकते हैं या पेड़ को बचाने के लिए आर्किटेक्ट को ज़रूरी पक्के उपाय करने होंगे। संरचनाएं।

9. **अस्थायी काम करता है**

कोई भी टेम्पररी काम शुरू करने से पहले, कॉन्ट्रैक्टर को काम पूरा करने के लिए ज़रूरी सभी टेम्पररी कामों की पूरी ड्राइंग अप्रूवल के लिए आर्किटेक्ट/कंसल्टेंट को कम से कम पहले जमा करनी होगी। अगर आर्किटेक्ट/कंसल्टेंट को ज़रूरत हो, तो कॉन्ट्रैक्टर मज़बूती से जुड़े बदलाव करेगा। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के अनुसार, कॉन्ट्रैक्टर अपने खर्च पर सभी टेम्पररी कामों और अधूरे कामों की स्टेबिलिटी और सेफ्टी के लिए और उनके काम के लिए आखिर में अपनाए गए अरेंजमेंट से होने वाले परमानेंट कामों की क्वालिटी के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार होगा।

10. **पानी शक्ति और अन्य सुविधाएं**

a) कॉन्ट्रैक्टर जो रेट बताएगा, उसमें सभी ज़रूरी खर्चे शामिल होंगे। काम के लिए ज़रूरी सारा पानी देने के लिए और कॉन्ट्रैक्टर को कंस्ट्रक्शन के लिए सही अच्छी क्वालिटी का पानी और अपने मज़दूरों के लिए अच्छी क्वालिटी का पीने का पानी सप्लाई करने का अपना इंतज़ाम खुद करना होगा। अगर ज़रूरी हो, तो कॉन्ट्रैक्टर को इस काम के लिए अपने खर्चे पर एक ट्यूबवेल/खुला कुआँ खोदना होगा और टैंकरों से पानी लाना होगा। सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ऊपर बताए गए कामों के लिए कोई चार्ज नहीं देगा।

b) टेंडर में दिए गए रेट में बिजली कनेक्शन लेने और उसे बनाए रखने का खर्च शामिल होगा और कंजम्प्शन चार्ज का पेमेंट भी करना होगा।

c) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सीधे नियुक्त अन्य ट्रेडों के ठेकेदारों को हकदार होना लेना शक्ति और पानी के कनेक्शन से हालांकि, संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई लेने का अपना इंतज़ाम खुद करना होगा और आपसी सहमति से तय रेट पर असल खपत का चार्ज सीधे देना होगा। कंस्ट्रक्शन के कामों के लिए ड्रेनेज और पानी के कनेक्शन के सभी म्युनिसिपल चार्ज करेगा होना जनित द्वारा contactor और प्रभार देय के लिए स्थायी

कनेक्शन , अगर कोई भी, करेगा होना शुरू में भुगतान किया गया संपर्ककर्ता द्वारा और यह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रसीदें दिखाने पर रकम वापस कर दी जाएगी

d) सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया और आर्किटेक्ट/कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर को ज़रूरी परमिशन लेने में हर मुमकिन मदद देंगे। विभिन्न प्राधिकरण, लेकिन ज़िम्मेदारी प्राप्त करने के लिए वही समय पर ठेकेदार का होगा

11. **सुविधाएँ के लिए ठेकेदार का कर्मचारी**

ठेकेदार को इसके लिए खुद व्यवस्था करनी होगी। अपने स्टाफ़ और काम करने वालों के रहने और उनकी भलाई के लिए, जिसमें पीने के पानी की सही सुविधा भी शामिल है। कॉन्ट्रैक्टर को अपने स्टाफ़ और काम करने वालों के लिए काम की जगह तक आने-जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम भी अपने खर्च पर करना होगा, जहाँ ज़रूरी हो।

12. **प्रकाश व्यवस्था का काम करता है**

ठेकेदार हर समय पर्याप्त प्रदान करें और स्वीकृत प्रकाश व्यवस्था आवश्यक काम के सही तरीके से काम करने, सुपरविज़न और इंस्पेक्शन के लिए।

13. **अग्निशमन व्यवस्था**

i) ठेकेदार को अपने यहां आग बुझाने के लिए सही व्यवस्था करनी होगी। लागत। इस उद्देश्य के लिए उसे आवश्यक संख्या में आग बुझाने वाले यंत्र उपलब्ध कराने होंगे। और पर्याप्त संख्या में बाल्टियाँ, जिनमें से कुछ हमेशा रखा जाता है रेत और कुछ पानी से भरा यह इक्विपमेंट सही, साफ़ और आसानी से मिलने वाली जगह पर दिया जाएगा और इसका ठीक से मेंटेनेंस किया जाएगा।

ii) फायर सेफ्टी में कोई भी कमी या असुरक्षित हालात को कॉन्ट्रैक्टर अपने खर्च पर और संबंधित अधिकारियों की मंज़ूरी से ठीक करेगा। कॉन्ट्रैक्टर अपने खर्च पर ये इंतज़ाम करता है, लेकिन सिर्फ़ यहीं तक सीमित नहीं है:

a) उचित हैंडलिंग, भंडारण और निपटान का दहनशील सामग्री और बरबाद करना।
b) काम संचालन कौन कर सकना बनाएं आग खतरे.
c) पहुँच के लिए आग बुझाने के उपकरण।
d) प्रकार, संख्या और स्थान कंटेनरों के लिए का निष्कासन फालतू सामान और कचरा।
e) प्रकार, आकार, संख्या और जगह का आग बुझाने या अन्य थका देना लड़ाई करना उपकरण।
f) सामान्य घर रखते हुए

14. **साइट आदेश किताब**

/ कंसल्टेंट के बीच जल्दी बातचीत के लिए साइट पर एक साइट ऑर्डर बुक रखी जाएगी । काम से जुड़ा कोई भी कम्युनिकेशन साइट ऑर्डर बुक में रिकॉर्ड के ज़रिए किया जा सकता है। किसी एक से ऐसा कम्युनिकेशन दूसरे पक्ष को यह माना जाएगा कि उसे पर्याप्त रूप से सेवा दी गई है प्रत्येक साइट ऑर्डर बुक में मशीन द्वारा क्रमांकित तीन पृष्ठ होंगे और ठेकेदार द्वारा सावधानीपूर्वक बनाए रखा जाएगा और संरक्षित किया जाएगा और मांगे जाने पर वास्तुकार / सलाहकार को उपलब्ध कराया जाएगा - कोई भी निर्देश जो आर्किटेक्ट/कंसल्टेंट चाहे तो कॉन्ट्रैक्टर को ऐसे इंस्ट्रक्शन दे सकता है या कॉन्ट्रैक्टर चाहे तो आर्किटेक्ट/कंसल्टेंट के पास ऐसे इंस्ट्रक्शन की दो कॉपी ले सकता है। साइट ऑर्डर बुक की एक कॉपी पार्टी को सही पावती के साथ दे दी जाएगी और दूसरी कॉपी उनके रिकॉर्ड के लिए रख ली जाएगी।

15. **अस्थायी बाड़ लगाना/ बैरिकेडिंग**

कॉन्ट्रैक्टर को अपने खर्च पर सही टेम्पररी फेंसिंग / बैरिकेडिंग और गेट लगाने होंगे और उनकी देखभाल करनी होगी ताकि जनता की सुरक्षा और काम को ठीक से करने और सुरक्षा के लिए साइट की सभी सीमाओं को ठीक से घेरा जा सके। यह आर्किटेक्ट/कंसल्टेंट की ज़रूरत और लोकल अधिकारियों के नियमों के हिसाब से होगा। इन्हें समय-समय पर ज़रूरत के हिसाब से बदला, दूसरी जगह लगाया और अपनाया जाएगा और काम पूरा होने पर हटा दिया जाएगा।

16. **साइट बैठक**

साइट मीटिंग्स होंगी समीक्षा प्रगति और गुणवत्ता मूल्यांकन। कॉन्ट्रैक्टर साइट रिप्रेजेंटेटिव और दूसरे स्टाफ के साथ एक सीनियर रिप्रेजेंटेटिव को भी नियुक्त करेगा। अप्रूव्ड सब-कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर को साइट मीटिंग में बुलाना और सभी फॉलो-अप एक्शन पक्का करना। अगर आर्किटेक्ट/कंसल्टेंट को ज़रूरत हो तो कोई और रिव्यू मीटिंग भी की जाएगी। -

17. **निपटान का अस्वीकार करना**

कॉन्ट्रैक्टर काम से निकलने वाले सभी मलबे, कचरे वगैरह को साइट से हटा देगा और आर्किटेक्ट/कंसल्टेंट के कहने पर उसे अपने खर्च पर जमा कर देगा। यह कॉन्ट्रैक्टर की ज़िम्मेदारी है कि वह संबंधित लोकल अधिकारियों से यह पक्का करे कि कॉन्ट्रैक्टर के कामों से निकलने वाला सारा कचरा साइट पर ही फेंक दिया जाए। कंस्ट्रक्शन साइट या किसी दूसरी ऑफ-साइट एक्टिविटी के दौरान इस्तेमाल किए गए गड्ढों को ठीक से डिस्पोज़ कर दिया गया है।

18. **ठेकेदार को सत्यापित करें साइट माप**

जब भी दूसरे स्पेशलिस्ट कॉन्ट्रैक्टर या दूसरे सब-कॉन्ट्रैक्टर से कहा जाए, तो कॉन्ट्रैक्टर को साइट के सभी मेज़रमेंट चेक और वेरिफ़ाई करने होंगे, ताकि वे खुद तैयारी कर सकें। दुकान ड्राइंग और उत्तीर्ण जानकारी पर पर्याप्त तत्परता के साथ जैसा में होगा कोई काम में देरी हो सकती है।

19. **प्रदर्शित नाम का काम**

कॉन्ट्रैक्टर को आर्किटेक्ट/कंसल्टेंट के बताए अनुसार सही साइज़ का एक नेम बोर्ड लगाना होगा, जिसमें प्रोजेक्ट का नाम और आर्किटेक्ट/कंसल्टेंट द्वारा दी गई दूसरी जानकारी अपने खर्च पर लिखनी होगी और काम पूरा होने पर उसे हटा देना होगा।

20. **जैसा निर्मित चित्र**

i. आर्किटेक्ट / कंसल्टेंट द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को जारी की गई ड्रॉइंग के लिए। आर्किटेक्ट कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर को उन चीज़ों के लिए ड्रॉइंग के दो सेट जारी करेगा जिनमें कुछ बदलाव किए गए हैं। CENTRAL BAN OF INDIA / आर्किटेक्ट / कंसल्टेंट के निर्देशानुसार अप्रूव्ड ड्रॉइंग से। कॉन्ट्रैक्टर इन कॉपी में किए गए बदलाव करेगा और इन कॉपी को आर्किटेक्ट / कंसल्टेंट को उनकी मंज़ूरी के लिए वापस कर देगा। अगर बदलाव की ज़रूरत है या सुधार ठीक से मार्क नहीं किए गए हैं, तो आर्किटेक्ट / कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्टर को कमियों के बारे में बताएगा। कॉन्ट्रैक्टर को इन सुधारों को शामिल करना होगा और/या आर्किटेक्ट / कंसल्टेंट के निर्देशानुसार कॉपियों में कमियों को ठीक करना होगा और मंज़ूरी के लिए उसे दोबारा जमा करना होगा। आर्किटेक्ट / कंसल्टेंट एक कॉपी को ठीक से मंज़ूरी देकर वापस कर देगा ।

ii. के लिए चित्र तैयार द्वारा ठेकेदार

कॉन्ट्रैक्टर अपने बनाए ड्राइंग में बदलाव करेगा, जहाँ भी बदलाव किए गए हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया / आर्किटेक्ट / कंसल्टेंट द्वारा। और ऐसी बदली हुई ड्राइंग की दो कॉपी अप्रूवल के लिए आर्किटेक्ट / कंसल्टेंट को जमा करें। आर्किटेक्ट / कंसल्टेंट अप्रूव्ड ड्राइंग की एक कॉपी कॉन्ट्रैक्टर को वापस कर देगा।

21. **अनुमत बनाना**

कॉन्ट्रैक्टर को अप्रूव्ड मेक की लिस्ट से सारा सामान अपने खर्च पर देना होगा और टेंडर में बताई गई वॉटरप्रूफिंग, एंटी-टर्माइट, एल्यूमीनियम के दरवाज़े और खिड़कियों और किसी भी दूसरी चीज़ के लिए स्पेशल एजेंसी भी अपॉइंट करनी होगी। आर्किटेक्ट/कंसल्टेंट सैंपल/मॉक अप के इंस्पेक्शन के बाद टेंडर में दी गई अप्रूव्ड लिस्ट में से किसी भी मेक/एजेंसी को अप्रूव कर सकता है।

22. **खरीद का सामग्री**

कॉन्ट्रैक्टर को काम के लिए सभी ज़रूरी सामान खरीदने का इंतज़ाम खुद करना होगा। सारी बर्बादी और वज़न में कमी कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में जाएगी।

23. **उत्पाद शुल्क कर्तव्य, कर, लेवी आदि ;**

ठेकेदार कार्यों के संबंध में सभी करों, शुल्कों, लेवी, रॉयल्टी, फीस, उपकर या प्रभारों का भुगतान करेगा और उनके भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें निम्न शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। बिक्री कर, कार्य अनुबंध पर कर, उत्पाद शुल्क और चुंगी , के संबंध में देय कॉन्टैक्ट के लिए ज़रूरी मटीरियल, इक्विपमेंट प्लांट और दूसरी चीज़ें। उपरोक्त कर, शुल्क, लेवी, फीस और प्रभार ठेकेदार के खाते और केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया को कोई अतिरिक्त या भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी इस पर अतिरिक्त राशि

अकाउंट। काम पूरा होने तक टैक्स, ड्यूटी, फीस, लेवी वगैरह में अगर कोई बदलाव होता है, तो उसे कोट किए गए रेट में शामिल माना जाएगा और इस अकाउंट पर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लिया जाएगा। काम पूरा होने तक टैक्स, ड्यूटी, फीस, लेवी वगैरह में अगर कोई बदलाव होता है, तो उसे कोट किए गए रेट में शामिल माना जाएगा और इस अकाउंट पर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लिया जाएगा। किसी भी मामले पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट के दौरान कानूनी कानून के तहत कोई नया टैक्स या ड्यूटी या लेवी या सेस या रॉयल्टी या ऑक्ट्रॉय लगाया जाता है, तो उसे ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा।

24. **तस्वीरें:**

- कॉन्ट्रैक्टर अपने खर्च पर आर्किटेक्ट को काम की कम से कम 25 cm x 20 cm (10" x 8") बड़ी तस्वीरों की डुप्लीकेट हार्ड कॉपी देगा। हर बिल्डिंग के दो मंज़ूर हिस्सों से, काम के दौरान या कंस्ट्रक्शन के हर ज़रूरी स्टेज पर एक महीने से ज़्यादा के गैप पर नहीं लिया जाएगा।

- इसके अलावा, कॉन्ट्रैक्टर को प्रोजेक्ट क्लियरिंग के लिए हर रनिंग बिल के साथ साइट की ज़रूरी तस्वीरें जमा करनी होंगी, जिसमें काम की बड़ी प्रोग्रेस दिखाई गई हो, जिसे मापा गया हो और उसमें क्लेम किया गया हो। ऐसा न करने पर आर्किटेक्ट/सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया बिल कॉन्ट्रैक्टर को वापस करने पर विचार कर सकता है और कोई क्लेम नहीं किया जा सकेगा। इस वजह से देरी होने पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

सामग्री समझौते का

(पर गैर न्यायिक टिकट रुपये का कागज 500/- या जैसा नवीनतम के अनुसार सरकारी नियम

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका क्षेत्रीय कार्यालय है, के बीच समझौते ___के लेख_____ नासिक में जिसे आगे कहा जाएगा "ग्राहक" वन पार्ट और एम/एस.

_____

_____

जबकि भारतीय केंद्रीय बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) भवन की प्रस्तावित निर्माण दीवार के लिए इच्छुक है नागांव , धुले , महाराष्ट्र। और किए जाने वाले काम के बारे में बताने वाले स्पेसिफिकेशन्स सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया से तैयार करवाए हैं।

और जबकि कहा चित्र क्रमांकित _____ इसमें _____शामिल है, स्पेसिफिकेशन्स और क्वांटिटीज़ के शेड्यूल पर पार्टियों की ओर से या उनके द्वारा साइन किए गए हैं।

और जबकि कॉन्ट्रैक्टर ने यहां बताई गई शर्तों और स्पेशल शर्तों और कॉन्ट्रैक्ट की मात्रा और शर्तों के शेड्यूल में बताई गई शर्तों (जिन्हें एक साथ "कही गई शर्तें" कहा गया है) के तहत और उनके तहत, बताई गई ड्रॉइंग में दिखाए गए और/या बताई गई स्पेसिफिकेशन्स में बताए गए और मात्रा के शेड्यूल में शामिल कामों को, उसमें बताई गई संबंधित दरों पर पूरा करने के लिए सहमति दी है, जो उसमें तय रकम के बराबर है और ऐसी दूसरी रकम जो उसके तहत देनी होगी (जिसे आगे "कही गई कॉन्ट्रैक्ट रकम" कहा गया है)।

अब यह है इसके द्वारा मान गया निम्नलिखित नुसार :

1) बताई गई शर्तों में बताए गए समय और तरीके से पेमेंट की जाने वाली कॉन्ट्रैक्ट रकम के बदले में, कॉन्ट्रैक्टर बताई गई शर्तों के तहत, बताई गई ड्रॉइंग में दिखाए गए और बताई गई स्पेसिफिकेशन्स और तय क्वांटिटीज़ के शेड्यूल में बताए गए काम को पूरा करेगा।

2) एम्प्लॉयर, कॉन्ट्रैक्टर को बताई गई कॉन्ट्रैक्ट रकम, या कोई दूसरी रकम जो देने लायक हो, शर्तों में बताए गए समय पर और तरीके से देगा।

3) शब्द "आर्किटेक्ट्स" कहा स्थितियाँ करेगा अर्थ **मेसर्स संदीप गोवलकर डिज़ाइन एसोसिएट्स,** या किसी भी कारण से इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उनके आर्किटेक्ट न रहने की स्थिति में, ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को एम्प्लॉयर द्वारा उस उद्देश्य के लिए नामित किया जाएगा, जो ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिस पर कॉन्ट्रैक्टर उन कारणों से आपत्ति करेगा जिन्हें एम्प्लॉयर पर्याप्त मानता है, बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति या बाद में व्यक्तियों नियुक्त किया गया इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आर्किटेक्ट बनें का हकदार होगा

4) जाने वाले आर्किटेक्ट्स द्वारा लिखे गए या दिए गए किसी भी पिछले फैसले या मंज़ूरी या निर्देश को फिलहाल नज़रअंदाज़ करना या रद्द करना।

5) बताई गई शर्तें और उसके अपेंडिक्स को इस एग्रीमेंट का हिस्सा माना जाएगा, और इसमें शामिल पार्टियां अपनी-अपनी तरफ से बताई गई शर्तों को मानेंगी और अपनी-अपनी तरफ से एग्रीमेंट को पूरा करेंगी।

6) कॉन्ट्रैक्ट का आधार होंगे ।

7) यह कॉन्ट्रैक्ट न तो एक तय एकमुश्त कॉन्ट्रैक्ट है और न ही पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, बल्कि यह पूरे बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के काम को पूरा करने का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका पेमेंट असल में मापी गई मात्रा के हिसाब से, क्वांटिटी और रेट्स के शेड्यूल में दिए गए रेट पर या बताई गई शर्तों में दिए गए रेट पर किया जाएगा।

8) कॉन्ट्रैक्टर को सिविल काम, लिफ्ट, टेलीफोन, बिजली के इंस्टॉलेशन, फिटिंग, एयर-कंडीशनिंग और दूसरे सहायक कामों से जुड़े सभी कामों को शर्तों में बताए गए तरीके से करने के लिए हर ज़रूरी सुविधा देनी होगी, और काम पूरा होने के बाद दीवारों, फर्श वगैरह को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई करनी होगी।

9) एम्प्लॉयर इस कॉन्ट्रैक्ट पर बिना किसी नुकसान के, काम के किसी भी आइटम को जोड़कर या हटाकर या उसके कुछ हिस्सों को करवाकर, काम की ड्राइंग और नेचर को बदलने का अधिकार अपने पास रखता है।

10) इस कॉन्ट्रैक्ट में समय को सबसे ज़रूरी माना जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर इस बात से सहमत है कि वह साइट उसे सौंपे जाने के तुरंत बाद या शर्तों के अनुसार, फॉर्मल वर्क ऑर्डर जारी होने की तारीख के 14 वें दिन से, जो भी बाद में हो, काम शुरू कर देगा और समय बढ़ाने के नियमों के तहत **90 दिनों** के अंदर पूरा काम पूरा कर देगा।

11) इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा सभी पेमेंट सिर्फ़ नासिक में किए जाएंगे।

12) इस एग्रीमेंट से जुड़े या उससे जुड़े सभी झगड़े नासिक में ही हुए माने जाएंगे और उन्हें तय करने का अधिकार सिर्फ़ नासिक की कोर्ट को होगा ।

13) इस कॉन्ट्रैक्ट के कई हिस्सों को कॉन्ट्रैक्टर ने पढ़ लिया है और पूरी तरह समझ लिया है।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

में गवाह जिसका नियोक्ता और ठेकेदार पास होना तय करना उनका इन तोहफ़ों और इनकी दो डुप्लीकेट के साथ, ऊपर लिखे दिन और साल के बारे में अपने-अपने हाथ से।

हस्ताक्षर खंड

हस्ताक्षर और पहुंचा दिया द्वारा

_____द्वारा (
नियोक्ता)

श्री का _____हाथ

_____ (हस्ताक्षर का नियोक्ता)
(नाम और पदनाम)

में उपस्थिति का :

1) श्री / श्रीमती _____ (हस्ताक्षर) का गवाह का

पता _____

_____
(गवाह)

हस्ताक्षर और पहुंचा दिया द्वारा

_____ से
(ठेकेदार) (हस्ताक्षर का ठेकेदारों)

में उपस्थिति का :

श्री / श्रीमती _____ (हस्ताक्षर का गवाह का पता

_____

_____
(गवाह)

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

फर्म/कॉन्ट्रैक्टर द्वारा दी जाने वाली गारंटी का फॉर्मेट का काम का पूर्व निर्माण दीमक-रोधी इलाज वर्टिकल पोस्ट की नींव के लिए।

(पर गैर न्यायिक टिकट रुपये का कागज 500/- या जैसा नवीनतम के अनुसार सरकारी नियम

यह समझौता _____दो हज़ारवें _____दिन हुआ_____क्षेत्रीय प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नासिक क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक के बीच एक भाग और

_____

दूसरे हिस्से की फर्म/कॉन्ट्रैक्टर (जिसे आगे गारंटर कहा जाएगा) का नाम।

जबकि यह एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट (जिसे आगे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा, जो

_____

एक तरफ के एम्प्लॉयर और दूसरी तरफ के गारंटर के बीच हुआ है) का सप्लीमेंट्री है, जिसके तहत फर्म/कॉन्ट्रैक्टर आपस में जुड़े हुए चलाया को प्रदान करना इमारत/ संरचना पूरी तरह मुक्त दीमक के किसी भी संक्रमण की, और जबकि गारंटर इस आशय की गारंटी देने के लिए सहमत हुए वह कहा इमारत/ संरचना करेगा अवशेष मुक्त से संक्रमण के लिए अवधि आईएस कोड के अनुसार निर्माण-पूर्व दीमक रोधी उपचार के पूरा होने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि।

अब गारंटर इस गारंटी के समय के दौरान और एम्प्लॉयर की संतुष्टि के लिए सभी कमियों को ठीक करने और बिल्डिंग/स्ट्रक्चर को दीमक के किसी भी इन्फेक्शन से मुक्त करने के लिए सहमत है। गारंटर इस तरह के सुधार को करने के लिए भी सहमत है। अपने खर्चे पर काम करना होगा, और एम्प्लॉयर से नोटिस मिलने की तारीख से एक हफ़्ते के अंदर कमियों को ठीक करना होगा।

अगर गारंटर ऊपर दिए गए नोटिस के मुताबिक काम शुरू नहीं कर पाता है, तो गारंटर द्वारा खर्च के बारे में एम्प्लॉयर का फैसला आखिरी और ज़रूरी होगा। अगर काम दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से करवाया जाता है, तो अगर गारंटर कंस्ट्रक्शन से पहले दीमक-रोधी ट्रीटमेंट करने में फेल हो जाता है या उसका उल्लंघन करता है, तो गारंटर प्रिंसिपल और उसके वारिसों को सभी नुकसान, नुकसान, खर्चों के लिए हर्जाना देगा, जो उसे किसी भी वजह से या इस एग्रीमेंट के पालन और परफ़ॉर्मेंस में गारंटर की तरफ़ से किसी भी डिफ़ॉल्ट की वजह से हुए हों, और एम्प्लॉयर को हुए नुकसान और/या नुकसान और/या खर्च की रकम के बारे में, एम्प्लॉयर का फ़ैसला। एम्प्लॉयर का फ़ैसला फ़ाइनल और बाइंडिंग होगा।

में गवाह कहाँ का इन प्रस्तुत करता है पास होना निष्पादित द्वारा दायित्वकर्ता और द्वारा

_____ और

नियोक्ता की ओर से ऊपर लिखे गए पहले दिन, महीने और वर्ष को, हस्ताक्षरित

और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वितरित,

_____

की उपस्थिति में _____

_____

हस्ताक्षरित और हाथों द्वारा वितरित_____

ठेकेदार _____

की उपस्थिति में _____

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

सुरक्षा कोड

1. फर्स्ट एड के सामान, जिसमें स्टेरिलाइज़्ड ड्रेसिंग और रूई की सही सप्लाई शामिल है, को आसानी से मिलने वाली जगह पर रखा जाना चाहिए।

2. घायल व्यक्ति को बिना समय गंवाए सरकारी अस्पताल ले जाना चाहिए, ऐसे मामलों में जब चोट के कारण अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत हो।

3. जो काम ज़मीन से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते, उनके लिए काम करने वालों को सही और मज़बूत मचान दिए जाने चाहिए।

4. कोई भी पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी 8 मीटर से ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। साइड रेल के बीच की चौड़ाई 30 cm (साफ़) से कम नहीं होनी चाहिए और दो आस-पास की चलने वाली सीढ़ियों के बीच की दूरी 30 cm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है तो एक एक्स्ट्रा मज़दूर सीढ़ी पकड़ने के लिए लगाया जाएगा।

5. खुदाई का सामान खाई के किनारे से 1.5 मीटर के अंदर नहीं रखा जाएगा, खाई की आधी गहराई के अंदर, जो भी ज़्यादा हो। सभी खाइयों और खुदाई वाली जगहों पर ज़रूरी फेंसिंग और लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी।

6. किसी बिल्डिंग के फ़र्श या काम करने वाले प्लेटफ़ॉर्म में हर खुली जगह पर लोगों या सामान को गिरने से बचाने के लिए सही तरीके होने चाहिए। इसके लिए सही फ़ेंसिंग या रेलिंग लगानी चाहिए, जिसकी कम से कम ऊंचाई एक मीटर हो ।

7. किसी भी फर्श, छत या संरचना के अन्य हिस्से पर इतना अधिक मलबा या भार नहीं डाला जाना चाहिए सामग्री को इतना असुरक्षित बना देता है कि वह असुरक्षित हो जाती है।

8. डामर, सीमेंट, मोर्टार, कंक्रीट और चूने जैसे मटीरियल को मिलाने और संभालने वाले मज़दूरों को सुरक्षा वाले जूते और रबर के दस्ताने दिए जाएंगे।

9 वेल्डिंग के काम में लगे लोगों को वेल्डर की सुरक्षा के लिए आई शील्ड और ग्लव्स दिए जाएंगे।

10. (i) सीसा या सीसा उत्पादों से युक्त किसी भी पेंट का उपयोग पेस्ट रेडीमेड पेंट के रूप में ही किया जाएगा।
(ii) उपयुक्त चेहरे का मास्क चाहिए होना आपूर्ति के लिए उपयोग द्वारा श्रमिकों कब स्प्रे के रूप में लगाया गया पेंट या लेड पेंट वाली सतह को सूखा रगड़कर खुरच दिया जाता है।

11. ओवरऑल कॉन्ट्रैक्टर द्वारा सप्लाई किए जाएंगे। चित्रकार और पर्याप्त काम बंद होने के दौरान काम करने वाले पेंटरों को नहाने के लिए सुविधाएं दी जाएंगी।

12 उत्थापन मशीनों और जूझना इस्तेमाल किया गया में काम करता है शामिल उनका संलग्नक एंकर और सपोर्ट एकदम सही हालत में होने चाहिए।

13. सामान को ऊपर उठाने या नीचे करने या लटकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली रस्सियाँ टिकाऊ क्वालिटी की और सही मज़बूत होनी चाहिए और उनमें कोई खराबी नहीं होनी चाहिए।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

परिशिष्ट इसमें इसके निर्दिष्ट को

कॉन्ट्रैक्ट देने वाली संस्था का नाम: रीजनल मैनेजर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नासिक रीजनल ऑफिस प्लॉट नंबर P-63, MIDC सतपुर नासिक- 422007।

1)	सलाहकार	:	मेसर्स. संदीप गोवलकर डिज़ाइन एसोसिएट्स आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर। ए3/301-302, शिवछाया, गिल्बर्ट हिल सड़क, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई - 400 058 इंडिया. TLFX: 91- 8828121133 गतिमान: 98211 73563/ 9969699169
2)	साइट पता	:	नागांव, धुले महाराष्ट्र
3)	कार्य का दायरा कार्य	:	सिविल निर्माण , आंतरिक भाग & संबंधित संबद्ध
4)	का नाम ठेकेदार	:	---------- - ---------- ----------
5)	पता की ठेकेदार	:	---------- - ----------
6)	पीरियड पूरा होने का	:	36 दिन से तारीख का प्रारंभ
		7)	बयाना राशि जमा : रु.40,000/- (रुपये चालीस हज़ार केवल) द्वारा मतलब का मांग मसौदा / भुगतान आदेश (इसके लिए मान्य 90 की अवधि दिन से अंतिम तारीख का जमा करना का निविदा) से कोई अनुसूचित व्यावसायिक किनारा अनिर्णित में कृपादृष्टि का केंद्रीय किनारा का भारत और देय नासिक में .
8)	अवधारण धन	:	जैसा प्रति खंड संख्या 11(ए) सामान्य स्थितियाँ
9)	दोष के देयता अवधि	:	बारह महीने से तारीख का आभासी समापन।
10)	नष्ट हर्जाना	:	0.5% का अनुबंध मात्रा दिखाया

			में टेंडर प्रति सप्ताह विषय को अधिकतम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू या असल फ़ाइनल बिल वैल्यू का 5%।
11)	कीमत का अन्तरिम बिल (न्यूनतम)	:	रु . 10.00 लाखों।
12)	की तारीख प्रारंभ	:	7 दिन से तारीख का स्वीकार पत्र है / या जिस दिन कॉन्ट्रैक्टर को कब्ज़ा लेने का निर्देश दिया जाता है का साइट इनमें से जो भी है पहले।
13)	अवधि का अंतिम माप	:	3 (तीन) महीने से तारीख का आभासी समापन।
14)	प्रारंभिक सुरक्षा जमा	:	2% का स्वीकृत का मूल्य टेंडर। (धारा नहीं। 22)
15)	कुल सुरक्षा जमा	:	प्रति खंड सं. 2 का जीसीसी
16)	धनवापसी का प्रारंभिक सुरक्षा जमा शामिल का ईएमडी और ISD.	:	50% का सुरक्षा जमा करेगा होना काम पूरा होने पर कॉन्ट्रैक्टर को रिफंड कर दिया जाएगा और बाकी रकम डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड खत्म होने के बाद ही रिफंड की जाएगी।
17)	अवधि के लिए सम्मान प्रमाणपत्र	:	1. एक माह आरए बिलों के लिए 2. फाइनल बिल कॉन्ट्रैक्टर जमा करेगा अंदर एक महीना का काम पूरा करने की तारीख तय की जाएगी और बिल को आखिरी बिल मिलने की तारीख से 3 महीने के अंदर सर्टिफ़ाई किया जाएगा , बशर्ते बिल सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स/टेस्ट के साथ जमा किए जाएं। रिपोर्टों वगैरह। निर्धारित टेंडर में।

.

_____

हस्ताक्षर का निविदाकर्ता. तारीख:

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

अनुक्रमणिका के प्रोफार्मा विभिन्न परीक्षण

तालिका सं.	विवरण	पृष्ठ नहीं।
1.	का रिकॉर्ड सीमेंट/प्राप्त/प्रयुक्त/शेष।	
2.	प्रोफार्मा का पेंट/लेड/CICO रजिस्टर।	
3.	किनारा के लिए सुदृढीकरण बार्स प्राप्त हुए।	
4.	प्रोफार्मा के लिए पंजीकरण करवाना सामग्री का साइट के खाता।	
5.	प्रोफार्मा के लिए खाता का सुरक्षित एडवांस रजिस्टर.	
6.	प्रोफार्मा बल्केज के लिए परीक्षा का रेत रजिस्टर.	
7.	प्रोफार्मा गाद परीक्षण के लिए पंजीकरण करवाना।	
8.	प्रोफार्मा के लिए चलनी विश्लेषण का अच्छा सकल पंजीकरण करवाना।	
9.	प्रोफार्मा के लिए चलनी विश्लेषण बिलकुल समग्र रजिस्टर.	
10.	प्रोफार्मा के लिए मंदी टेस्ट रजिस्टर.	
11.	प्रोफार्मा का घनक्षेत्र टेस्ट रजिस्टर.	
12.	प्रोफार्मा के लिए बाधा काम।	
13.	प्रोफार्मा के लिए दौड़ना खाता बिल.	
14.	खाता का सुरक्षित अग्रिम अगर स्वीकार्य पर	
15.	सामग्री आयोजित पर साइट द्वारा ठेकेदारों	
16.	ज्ञापन के लिए भुगतान।	

तालिका- I

अभिलेख सीमेंट का प्राप्त / उपयोग / शेष

एस। नहीं।	सीमेंट स्टॉक बैग	सीमेंट प्राप्त (बैग)	कुल प्राप्त सीमेंट (बैग में)	Source4 जिससे प्राप्त हुआ	काम का विवरण जहाँ सीमेंट का उपयोग किया जाता है	संख्या खपत किए गए सीमेंट बैगों का	स्टॉक में शेष राशि	हस्ताक्षर कॉन्ट्रैक्टर्स बैंक का / अभियंता
1	2	3	4	5	6	7	8	9

SEAL & SIGN OF TENDERER

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

तालिका- II

अभिलेख का रँगना / नेतृत्व करना / सीआईसीओ रजिस्टर

नाम काम का :

नाम का ठेकेदार :

समझौता नहीं। :

तारीख प्राप्ति का	स्रोत रसीद संदर्भ के साथ टी . SO/In के लिए काटने का निशान	मात्रा प्राप्ति डी	ठेला रेस्सी वे कुल	जिस काम के लिए जारी किया गया है लगभग के मामले में किए गए काम की मात्रा रँगना केवल	डैट जारी करने का ई तों	मात्रा इस्सू एड	लौटाई गई मात्रा d पर के अंत दिन	कुल अंक यूई डी	विलंब संतुलन ई हाथ में	ठेकेदार के आद्याक्षर	साइट इंजीनियर के आद्याक्षर	इसका हस्ताक्षर बैंक/ वास्तुकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

पंजीकरण करवाना के लिए अस्फ़ाल्ट चाहिए होना बनाए रखा। प्रारूप इच्छा होना समान को वह सीमेंट के लिए .

SEAL & SIGN OF TENDERER

तालिका- III

अभिलेख के लिए सुदृढीकरण बार्स प्राप्त

ट्रक नं.	चालान संख्या	नाम आपूर्तिकर्ता का	बाइंडिंग तार	6 मिमी व्यास	8 मिमी व्यास	12 मिमी व्यास	16 मिमी व्यास	20 मिमी व्यास	25 मिमी व्यास	कुल प्राप्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

संख्या का व्यास दिया गया है केवल उदाहरणात्मक. खुला अधिक कॉलम के लिए अन्य व्यास जहाँ भी आवश्यकता है।

SEAL & SIGN OF TENDERER

SEAL & SIGN OF TENDERER

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

तालिका- IV

प्रोफार्मा के लिए पंजीकरण करवाना का सामग्री पर साइट खाता

काम का नाम : आर्टिकल का नाम :

कॉन्ट्रैक्टर का नाम : अनुमानित ज़रूरत : एग्रीमेंट

नंबर : जारी करने की दर :

तारीख प्राप्ति का	प्राप्त से/जारी को (सेवानिवृत्त के साथ सो/इंडेंट)	रसीद	मुद्दा	संतुलन	ठेकेदार के आद्याक्षर	बैंक/वास्तुकार के आद्याक्षर प्रतिनिधि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8

SEAL & SIGN OF TENDERER

तालिका- V

प्रोफार्मा के लिए पंजीकरण करवाना का सामग्री पर साइट खाता

कार्य का नाम :

ठेकेदार का नाम : अनुबंध

क्रमांक :

सामग्री का विवरण	बकाया मात्रा पिछला विधेयक	इस्तेमाल की गई मात्रा घटाएँ में मापे गए कार्य तब से पहले का बिल	बकाया मात्रा और मात्रा लाया को पिछले बिल के बाद से साइट	हस्ताक्षर साइट इंजीनियर का	कॉन्ट्रैक्टर के हस्ताक्षर आर	प्रारंभिक का बैंक/ वास्तुकार के प्रतिनिधि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8

SEAL & SIGN OF TENDERER

SEAL & SIGN OF TENDERER

तालिका- VI

प्रोफार्मा के लिए बल्केज परीक्षा का रेत पंजीकरण करवाना

सीनियर ।नहीं।	तारीख परीक्षण का	आयतन का धूल सिलेंडर में रेत भर गई और हिल गई	मात्रा में बाढ़ सिलेंडर में रेत	बल्केज का प्रतिशत	हस्ताक्षर साइट इंजीनियर का	ठेकेदार के हस्ताक्षर	प्रारंभिक का बैंक के आर्किटेक्ट के प्रतिनिधि (नियत कालीन)
1	2	3	4	5	6	7	8

SEAL & SIGN OF TENDERER

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

तालिका- VII

प्रोफार्मा गाद परीक्षण पंजीकरण करवाना

क्रमांक.	परीक्षा की तिथि	सिलेंडर में रेत की ऊंचाई बाढ़ और हिलाया	गाद की ऊँचाई	अधिकतम गाद का प्रतिशत निर्दिष्ट	गाद का प्रतिशत प्राप्त किया	साइट इंजीनियर के हस्ताक्षर	इसका हस्ताक्षर ठेकेदार	प्रारंभिक का बैंक का / प्रतिनिधि (नियत कालीन)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

SEAL & SIGN OF TENDERER

SEAL & SIGN OF TENDERER

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

तालिका- VIII

प्रोफार्मा चलनी विश्लेषण का जुर्माना समग्र रजिस्टर

क्रमांक	परीक्षा की तिथि	मटेरी का वजन होना परीक्षण	से छान लें प्रति आईएस पद का नाम	वजन रेत बरकरार रखी छलनी में	%ए बनाए रखा प्रत्येक छलनी में क्रमिक रूप से	संचयी प्रत्येक छलनी में बचा हुआ %	एफएम	साइट इंजीनियर के हस्ताक्षर	ठेकेदार के हस्ताक्षर	बैंक/ आर्किटेक्ट के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर और टिप्पणियां (नियत कालीन)

SEAL & SIGN OF TENDERER

TABLE-IX

प्रोफार्मा का छलनी विश्लेषण का मोटे समुच्चय रजिस्टर

एस। नहीं।	तारीख परीक्षण का	टेस्ट किए जाने वाले मटीरियल का वज़न	नोमिन कुल का कुल आकार खाया	है छलनी डिजाइन	ग्रेडेड एग्रीगेट के लिए स्टैंडर्ड पासिंग। नाममात्र आकार का	परीक्षा परिणाम	उत्तीर्णता प्राप्त की	साइट इंजीनियर के हस्ताक्षर	ठेकेदार के हस्ताक्षर	बैंकों के हस्ताक्षर/ आर्किटेक्ट के प्रतिनिधि और रिमार्क्स (पीरियोडिकल)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

SEAL & SIGN OF TENDERER

TABLE-X

प्रोफार्मा बाधा के लिए को काम

नाम का कार्य : दिनांक का शुरू का काम :

नाम का ठेकेदार : अवधि का समापन :

समझौता सं. : दिनांक का समापन का काम :

एस.नं.	बाधा की प्रकृति	प्रकट होने का दिनांक का बाधा	किस तिथि को बाधा हुई था निकाला गया	अवधि का कौन सी बाधा अस्तित्व	साइट इंजीनियर के हस्ताक्षर	हस्ताक्षर का किनारा / आर्किटेक्ट्स प्रतिनिधि
1	2	3	4	5	6	7

SEAL & SIGN OF TENDERER

मेज़ - ग्यारहवीं

खाता का सुरक्षित अग्रिम, अगर स्वीकायर् पर ठेकेदार द्वारा साइट पर रखी गई सामग्री

एस.नं.	वस्तु	मात्रा	इकाई	मात्रा	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6

कुल का मूल्य सामग्री पर साइट।

सुरक्षित अग्रिम @ ---------- उपरोक्त मूल्य का -

बी प्रमाणित:

(i) ऊपर बताया गया सामान असल में कॉन्ट्रैक्टर काम की जगह पर लाया है और इस सामान की किसी भी मात्रा पर एडवांस उनकी सिक्योरिटी पर बकाया है।

(ii) यह कि सामान (जो खराब न होने वाला हो) और ये सभी चीज़ें कॉन्ट्रैक्टर को काम में इस्तेमाल के लिए चाहिए, उन चीज़ों के संबंध में जिनके लिए तैयार काम के रेट पर सहमति हुई है।

दिनांकित हस्ताक्षर बिल
तैयार करने वाले साइट
इंजीनियर की रैंक
- - - - - - - - - - - - - - - - -

तारीख हस्ताक्षर का
बैंक्स आर्किटेक्ट्स ---------- (
आर्किटेक्ट्स का नाम)

- - - - - - - - - - - - - - -
दिनांकित हस्ताक्षर का
ठेकेदार मेज़ - XV

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

ज्ञापन भुगतान के लिए

आर/ए बिल नहीं।

1. अब तक किये गये कार्य का कुल मूल्य पिछला बिल (ए) रु . ----------

2. देय सुरक्षित अग्रिम की कुल राशि पिछले विधेयक (बी) से रु . ----------

3. कुल मात्रा देय तब से पहले का बिल (सी) (ए+बी) रु . ---------- -

4. मूल्य में घोषणा के कारण पीवीए का इस्पात, सीमेंट और अन्य सामग्री और श्रम जैसा कि संलग्न अलग-अलग विवरणों में विस्तृत है। रु . ----------

5. कुल देय राशि को ठेकेदार रु . --------- - -

आपत्तियाँ:

i) सुरक्षित अग्रिम चुकाया गया में पिछला आर/ए रु . ---------- -

ii) कार्यों के मूल्य पर प्रतिधारण राशि रु . ---------- प्रति स्वीकृत निविदा अद्यतन राशि रु .

कम पहले से रुपये बरामद किए । ---------- -

संतुलन को रुपये वसूले जाएंगे। ---------- -

iii) संघटन अग्रिम, अगर कोई

(a) बकाया राशि (मूलधन + ब्याज) तारीख रु . --------- - -

(b) को होना बरामद में यह बिल रु . ---------- -

iii. कोई अन्य विभागीय सामग्री लागत अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके हिसाब से ---------- रुपये वसूले जाएंगे।

iv. कोई और विभागीय सेवा शुल्क को होना अनुबंध के अनुसार यदि कोई वसूली हुई हो (पानी, रु . ----------

बिजली आदि) तो विवरण संलग्न करें।

कुल कटौती जैसा प्रति अनुबंध (एफ) रु . ---------- -

समायोजन, अगर कोई भी ---------- राशि कम मिला (कॉन्ट्रैक्टर के बयान के अनुसार) रु . ---------- -

पीवीए रु . ---------- -

कुल मात्रा देय जैसा प्रति अनुबंध (E+F+G) रु . ---------- -

(रुपये ---------- में)
शब्द)

बिल की रकम Rs . ---------- (अंक और शब्द दोनों) की हमने ज़रूरत के हिसाब से काम के माप की ठीक से जांच करने के बाद जांच की है और पेमेंट के लिए रिकमेंड किया है।

तारीख: ---------- ----------
हस्ताक्षर वास्तुकार का
सील के साथ

बिल की रकम Rs . ---------- की मैंने ज़रूरत के हिसाब से काम के मेज़रमेंट की टेस्ट चेकिंग के बाद जांच की है और Rs ..... के पेमेंट के लिए रिकमेंड किया है।

तारीख : ----------
हस्ताक्षर का मालिक
इंजीनियर

<u>वैधानिक कटौती:</u>

i) कुल देय राशि (ई) रु . ---------- -

ii) कम आईटी देय रु . ---------- -

iii) कम एसटी देय रु . ---------- -

शुद्ध देय रु . ---------- -

यह आंकड़ों में दिया ज्ञापन के लिए देय वेरिफाई हो गया है और पेमेंट के लिए बिल पास हो गया है ----------
- ---------- (में शब्द और आंकड़े)

तारीख:---------- ----------
हस्ताक्षर का एजीएम (पी एंड ई)।

नोट: 1) ठेकेदार चाहिए प्राप्त पूर्व अनुमोदन नियोक्ता से किसी भी खास मटीरियल का ऑर्डर देने से पहले कंसल्टेंट्स से सलाह लें।
नियोक्ता कर सकता है / कोई भी हटाएँ की बनाता है या ब्रांड बाहर की ऊपर दी गई लिस्ट में।

बीआईएस.

2). सभी सामग्री चाहिए अनुरूप को उपयुक्त मानकों और कोड का

3) ISI मार्क वाले मटीरियल का इस्तेमाल, ISI से मंज़ूरी लेकर ही किया जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंजीनियर / आर्किटेक्ट।

टिप्पणी: - अगर कोई मटीरियल ठीक नहीं पाया जाता है, ठेकेदार को सामग्री की प्रामाणिकता और वास्तविकता के लिए निर्माता या उसके अधिकृत वितरक से मूल बिल/प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा स्वीकृत मेक के अनुसार। वही होगा नहीं के लिए विचार किया जाना भुगतान।

तरीका माप का

1. जब तक कुछ और न कहा गया हो, सभी पाइपों की नेट लंबाई, बिछाई गई जगह के हिसाब से और पूरी फिटिंग, जैसे मोड़, जंक्शन वगैरह की लंबाई, रनिंग मीटर में दी जाएगी। लंबाई पाइपों और फिटिंग की सेंटर लाइन के साथ ली जाएगी।
2. फॉल्स सीलिंग को सिर्फ़ प्लान एरिया (लंबाई x चौड़ाई) में मापा जाएगा; वर्टिकल पट्टा , कोव्स, डोम वगैरह में डिज़ाइन पर ध्यान दिए बिना।
3. स्टोरेज/ अलमारी /वार्डरोब वगैरह को ऊंचाई में मापा जाएगा क्षेत्र (चौड़ाई x ऊंचाई) केवल; गहराई की परवाह किए बिना 450 मिमी से 600 मिमी तक।
4. जैसे नल, वाल्व, ट्रैप आदि की लंबाई , जिसका भुगतान उचित मदों के अंतर्गत किया जाता है, उसे पुनः नहीं मापा जाएगा ऊपर बताए गए लीनियर माप।
5. मिट्टी के कचरे और वेंट पाइप को स्टैक की सेंटर लाइन के साथ मापा जाएगा, जिसमें WC पैन, नहानी ट्रैप वगैरह से जुड़ने वाले मोड़/टीज़ भी शामिल हैं, और ऊपर बताए गए तरीके से पेमेंट किया जाएगा ।
6. WC पैन, लैवेटरी बेसिन, सिंक, ड्रेन बोर्ड, यूरिनल, मिरर, ग्लास शेल्फ टॉयलेट पेपर होल्डर, को मापा जाएगा द्वारा संख्या और करेगा शामिल करना सभी सामान जैसा कि गिनाया गया है हर आइटम के नीचे डिटेल में जानकारी।
7. जब तक कुछ और न बताया गया हो, सभी तरह के नल, वाल्व वगैरह, नंबर के हिसाब से मापा जाएगा और अलग से पेमेंट किया जाएगा।
8. मैनहोल, इंस्पेक्शन चैंबर, गली ट्रैप वगैरह डिटेल स्पेसिफिकेशन और माप के हिसाब से बनाए जाएंगे। नंबर के हिसाब से और अलग से पेमेंट किया जाएगा। मैनहोल की गहराई का मतलब मैनहोल कवर के ऊपर से मेन ड्रेन चैनल के आउटगोइंग इनवर्ट तक की सीधी दूरी होगी।
9. वॉटर मीटर में Y स्ट्रेनर और लोकल बॉडीज़ के लिए ज़रूरी दूसरे सामान शामिल होंगे और इसमें ईंट का बना चैंबर भी शामिल होगा। वगैरह।, जैसा प्रति विस्तृत विनिर्देश और आइटम होगा संख्या के हिसाब से मापा जाएगा और उसी हिसाब से या मात्रा के शेड्यूल के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा।

अनुभाग – ए: सामग्री

1) मटीरियल सबसे अच्छी अप्रूव्ड क्वालिटी का होना चाहिए और वे संबंधित इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होने चाहिए।
2) ऑर्डर देने से पहले सभी मटीरियल के सैंपल अप्रूव करवाए जाएंगे। और अप्रूव्ड सैंपल आर्किटेक्ट के पास जमा किया जाएगा।
3) मीट्रिक साइज़ में मटीरियल उपलब्ध न होने पर सबसे पास का साइज़ FPS यूनिट्स में रेंटल आर्किटेक्ट्स की पहले से मंज़ूरी लेकर दिया जाएगा, जिसके लिए न तो कोई एक्स्ट्रा पेमेंट किया जाएगा और न ही कोई रिबेट लिया जाएगा।
4) अगर कहा जाए, तो मटीरियल को किसी भी मंज़ूर टेस्टिंग में टेस्ट किया जाएगा। लैब और ओरिजिनल टेस्ट सर्टिफिकेट के साथ टेस्टिंग चार्ज भी शामिल होंगे। के लिए दोहराया गया यदि आदेश दिया गया हो, तो परीक्षण करेगा होना माता ठेकेदार।
5) सलाह के अनुसार किया गया है, तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए यह ज़रूरी होगा।
6) एम्प्लॉयर / किसी दूसरी स्पेशलिस्ट फर्म द्वारा सप्लाई किया गया सारा सामान ठीक से स्टोर किया जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर इसकी सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार होगा हिरासत जब तक वे हैं आवश्यक पर काम और तक काम पूरा होने पर।
7) जब तक चित्रों में अन्यथा न दिखाया गया हो या "मात्राओं की अनुसूची" या विशेष विनिर्देश में उल्लेख न किया गया हो, सामग्री की गुणवत्ता, कारीगरी, आयाम आदि नीचे दिए अनुसार निर्दिष्ट किए जाएंगे।
8) सभी उपकरण और सुविधाएँ कार्यान्वित करने के लिए क्षेत्र परीक्षण मटीरियल कॉन्ट्रैक्टर बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के देगा।

a) **सीमेंट :**

सीमेंट हर तरह से IS: 269 के लेटेस्ट पब्लिकेशन की ज़रूरतों को पूरा करेगा और जब तक कुछ और न बताया गया हो, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा।

सीमेंट का वज़न 1440 kg माना जाएगा। प्रति cu.m. (90 lbs. प्रति c.ft.). सीमेंट को वज़न के हिसाब से और पूरे बैग में मापा जाएगा, और हर बिना हिलाए और सील किया हुआ 50 kg का बैग 35 लीटर (1.2 c.ft.) वॉल्यूम के बराबर माना जाएगा, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि हर बैग में पूरी मात्रा हो। सीमेंट का. जब पार्ट बैग की ज़रूरत हो, तो सीमेंट वज़न से लिया जाएगा या मापने वाले बॉक्स में मापा जाएगा।

आर्किटेक्ट से मंज़ूर सीमेंट के अलावा किसी और ब्रांड के सीमेंट को काम पर लगाने की इजाज़त नहीं होगी और सप्लाई का सोर्स नहीं बदला जाएगा। आर्किटेक्ट की लिखित मंज़ूरी के बिना। यह दिखाने के लिए कि सीमेंट पूरी तरह से स्पेसिफिकेशन्स का पालन कर रहा है, टेस्ट सर्टिफिकेट आर्किटेक्ट को जमा किए जाएंगे और
इसके बावजूद, आर्किटेक्ट अपने विवेक से यह आदेश दे सकता है कि साइट पर लाया गया सीमेंट, जिसे वह खराब या संदिग्ध मानता है, उसे हटा दिया जाए। गुणवत्ता के लिए कोई कारण जो भी हो, करेगा होना फिर से परीक्षण किया में एक

अनुमोदित परीक्षण प्रयोगशाला और इसकी मजबूती के नए सर्टिफिकेट पेश किए जाएंगे।

री-टेस्टिंग के लिए ऑर्डर किया गया सीमेंट, री-टेस्ट के नतीजे आने तक किसी भी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

सीमेंट को वेदर-प्रूफ शेड में स्टोर किया जाना चाहिए, जिसमें लकड़ी के ऊंचे फर्श हों, ताकि नमी या बाहरी चीज़ों के अंदर आने से सीमेंट खराब न हो। इसे इस तरह से स्टोर किया जाना चाहिए कि सीमेंट मिलने के समय के हिसाब से निकाला और इस्तेमाल किया जा सके, यानी, पहले मिला, पहले इस्तेमाल किया। खराब हो चुके या जम चुके सीमेंट का इस्तेमाल काम पर नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे तुरंत साइट से हटा दिया जाएगा। हालांकि, वेयरहाउस सेट सीमेंट के इस्तेमाल की इजाज़त आर्किटेक्ट तय करेगा।

b) **नींबू :** नींबू करेगा अनुपालन करना में प्रत्येक आदर साथ आवश्यकताएं का IS: 712 और यह अप्रूव्ड लाइन स्टोन या कंकड़ से बना होगा और ठीक से जला हुआ होगा। इसमें ज़्यादा गंदगी नहीं होनी चाहिए।
बिना जले कंकड़ या चूने के पत्थर की राख या दूसरी फालतू चीज़ों को मौसम से बचाने वाले शेड में रखना चाहिए। बारिश, नमी या हवा के कारण खराब हुए चूने का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे काम की जगह से तुरंत हटा देना चाहिए। चूने को ताज़े पानी से सुखाना चाहिए। पानी और उपयुक्त स्क्रीन के माध्यम से छानकर संग्रहीत और 14 दिनों के अंदर इस्तेमाल करें, बशर्ते इसे सूखने से बचाया जाए।

चूने की क्वालिटी पता करने के लिए समय-समय पर IS: 1624 के अनुसार फील्ड टेस्ट किए जाएंगे।

c) **नदी रेत :**

नदी की रेत IS: 383 और IS: 515 के संबंधित हिस्से के अनुसार होनी चाहिए। इसे 4.75 mm की IS छलनी (3/16 BS) टेस्ट छलनी से गुज़ारा जाएगा , जिससे 5% से ज़्यादा बचा हुआ हिस्सा न बचे। यह प्राकृतिक स्रोत से होनी चाहिए, यानी सिर्फ़ नदी या कुचले हुए पत्थर की छलनी, अगर इजाज़त हो, केमिकली साफ़, तेज़, सख़्त, टिकाऊ, अच्छी तरह से ग्रेडेड और बिना किसी निशान के। धूल, कंकड़, मिट्टी, शेल, नमक, कार्बनिक पदार्थ, दोमट, अभ्रक या अन्य हानिकारक पदार्थों से। सभी हानिकारक पदार्थों का कुल प्रतिशत को स्वीकार्य सीमाएँ. नदी की रेत करेगा शामिल नहीं कोई नमक का अंश होने पर उसका परीक्षण किया जाएगा और नदी की रेत में कोई अंश होने पर नमक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

कंक्रीट के लिए बारीक एग्रीगेट यानी नदी की रेत को IS: 383 में बताई गई लिमिट के अंदर ग्रेड किया जाएगा और फाइननेस मॉड्यूल 2.60 से 3.20 के बीच हो सकता है।

बारीक एग्रीगेट को एक साफ़, सख़्त, सूखी सतह पर सावधानी से रखा जाएगा ताकि यह नुकसानदायक बाहरी चीज़ों के साथ न मिले। अगर ऐसी सतह उपलब्ध नहीं है, तो तख्तों या नालीदार लोहे की चादरों या ईंट के फ़र्श या पतले कंक्रीट की एक पतली परत का प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया जाएगा।

d) **अच्छा और खुरदुरा सकल :**

इसमें कुचला हुआ या टूटा हुआ पत्थर होगा, जिसका 95% हिस्सा 4.75 mm पर रखा जाएगा। IS टेस्ट छलनी। इसे ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, ट्रैप, बेसाल्ट, या इसी तरह के अप्रूव्ड पत्थरों को अप्रूव्ड खदान से क्रश करके मिलेगा और यह IS :383 और IS 515 के मुताबिक होगा। फाइन और सीमेंट के साथ मिलाने पर मोटा एग्रीगेट केमिकली इनर्ट होगा और क्यूबिकल शेप का होगा और मुलायम, भुरभुरा, पतला, पोरस, लैमिनेटेड या परतदार टुकड़े नहीं होंगे। इसमें धूल और कोई दूसरी बाहरी चीज़ नहीं होगी।

मनचाही ग्रेडिंग की बजरी / शिंगल को विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जा सकती है। अगर आर्किटेक्ट एग्रीगेट की क्वालिटी से खुश है, तो इसे सादे सीमेंट कंक्रीट में थोड़ा या पूरा इस्तेमाल किया जा सकता है। सभी RCC कामों के लिए मोटे एग्रीगेट का साइज़ 20 से 25 mm होना चाहिए।
और महीन समुच्चय 10 होगा 15 तक मिमी.

e) **<u>सुदृढ़ीकरण:</u>**

मज़बूती माइल्ड स्टील की टेस्ट की हुई क्वालिटी की होनी चाहिए जो IS: 432-1966 और किसी भी दूसरे IS के हिसाब से लागू हो या डिफॉर्म्ड बार जो IS :1786 और Is:1139 के हिसाब से हो। या कठोर खींचा गया Fe 415 (टोर स्टील) स्टील तार IS:1566;1967 के अनुरूप कपड़ा।

लेमिनेशन , दांतेदार और खराब किनारे नहीं होने चाहिए ।

f) **<u>ईंटों</u> :**

ईंटें आम तौर पर IS:1077 के हिसाब से होंगी, सिवाय साइज़ के जिन्हें पहली और दूसरी क्लास में बांटा जाएगा। पहली क्लास की ईंटें सबसे अच्छी क्वालिटी की, लोकल टेबल मोल्डेड होंगी , अच्छी तरह पकी होंगी लेकिन ज़्यादा नहीं पकी होंगी, और उनका साइज़ सादा और चौकोर होगा। पैरेलल साइड और शार्प राइट-एंगल किनारों वाले फेस का टेक्सचर बहुत कॉम्पैक्ट और एक जैसा होना चाहिए। ईंटों में दरारें, चिप्स, खामियां, पत्थर या पानी में भीगने के बाद कोई निशान नहीं होना चाहिए। टकराने पर इसमें से साफ बजने वाली आवाज़ आनी चाहिए और यह वज़न के हिसाब से 20% से ज़्यादा पानी नहीं सोखेगा। आम बिल्डिंग ईंटों की कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 35 kg. / sqm होनी चाहिए, जब तक कि फर्स्ट क्लास ईंटों के लिए कुछ और न बताया गया हो।

g) सीमेंट / चूना / सुर्खी मोर्टार या कंक्रीट मिलाने के लिए **पानी** नमकीन या खारा नहीं होना चाहिए और साफ, काफी हद तक साफ और उसमें आपत्तिजनक मात्रा में गाद और तेल, एसिड और नुकसानदायक तत्वों के अंश नहीं होने चाहिए। क्षार, लवण, कार्बनिक पदार्थ और अन्य हानिकारक पदार्थ जो या तो मोर्टार या कंक्रीट को कमजोर कर देंगे या प्रबलित स्टील में समृद्धि या हमला करेंगे सीमेंट ठोस। पानी करेगा होना से प्राप्त आर्किटेक्ट द्वारा मंज़ूर किए गए सोर्स। पीने का पानी आम तौर पर कंक्रीट, मोर्टार को मिलाने और ठीक करने के लिए ठीक माना जाता है। चिनाई आदि, जहां मुख्य स्रोत के अलावा अन्य पानी का उपयोग किया जाता है, यह यह पता लगाने के लिए कि यह सही है या नहीं, इसे किसी मंज़ूर टेस्टिंग लैब में टेस्ट किया जाएगा। इससे जुड़े सभी चार्ज कॉन्ट्रैक्टर को देने होंगे।

h) **पेंट :**

लाइम वॉश के लिए चूना, ड्राई डिस्टेंपर, ऑयल बाउंड डिस्टेंपर सीमेंट प्राइमर, ऑयल पेंट, इनेमल पेंट, फ्लैट ऑयल पेंट, प्लास्टिक इमल्शन पेंट, एंटी-कोरोसिव प्राइमर, रेड लेड, वॉटर-प्रूफ सीमेंट पेंट और एक्सटीरियर ग्रेड एक्रिलिक इमल्शन पेंट, सीमेंट पेंट, सैंड-टेक्स मैट एक अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर का होना चाहिए और अलग-अलग पेंट के लिए लेटेस्ट इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। मैन्युफैक्चरर से मिले रेडी मिक्स पेंट में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, बस अगर मैन्युफैक्चरर ने बताया हो तो उसमें थिनर मिलाया जा सकता है।

i) **गारा :**

लाइम सुर्खी मोर्टार: चूना और सुर्खी स्पेसिफिकेशन्स के हिसाब से होने चाहिए। इसमें 1 चूना और 2 सुर्खी के अनुपात में अप्रूव्ड चूना और सुर्खी अच्छी तरह मिलाई जाएगी। सामग्री माप द्वारा सटीक रूप से मापा जाएगा और एक मंच पर अच्छी तरह से और समान रूप से एक साथ मिलाया जाएगा और इसे बनाने के लिए पानी मिलाया जाएगा एक जैसा। जब ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत हो, तो मोर्टार को मैकेनिकल ग्राइंडर में मिलाया जाएगा।

सीमेंट गारा :
सीमेंट मोर्टार शेड्यूल में हर तरह के काम के लिए बताए गए अनुपात का होगा। यह पोर्टलैंड सीमेंट और रेत से बना होगा। सामग्री को मापकर सही-सही मापा जाएगा और एक मैकेनिकल पैन मिक्सर में अच्छी तरह और बराबर मिलाया जाएगा, ध्यान रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी न डालें। कोई भी मोर्टार जो शुरू हो गया हो सेट करने के लिए नदी की रेत का इस्तेमाल किया जाएगा। जब तक कुछ और न बताया जाए, नदी की रेत का इस्तेमाल किया जाएगा ।

पक्के वॉटर-प्रूफ प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा । मापा गया सामग्री इसे प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा और सूखा मिलाकर मिलाया जाएगा। फिर पानी डाला जाएगा और पूरी चीज़ को फिर से तब तक मिलाएं जब तक वह एक जैसी और एक जैसा रंग का न हो जाए । एक बार में सीमेंट का एक से ज़्यादा बैग नहीं मिलाया जाएगा और जिसे मिलाने के आधे घंटे के अंदर इस्तेमाल किया जा सके।

कम्पोजिट नींबू, सीमेंट, रेत गारा :
मोर्टार हर तरह के काम के लिए तय मात्रा में होगा। इसमें पोर्टलैंड सीमेंट, चूना और रेत शामिल होंगे। चूना में मापा जाएगा सीमेंट और रेत को बताए गए अनुपात में मापने के लिए इस्तेमाल होने वाले गेज बॉक्स जैसे, और फिर उसमें गाढ़ा घोल बनाने के लिए ज़रूरी पानी मिलाएं। फिर इसे सूखे सीमेंट और रेत के मिक्सचर में मिलाएं और ज़रूरत पड़ने पर और पानी मिलाकर एक जैसा रंग का काम करने लायक एक जैसा मोर्टार बनाने के लिए अच्छी तरह मिलाएं । ऐसे मोर्टार को मिलाने के लिए आम तौर पर मैकेनिकल मिक्सर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हाथ से मिलाने की इजाज़त है, तो इसे पक्के प्लेटफॉर्म पर किया गया ।

टिप्पणी :

में कनेक्शन साथ है कोड नंबर बताए गए अंतर्गत अनुभाग, विनिर्देश, अनुभाग ए – सामान्य

संदर्भ देना को अगले है कोड नंबर और वर्ष और या अन्यथा नवीनतम संशोधित आईएस कोड संख्या।

1) सीमेंट	:	है 269	– 1976
2) नींबू	:	है 712	– 1964
		है 1624	– 1960
3) अच्छा – सकल	:	है 383	– 1970
4) खुरदुरा - सकल	:	है 515	– 1970
5) सुदृढीकरण	:	है 432	- 1966 फ़े 415
		है 1786	– 1966 (टोर इस्पात)
		है 1139	– 1966
6) ईंटें	:	है 1077	– 1970

अनुभाग – बी: तरीका का मापन

टेंडर में अलग-अलग आइटम के लिए मेज़रमेंट का तरीका आम तौर पर IS: 1200 के अनुसार होगा, जो उन आइटम के अधीन होगा जिनके लिए माप का तरीका टेंडर में या कहीं और नहीं दिया गया है।

1) **उत्खनन** :

a) **फुटिंग** : फुटिंग के लिए खुदाई का एरिया बराबर मापा जाएगा ड्राइंग में दिखाए गए अनुसार सबसे निचले कंक्रीट के एरिया तक। गहराई को ग्राउंड लेवल से नीचे तक वर्टिकली मापा जाएगा। कंक्रीट कोर्स या सूखा मलबा पैकिंग, जैसा भी मामला हो।

b) **प्लिंथ बीम** : प्लिंथ बीम के लिए खुदाई की गहराई ज़मीन के लेवल से बीम के नीचे तक और चौड़ाई बीम की चौड़ाई के बराबर मापी जाएगी। अगर लेवलिंग कोर्स का ऑर्डर दिया जाता है, तो उसे लेवलिंग कोर्स के नीचे तक मापा जाएगा।

c) जहां खाइयों में खुदाई की जाती है, वहां कटाई के लिए माप नल और डंडे से लिया जाएगा और ड्राइंग में दिखाई गई कंक्रीट या मलबे की पैकिंग की चौड़ाई को खुदाई की चौड़ाई माना जाएगा।

d) जहां साइट को समतल करने के लिए खुदाई की जाती है, वहां लेवल बनाए जाएंगे काम शुरू होने से पहले और काम पूरा होने के बाद लिया गया और इन लेवल से खुदाई की कुल मात्रा आर्किटेक्ट द्वारा मंज़ूर तरीके से कैलकुलेट की गई।

e) जहां सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक वाली मिट्टी मिली हुई है, वहां खुदाई के बाद हार्ड रॉक को अलग-अलग ढेर किया जाएगा। पूरी खुदाई का माप ऊपर बताए गए तरीके से लिया जाएगा। हार्ड रॉक की खुदाई को खोदी गई हार्ड रॉक के ढेर से मापा जाएगा और बल्केज और खाली जगह के लिए 40% कम किया जाएगा। इस तरह मिली मात्रा का भुगतान हार्ड रॉक के तहत किया जाएगा। पूरी खुदाई की मात्रा और हार्ड रॉक के तहत देय मात्रा के बीच का अंतर सॉफ्ट रॉक सहित मिट्टी के रूप में भुगतान किया जाएगा।

2) **धरती भरना** :

खुली जगहों में, फिलिंग को बांधों के क्रॉस सेक्शन से मापा जाएगा, जिनका लेवल काम शुरू होने से पहले और काम पूरा होने के बाद लेवल से रिकॉर्ड किया जाएगा। जब क्रॉस सेक्शन से फिलिंग को मापना मुमकिन न हो, तो इसे पहले से लिखकर इजाज़त लेकर ढीले ढेर या लॉरी के माप से मापा जा सकता है। आर्किटेक्ट को बताया जाएगा और मापी गई मात्रा में से 20% की कटौती करके कुल देय राशि तय की जाएगी।

3) **सीमेंट ठोस (मैदान और सुदृढीकरण)** :

आरसीसी और पीसीसी आइटम में सीमेंट कंक्रीट को रीइन्फोर्समेंट और प्लास्टर की मोटाई के बिना मापा जाएगा, लेकिन इसमें ज़रूरी चीज़ें शामिल होंगी शटरिंग, सेंटरिंग, सभी इक्विपमेंट का किराया, क्योरिंग, हैकिंग और फेयर फिनिश का खर्च। रीइन्फोर्समेंट और प्लास्टर को अलग से मापा जाएगा और पेमेंट किया जाएगा।

सामान रेखा आरसीसी मिल में बना हुआ जल्ली , आरसीसी पाइप और अन्य ऐसा सामान जो सामान्यतः कारखानों में निर्मित होते हैं और साथ ही वे वस्तुएं जिनका मात्रा अनुसूची में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, रीइन्फोर्समेंट को शामिल करके मापा जाएगा।

ओपनिंग के लिए कोई कटौती नहीं की जाएगी 0.1 वर्ग मीटर तक और नहीं ऐसे छेद या खाली जगह बनाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत का पेमेंट किया जाएगा।

कॉलम को कॉलम/बीम के आमने-सामने से मापा जाएगा और अगर कोई हो तो उसमें हंच भी शामिल होंगे। बीम की गहराई (राफ्ट फाउंडेशन बीम के अलावा) स्लैब के ऊपर से बीम के नीचे तक मापी जाएगी।

में मामला संयुक्त का आधार और बेड़ा नींव, उजागर, बीम रिब का हिस्सा बीम के रूप में और बाकी हिस्सा फुटिंग / राफ्ट स्लैब में मापा जाएगा।

स्लैब (राफ्ट फाउंडेशन के अलावा) को कॉलम के हिस्सों के लिए कटौती के साथ बे (बीम से साफ़) में मापा जाएगा।

4) **सुदृढीकरण** :

स्टैंडर्ड वज़न के आधार पर असल में रखी गई बार की लंबाई में मापा जाएगा; रोलिंग मार्जिन के लिए वज़न में कोई छूट नहीं दी जाएगी, वेस्टेज और बाइंडिंग वायर को नहीं मापा जाएगा, सिर्फ़ ऑथराइज़्ड ओवरलैप और स्पेसर को ही मापा जाएगा।

(बनाना: जेएसडब्ल्यू / कामधेनु / श्री ओम/ अनुमत (समतुल्य) स्टील रीइन्फोर्समेंट बार के लिए स्टैंडर्ड वज़न

व्यास का इस्पात सलाखों में मिमी.	6	8	10	12	16	20	25	32
वज़न का इस्पात सलाखों में किलोग्राम प्रति आरएमटी .	0.22	0.39	0.62	0.89	1.58	2.47	3.85	6.31

5) **ईंट काम** :

के अलावा दीवारों का आधी ईंट मोटाई या कम, सभी ईंट काम करेगा क्यूबिक मीटर में मापा जाएगा।

मोटाई का दीवार :

तीन ईंटों तक की मोटाई वाली ईंट की दीवारों को आधी ईंट के मल्टीपल में मापा जाएगा, जिसे मोर्टार जॉइंट्स को मिलाकर माना जाएगा। जहां आर्किटेक्चरल या दूसरे कारणों से आधी ईंटों में अंतर होता है, वहां माप आधी ईंटों का लिया जाएगा ।

दीवार बनाने के लिए, जिसकी मोटाई तीन ईंटों से ज़्यादा है, दीवार की असली मोटाई को सबसे पास के सेंटीमीटर तक मापा जाना चाहिए।

शहद कंघी ईंट की दीवार का साइज़ स्क्वायर मीटर में दिया जाएगा, जिसमें दीवार की मोटाई और हनी-कॉम्बिंग का पैटर्न बताया जाएगा। हनी कॉम्ब ओपनिंग को नहीं काटा जाएगा।

कटौती :

नहीं कटौती या अतिरिक्त करेगा होना बनाया पर कोई खाता के लिए

a) अलग-अलग मटीरियल के सिरे (जैसे जोइस्ट, बीम, लिंटल, लॉफ्ट, ग्राइंडर, राफ्टर, पर्लिन, ट्रस, कॉर्बल, स्टेप, वगैरह) जिनका सेक्शन 500 स्क्वायर सेंटीमीटर तक हो।
b) पर खुलता है को ओ.1 वर्ग खंड में .
c) वॉल प्लेट्स, बेड प्लेट्स और स्लैब, छज्जा वगैरह की बेयरिंग, जिनकी मोटाई 10 cm से ज़्यादा न हो और बेयरिंग दीवार की पूरी चौड़ाई तक न फैली हो।

6) **पत्थर चिनाई** :

फेसिया का काम स्क्वायर मीटर में दिया जाएगा ।

दीवारों को मापते समय, मोटाई होनी चाहिए मापा गया निकटतम एक सेंटीमीटर।

कटौती करेगा होना बनाया जैसा बताया गया है अंतर्गत ईंट काम।

7) **लेप और इशारा करना** :
जब तक कुछ और न बताया गया हो, सभी प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग को स्क्वायर मीटर में मापा जाएगा।

प्लास्टर की गई सतह का नेट एरिया मापा जाएगा। कोई कटौती नहीं की जाएगी। के लिए समाप्त होता है का जोड़ों, बीम, पद, आदि, और उद्घाटन नहीं से अधिक
0.5 वर्ग मीटर . प्रत्येक और नहीं अतिरिक्त करेगा होना बनाया कोई भी नहीं के लिए पता चलता है,

चौखट , छत, चौखट आदि को ठीक करने के लिए या खुलने वाली जगहों, जोइस्ट, बीम और पोस्ट आदि के सिरों के आसपास प्लास्टर लगाने के लिए नहीं।

दरवाज़े, खिड़की और वेंटिलेटर के लिए हर तरफ से पूरी कटौती की जाएगी, साथ ही दरवाज़े, खिड़की और वेंटिलेटर के लिए जाम्ब भी जोड़े जाएंगे।

8) **चित्रकारी, सफ़ेद धुलाई, रंग धुलाई और डिस्टेंपरिंग** :

सभी चित्रकारी काम करेगा होना मापा में वर्ग मीटर।

0.5 sq.mtr से ज़्यादा खुली जगह के लिए कोई कटौती नहीं की जाएगी और कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी । इन ओपनिंग के रिवील्स, जाम्ब्स, सॉफिट्स, सिल्स वगैरह के लिए बनाया गया है। पूरी कटौती होगी बनाया जा दरवाजे के लिए, खिड़की और पंखा प्रत्येक से दरवाज़े, खिड़की और वेंटिलेटर के लिए जाम्ब जोड़ने के पक्ष में। स्पंज फिनिश या सैंड फेस्ड प्लास्टर पर पेंटिंग के लिए कोई कोएफिशिएंट नहीं माना जाएगा।

टिप्पणी :
ऊंचाई सबसे निचली रेल के नीचे से ली जाएगी, अगर इसके नीचे खंभे नहीं जाते (या पैलिसेड के निचले सिरे से, अगर वे सबसे निचली रेलिंग से नीचे निकले हों) पैलिसेड के ऊपर तक, लेकिन सबसे ऊपर तक नहीं की मानक, यदि वे इससे अधिक हैं इसी तरह, गेट के लिए, ऊंचाई मापते समय रोलर की गहराई पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

रेत सीमेंट प्लास्टर, स्पंज फिनिश्ड / रेत फेस्ड प्लास्टर / रफ कास्ट प्लास्टर पर पेंट किया गया एरिया, बिना किसी विचार के पेंट किया गया एरिया सैंड फेस्ड प्लास्टर पर पेंटिंग के लिए कोएफिशिएंट।

अनुभाग – सी: कारीगरी

समाशोधन का साइट, उत्खनन और धरती भरना

टिप्पणी : कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़ी सभी चीज़ों का काम संबंधित IS Code के अनुसार होना चाहिए।

सामान्य :

दीवार की नींव, कॉलम की नींव, राफ्ट नींव, पाइल कैप, प्लिंथ बीम, पानी की टंकियां, सेस पिट वगैरह के लिए खाई, ड्राइंग में दिखाई गई लंबाई, चौड़ाई और गहराई तक या आर्किटेक्ट के बताए अनुसार खोदी जाएंगी। अगर खाई, दिखाई गई या ज़रूरत से ज़्यादा लंबाई, चौड़ाई या गहराई तक खोदी जाती है, तो इससे होने वाला ज़्यादा काम कॉन्ट्रैक्टर को अपने खर्चे पर करना होगा। ज़्यादा गहराई के लिए 1:4:8 के अनुपात में सादा सीमेंट कंक्रीट भरा जाएगा और ज़्यादा लंबाई और चौड़ाई में मिट्टी या मुरुम भरा जाएगा या अगर आर्किटेक्ट को काम की मज़बूती के लिए 1:4:8 कंक्रीट ज़रूरी लगे, तो कॉन्ट्रैक्टर के खर्चे के अनुसार।

खोदे गए मटीरियल का इस्तेमाल प्लिंथ, या फाउंडेशन ब्लॉक या खाइयों के हर तरफ भरने के लिए किया जाएगा या इसे काम की जगह पर या उसके पास कहीं और फैलाया जाएगा, जिसमें पानी देना, रैमिंग और कंसोलिडेट करना शामिल है या जैसा ऑर्डर दिया जाए, साइट से फ्री में ले जाया जाएगा।

कॉन्ट्रैक्टर अपने खर्चे पर और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, सभी यूटिलिटी सर्विस को सपोर्ट करने, खाइयों में लाइट लगाने, अलग करने और रखने, काम आने वाले सामान को साफ-सुथरा रखने, किनारे लगाने, लकड़ी लगाने, स्टटरिंग करने, पानी निकालने, चाहे वह ज़मीन के नीचे का हो या बारिश का, जिसमें काम के किसी भी स्टेज पर पंपिंग भी शामिल है, का इंतज़ाम करेगा। जब तक चिनाई या कोई कंक्रीट का काम चल रहा हो और जब तक आर्किटेक्ट यह न मान लें कि कंक्रीट ठीक से सेट हो गया है, खाइयों को पानी से खाली रखा जाएगा।

उत्खनन के सिवा में मुश्किल चट्टान :

उत्खनन करेगा होना ले जाया गया बाहर में कोई प्रकार मिट्टी का, मुरुम (कोमल या कठोर), नरम चट्टान, बोल्डर, पुरानी नींव, कंक्रीट डामर या पत्थर की पक्की सतह, पुरानी चिनाई या कंक्रीट (सादा या मजबूत)।

उत्खनन में कड़ी चट्टान :

चट्टान जो अंदर है ठोस बिस्तर, जो केवल या तो हटाएँ ब्लास्टिंग या वेजिंग या छेनी से की गई खुदाई को हार्ड रॉक माना जाएगा। एक क्यूबिक मीटर या उससे ज़्यादा साइज़ का बोल्डर या अलग किया गया रॉक, ब्लास्टिंग, वेजिंग या छेनी से काटा जाएगा।

जहां हार्ड रॉक मिलता है और ब्लास्टिंग ऑपरेशन ज़रूरी समझा जाता है, वहां कॉन्ट्रैक्टर को आर्किटेक्ट को इसकी जानकारी देनी होगी।

कॉन्ट्रैक्टर को हमारे ब्लास्टिंग के काम के लिए, साथ ही एक्सप्लोसिव्स रूल्स 1940 के अनुसार एक्सप्लोसिव्स को ट्रांसपोर्ट करने और स्टोर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट / पब्लिक अथॉरिटीज़ से लाइसेंस लेना होगा। या जैसा संशोधित. वह एक्सप्लोसिव, फ़्यूज़, डेटोनेटर वगैरह सिर्फ़ लाइसेंस वाले डीलर से ही खरीदेगा। उसे अपने खरीदे और इस्तेमाल किए गए एक्सप्लोसिव वगैरह का अकाउंट रखना होगा। वह एक्सप्लोसिव मटीरियल की सेफ़ कस्टडी और सही अकाउंटिंग के लिए ज़िम्मेदार होगा। आर्किटेक्ट के पास एक्सप्लोसिव के स्टोर और उसके अकाउंट्स को चेक करने की सुविधा होगी।

ब्लास्टिंग आम तौर पर गन पाउडर से की जाएगी। डायनामाइट जिलेटिन या कोई दूसरा हाई एक्सप्लोसिव सिर्फ़ खास मामलों में आर्किटेक्ट और संबंधित डिस्ट्रिक्ट/पब्लिक अथॉरिटी की लिखित इजाज़त से ही इस्तेमाल किया जाएगा। विस्फोटक नियमों के तहत।

ब्लास्टिंग का काम कॉन्ट्रैक्टर के एक ज़िम्मेदार प्रतिनिधि की देखरेख में कुछ घंटों के लिए किया जाएगा, खासकर लंच ब्रेक के दौरान, जैसा कि आर्किटेक्ट ने लिखकर मंज़ूरी दी हो। प्रतिनिधि को ब्लास्टिंग के नियमों की जानकारी होनी चाहिए।

उचित सावधानियां व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए लिया जाए। लाल जिस जगह पर धमाका किया जाना है, उसके आस-पास झंडे साफ़-साफ़ दिखाए जाने चाहिए और काम पर मौजूद सभी लोगों को उम्मीद है कि जो लोग असल में झंडे जलाएंगे, वे ही झंडे जलाएंगे। फ़्यूज़ को सुरक्षित दूरी पर हटा दिया जाएगा का नहीं कम बजाय 100 मीटर की दूरी पर से धमाका। नष्ट करेगा नहीं होना

मौजूदा चिनाई या किसी और तरह के स्ट्रक्चर के 100 मीटर के अंदर ऐसा न करें , जब तक कि भारी कंबल वगैरह से खास सावधानी न बरती जाए।

जहां ब्लास्टिंग मुमकिन न हो या मना हो, वहां खुदाई की जाएगी। वेजिंग या छेनी से और यह आवश्यक नींव इत्यादि डालने के लिए आवश्यक मात्रा तक सीमित होगा। यदि खाइयों का आयाम चित्र में दिखाए गए या वास्तुकार के निर्देश से अधिक है, तो अतिरिक्त मात्रा का भुगतान नहीं किया जाएगा, इस मद में कार्य के किसी भी चरण में पम्पिंग सहित उप-मृदा या वर्षा जल को बाहर निकालना, स्ट्रटिंग आदि को किनारे करना भी शामिल है।

धरती भरना :

सामान्य : भराई अच्छी मिट्टी, मुरुम , पत्थर के टुकड़े, या टूटे हुए बिल्डिंग के मलबे से की जाएगी । इसमें नमक, ऑर्गेनिक चीज़ें, काली रूई या गीली मिट्टी और जलने वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सभी ढेलों को तोड़ दिया जाएगा।

a) **भरना में इमारत का बंद** :

भराई 25 cm से ज़्यादा गहरी लेयर में नहीं की जानी चाहिए , खूब पानी देना चाहिए और 7 से 8 kg वज़न वाले लोहे या लकड़ी के रैमर से ठोककर मज़बूत करना चाहिए, जिसका बेस 20 cm चौकोर या 20 cm डायमीटर का हो। जब भराई तैयार लेवल पर पहुँच जाए, तो सतह पर कम से कम 24 घंटे पानी डाला जाना चाहिए, सूखने दिया जाना चाहिए और फिर ठोककर मज़बूत किया जाना चाहिए, बाद में किसी भी तरह के जमाव से बचने के लिए उसे ठीक कर दिया जाना चाहिए। खास ध्यान रखें। करेगा होना लिया प्लिंथ बीम और कॉलम के कोनों के नीचे मिट्टी भरना। भरने का पूरा लेवल उस ढलान पर रखा जाएगा जो फर्श को दिया जाना है।

b) **भरना में आउटडोर अंश और के लिए साइट विकास** :

यह 30 cm की लेयर में किया जाएगा। हर लेयर को ठीक से पानी दिया जाएगा। जब फिलिंग ज़रूरी लेवल तक पहुँच जाए, तो सबसे ऊपर की लेयर को सही सेक्शन, ग्रेड और कैम्बर में तैयार किया जाएगा और 8 से 10 टन के पावर रोलर से रोल किया जाएगा और कॉम्पेक्शन में मदद के लिए ठीक से पानी दिया जाएगा।

सूखा मलबे पैकिंग और लेवलिंग अवधि।

सूखा मलबा पैक करना : सबसे पहले ज़मीन को लेवल किया जाएगा और भारी लॉग हैमर या फ्रॉग रैम से अच्छी तरह से मज़बूत किया जाएगा। फिर तय मोटाई का मलबा बिछाया जाएगा और हाथ से सेट किया जाएगा। इसे हैंड रोलर या लकड़ी के लॉग हैमर से मज़बूत किया जाएगा; इस्तेमाल करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। कंसोलिडेशन के दौरान पानी बनाया जा रहा है। कंसोलिडेशन के बाद सभी खोखले और बीच की जगहों को खदान के बचे हुए टुकड़ों, पत्थर के टुकड़ों वगैरह से भर दिया जाएगा, और पैकिंग को पत्थर के दाने से ढक दिया जाएगा और पानी डालकर लॉग हैमर से कंसोलिडेट किया जाएगा।

सड़क के काम में मलबे की पैकिंग को अच्छी तरह से एक साथ किया जाएगा बिजली की रोलर्स 8 का टन क्षमता बजाय लॉग का हथौड़ा और सतह

लेवल, ग्रेड और कैंबर चेक करने के बाद, सड़क के स्ट्रक्चर के लिए सतह पर फिर से पानी डाला जाएगा और रोल किया जाएगा।

लेवलिंग अवधि :

यह या तो लीनर मिक्स का प्लेन सीमेंट कंक्रीट या लाइम कंक्रीट होगा जिसे संबंधित आइटम में बताए गए अनुपात में मिलाया जाएगा और ड्राइंग में दिखाई गई लाइन और लेवल के हिसाब से जगह पर रखा जाएगा। और मंज़ूर तरीकों से कॉम्पैक्ट किया गया और ठीक से क्योर किया गया।

चूना कंक्रीट बनाने के लिए रेत और बुझा हुआ चूना, तीन भाग रेत और एक भाग चूना मिलाकर एक सही चक्की में पीसा जाएगा और इस तरह तैयार मोर्टार को ईंट के बैट के छह भागों में मिलाकर 50 mm की जाली से गुज़ारा जाएगा, अच्छी तरह मिलाया जाएगा और सही जगह पर रखकर मंज़ूर तरीकों से दबाया जाएगा। कंक्रीट को ठीक से ठीक किया जाएगा।

मैदान और प्रबलित सीमेंट ठोस

A) **बड़ा आधार** : -

सामान्य : सिवाय उन स्थानों के जहां वे इस विनिर्देश की आवश्यकताओं के कारण भिन्न हैं, सादे और प्रबलित कंक्रीट के लिए भारतीय मानक विनिर्देश आईएस-456-1964 और हल्के और मध्यम तन्यता वाले स्टील बार और कंक्रीट सुदृढ़ीकरण के लिए कठोर खींचे गए स्टील तार के लिए आईएस-432 भाग I और II और साथ में लागू कोई अन्य प्रासंगिक आईएसएस के प्रावधान के कारण। नए बदलावों को इस स्पेसिफिकेशन्स में शामिल माना जाएगा। इन स्पेसिफिकेशन्स का मकसद यह पक्का करना होगा कि काम की अलग-अलग जगहों पर रखा गया सारा कंक्रीट टिकाऊ हो, डिज़ाइन, लोड उठाने के लिए काफी मज़बूत हो, वह अच्छी तरह घिसे और पानी से लगभग सुरक्षित हो। उसमें सिकुड़न, दरार और हनीकॉम्बिंग जैसी कमियां नहीं होनी चाहिए।

प्रोपोर्शनिंग मिक्स :

साधारण कंक्रीट में, कंट्रोल्ड कंक्रीट को छोड़कर, सीमेंट और बारीक एग्रीगेट का अनुपात, संबंधित आइटम में बताए गए अनुसार होगा और इसे नीचे टेबल "A" में दिए गए अनुसार सही-सही मापा जाएगा। ये अनुपात इस धारणा पर आधारित हैं कि एग्रीगेट सूखे हैं। अगर एग्रीगेट नम हैं, तो बल्किंग के लिए IS :2386 /- के अनुसार अलाउंस दिया जाएगा। अलाउंस करेगा भी बनाया जा सतह के लिए में मौजूद पानी पानी की मात्रा की गणना करते समय कुल मिलाकर। मौजूद सतही पानी का पता IS :2386 /- (पार्ट III) में बताए गए फील्ड तरीकों में से किसी एक से लगाया जाएगा। सही डेटा न होने पर, सतही पानी की मात्रा का अनुमान दी गई वैल्यू से लगाया जा सकता है। नीचे तालिका 'बी' में (तालिका 'ए' और 'बी' कृपया पृष्ठ संख्या 124 और 125 पर देखें)

मिश्रण :

1:2:4 या उससे ज़्यादा मिक्स वाले कंक्रीट को एक मंज़ूर मैकेनिकल मिक्सर में मिलाया जाएगा। मिक्सर और मिक्सिंग प्लेटफॉर्म को हवा से उचित रूप से सुरक्षित रखा जाएगा और बारिश। समुच्चय करेगा होना सही रूप में मापा बाहर में बक्से और

सीमेंट के साथ सूखा मिलाकर, फिर मापी हुई मात्रा में पानी मिलाएं और तब तक मिलाते रहें जब तक मिश्रण एक जैसा न हो जाए। की सामग्री और द्रव्यमान है वर्दी में रंग और स्थिरता में लेकिन किसी भी हालत में मिक्सिंग 2 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए।

जब हाथ मिश्रण की अनुमति है साथ अनुमोदन की इसे आर्किटेक्ट करें यह काम पानी से सुरक्षित मिक्सिंग प्लेटफॉर्म पर किया जाना चाहिए और ध्यान रखा जाना चाहिए पक्का करें कि मिक्सिंग तब तक जारी रहे जब तक कि मिक्सचर का रंग और गाढ़ापन एक जैसा न हो जाए।

स्थिरता :
मात्रा पानी डा के लिए प्रबलित बनाना ठोस करेगा पर्याप्त हो इसलिए जैसा यह पक्का करने के लिए कि कंक्रीट चारों ओर से घेरे और ठीक से पकड़ बनाए मजबूती। सबसे अच्छी कंसिस्टेंसी वह होगी, जो बहेगी बिना चपटे और बिना अलग हुए धीरे-धीरे
मोटे एग्रीगेट्स। प्लास्टिसिटी की डिग्री काम के नेचर पर निर्भर करेगी। और वायुमंडलीय तापमान और चाहे कंक्रीट को वाइब्रेट किया जाता है या हाथ से कॉम्पैक्ट किया जाता है। IS :119 -1959 में बताए गए तरीके के अनुसार किए गए स्टैंडर्ड स्लम्प टेस्ट से मिले टेबल "C" में दिखाए गए स्लम्प को अलग-अलग तरह के कामों के लिए अपनाया जाएगा।

मिश्रण :

प्रयोग का मिश्रण है अनुमत केवल अगर अनुमत द्वारा स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट और इस बारे में उनका फ़ैसला आखिरी होगा।

परिवहन :

कंक्रीट को मिक्सिंग की जगह से फाइनल डिपॉजिट की जगह तक जितनी जल्दी हो सके, ऐसे तरीकों से पहुंचाया जाएगा जिनसे कंक्रीट को गिरने से रोका जा सके। किसी भी सामग्री का अलग होना या नुकसान। अगर ट्रांसपोर्ट के दौरान अलग होना होता है, तो कंक्रीट को रखने से पहले फिर से मिलाना होगा। किसी भी हालत में, अपनी जगह पर कंसॉलिडेशन को मिलाने के बीच 30 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए।

लगाना और संक्षिप्त करने :

कंक्रीट को सही मोटाई की परतों में या पट्टियों में रखा जाएगा और शुरुआती सेटिंग शुरू होने से पहले उसे कॉम्पैक्ट किया जाएगा और बाद में उसे हिलाया नहीं जाना चाहिए। रखने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि वह अलग न हो और जहाँ तक हो सके, रखना लगातार होना चाहिए। बिछाते समय IS :456 के अनुसार खास ध्यान रखा जाएगा। बहुत खराब मौसम में कंक्रीट।

कंक्रीट को रखने के काम के दौरान और रीइन्फोर्समेंट, एम्बेडेड फिक्स्चर के चारों ओर अच्छी तरह से काम करते समय और फॉर्म वर्क के कोनों पर स्पैड से अच्छी तरह कॉम्पैक्ट किया जाएगा और पनिंग, रॉडिंग, मैकेनिकली वाइब्रेटिंग या किसी अन्य अप्रूव्ड तरीके से। इसके अलावा, फॉर्म वर्क को डालने वाले हेड पर लकड़ी के मैलेट का इस्तेमाल करके हल्के से टैप किया जाएगा। संख्या और प्रकार का थरथानेवाला को होना इस्तेमाल किया गया करेगा होना विषय को

आर्किटेक्ट्स की मंज़ूरी के बाद और आम तौर पर इमर्शन टाइप वाइब्रेटर का इस्तेमाल किया जाएगा। जब भी कहा जाए, बाहरी वाइब्रेटर का भी इस्तेमाल किया जाएगा।

कंपन की तीव्रता और अवधि (कंपन पैदा करने के लिए पर्याप्त होगी) पूर्ण निपटान और क्रमिक किसी भी स्तरीकरण के बिना संघनन परतें या पृथक्करण सामग्री या लैटेंस के बनने का। वाइब्रेटर को कंक्रीट में सीधा 45 cm से ज़्यादा दूरी पर न डालें और जब सतह पर हवा के बुलबुले न आएं तो बहुत धीरे-धीरे बाहर निकालें। ज़्यादा वाइब्रेशन या बहुत गीले मिक्स का वाइब्रेशन। नुकसानदायक है और इससे बचना चाहिए। इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। वाइब्रेटर सिर्फ़ कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करने के लिए होगा, उसे फैलाने के लिए नहीं, अच्छी वर्किंग कंडीशन में काफ़ी संख्या में रिज़र्व वाइब्रेटर चालू रखे जाएँगे। हाथ बिल्कुल भी नहीं समय, इसलिए जैसा को सुनिश्चित करना वह वहाँ है नहीं ढीलापन या कॉम्पैक्टिंग में रुकावट।

<u>निर्माण जोड़ों</u> :

कंक्रीटिंग का काम जहाँ तक हो सके, एक सिरे से दूसरे सिरे तक लगातार किया जाएगा और जब कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स पूरी तरह से ज़रूरी हों, तो इसे आर्किटेक्ट द्वारा मंज़ूर की गई पहले से तय जगह। जोड़ों को ऐसी जगहों पर रखा जाएगा जहाँ शियर फ़ोर्स सबसे कम हो और ये सीधे और मेन रीइन्फोर्समेंट की दिशा के राइट एंगल पर होंगे। जब काम फिर से शुरू करना हो, तो ऐसी सतह जो सख्त हो गई हो, ऐसी सतह इसे साफ़ किया जाएगा, अच्छी तरह गीला किया जाएगा और सीमेंट और रेत से बने मोर्टार की 13 mm की परत से ढका जाएगा, जिसमें सीमेंट कंक्रीट मिक्स की तरह ही अनुपात होगा। मोर्टार की यह 13 mm की परत ताज़ा मिक्स की जाएगी और कंक्रीट डालने से ठीक पहले रखी जाएगी ।
जहां कंक्रीट पूरी तरह से सख्त नहीं हुआ है, वहां सारा लैटेंस हटा दिया जाएगा। द्वारा रगड़ना तार या ब्रिसल वाले ब्रश से सतह को गीला करें, ध्यान रखें कि एग्रीगेट के कण बाहर न निकलें। फिर सतह पर साफ सीमेंट ग्राउट की कोटिंग करें। हॉरिजॉन्टल जोड़ों में पहली परत इस सतह पर रखा जाने वाला कंक्रीट 15 cm से ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए और पुराने काम के साथ अच्छी तरह से जमाया जाना चाहिए, कोनों पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए।

<u>रूप काम</u> :

फॉर्म वर्क, प्लान में दिखाए गए आकार, लाइनों और डाइमेंशन के हिसाब से होगा और इसे इस तरह बनाया जाएगा कि यह काम के दौरान काफी मज़बूत बना रहे। कंक्रीट को रखना और दबाना पर्याप्त रूप से जलरोधी होना चाहिए नुकसान को रोकें सीमेंट के घोल का से कंक्रीट। फॉर्म वर्क या सेंटरिंग स्टील या लकड़ी से बना होगा और गीले कंक्रीट का पूरा वज़न बिना हिले-डुले झेलने और अपना आकार बनाए रखने के लिए ठीक से डिज़ाइन किया जाएगा।

दौरान । इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी को ठीक से सीज़न किया जाना चाहिए ताकि गीला होने पर वह खराब न हो।

सभी सहारे सीधे और पूरी ऊंचाई के होने चाहिए और उनमें कोई जोड़ नहीं होना चाहिए। सहारे पतले बांस या लकड़ी के डंडों से मज़बूत किए जाने चाहिए और जहाँ अतिरिक्त जगह हो, वहाँ मचान है ज़रूरी, अतिरिक्त देखभाल करेगा होना लिया को उपयोग बड़ा

डायमीटर के प्रॉप्स। सभी प्रॉप्स को सोल प्लेट्स और डबल वेजेज पर सपोर्ट किया जाएगा। प्रॉप्स हटाते समय इन वेजेज को धीरे से ढीला किया जाएगा और खटखटाया नहीं जाएगा।

कंक्रीट डालने और फॉर्म वर्क के संपर्क में आने से पहले फॉर्म के अंदर से सारा कचरा, चिप्स, छीलन और बुरादा हटा दिया जाएगा। साथ ठोस करेगा साफ़ किया जाए और पूरी तरह से गीला या बिना दाग वाले मिनरल ऑयल या किसी दूसरे मंज़ूर मटीरियल से ट्रीट किया हुआ, उसे रीइन्फोर्समेंट के संपर्क में आने से दूर रखा जाता है।

सभी फॉर्म वर्क को बिना किसी झटके या वाइब्रेशन के हटाया जाएगा और स्ट्रक्चर को धीरे-धीरे अपना लोड उठाने देने के लिए सावधानी से हटाया जाएगा। फॉर्म को तब तक नहीं हिलाया जाएगा जब तक कंक्रीट उस पर आने वाले ओवरइम्पोज़्ड लोड को उठाने के लिए ठीक से सख्त न हो जाए और किसी भी हालत में फॉर्म को तब तक नहीं हिलाया जाएगा जब तक कंक्रीट को हिलाने के समय उसे दबाया न जा सके।

आम हालात में (आमतौर पर जहां टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो) और जहां आम सीमेंट इस्तेमाल होता है, वहां फॉर्म नीचे दिए गए टाइम पीरियड के बाद भी बनाए जा सकते हैं:

a)	दीवारें, कॉलम और खड़ा दोनों पक्ष का }	48 घंटे जैसा मई होना सीधे वास्तुकार द्वारा
b)	तल का पटिया ऊपर को 4.5 मी. अवधि	7 दिन.
c)	स्लैब का निचला हिस्सा 4.5 m तक फैला हुआ है । का खुशी से उछलना और मेहराब पसली ऊपर 6 मीटर फैलाव तक।	14 दिन.
d)	बीम और मेहराब का निचला भाग 6 m से ज़्यादा लंबी रिब ।	21 दिन।

लेकिन, यह समय आर्किटेक्ट अपनी मर्ज़ी से बढ़ा या घटा सकते हैं। कैंटिलीवर स्लैब कैनोपी, पोर्टल फ्रेम, फोल्डेड प्लेट कंस्ट्रक्शन की सेंटरिंग करते समय खास ध्यान रखना होगा और सेंटरिंग का समय आर्किटेक्ट तय करेगा।

अगर निर्देश दिया जाए, तो यह पक्का करने के लिए कि फॉर्म को ऊपर की ओर झुकाया जाएगा बीम में कोई नहीं है ढलाव। फॉर्म हटाने पर जो सतह दिखती है, उसकी ध्यान से जांच की जाएगी और अगर कोई पंख, गड़गड़ाहट, उभार वगैरह दिखे तो उसे हटा दिया जाएगा। कोई भी छोटी-मोटी छत्ते जैसी चीज़ सीमेंट मोर्टार 1:2 के साथ अच्छी तरह से खत्म किया जाना चाहिए।

कोई भी काम जिसमें समय से पहले या लापरवाही से नुकसान के संकेत दिखें सेंटरिंग या शटरिंग को हटाना होगा पुनर्निर्मित द्वारा ठेकेदार अपने खर्च पर काम करेगा।

<u>ताकत</u> :

अनुपात में मिलाए गए कंक्रीट में डालने के बाद कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, नीचे दिए गए से कम नहीं होनी चाहिए:

नहीं	ठोस मिलाएँ.	न्यूनतम संपीड़न ताकत @ 7 दिन	न्यूनतम संपीड़न ताकत @ 28 दिन
1	1:1:2	160 किलोग्राम. / वर्ग मीटर . (2250 पाउंड / वर्ग। इंच)।	250 किलोग्राम. / वर्ग मीटर . (3500 पाउंड / वर्ग। इंच)।
2	1:1½:3	132 किलोग्राम. / वर्ग मीटर . (1875 पाउंड / वर्ग। इंच)।	200 किलोग्राम. / वर्ग मीटर . (2850 पाउंड / वर्ग। इंच)।
3	1:2:4	106 किलोग्राम. / वर्ग मीटर . (1500 पाउंड / वर्ग। इंच)।	150 किलोग्राम. / वर्ग मीटर . (2250 पाउंड / वर्ग। इंच)।

परीक्षण :

कंक्रीट पर परीक्षण IS-456/- के अनुसार किया जाएगा और कोई भी अन्य लागू होगा। वर्क टेस्ट की फ्रीक्वेंसी आर्किटेक्ट के ऑर्डर के अनुसार इंटरवल पर होगी और इसके तहत हर 150 cu.m. कंक्रीट या उसके हिस्से पर टेस्ट किया जाएगा। एक के लिए दिन का कंक्रीट 30 से अधिक घन मीटर हर सैंपल के लिए 6 क्यूब का बैच बनाया जाएगा और उनमें से 3 का टेस्ट 7 दिन बाद और बाकी 3 क्यूब का टेस्ट 28 दिन बाद किया जाएगा। कंक्रीट को एक तय अनुपात के हिसाब से स्वीकार करने का क्राइटेरिया / कंक्रीट का ग्रेड IS :456 के अनुसार होगा और कॉन्ट्रैक्टर रिजेक्ट किए गए काम को अपने खर्च पर पूरी तरह से दोबारा करेगा। सिर्फ़ 28 दिन की मज़बूती को ही मंज़ूरी के लिए माना जाएगा।

कॉन्ट्रैक्टर को एक अप्रूव्ड लैबोरेटरी में संबंधित इंडियन स्टैंडर्ड्स स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार टेस्ट करने का इंतज़ाम करना होगा और टेस्ट रिपोर्ट ओरिजिनल रूप में आर्किटेक्ट को जमा करनी होगी। टेस्टिंग का पूरा खर्च कॉन्ट्रैक्टर उठाएगा।

इस्पात सुदृढीकरण :

मज़बूती को ड्राइंग में दिखाए गए तरीके से या आर्किटेक्ट के बताए अनुसार सही तरीके से बनाया, लगाया और ठीक से रखा जाएगा। सभी तैयार बार में दरारें, सतह की कमियां, लेमिनेशन , दांतेदार और खराब किनारे नहीं होने चाहिए। जैसा दिखाया गया है, ज़रूरी कवर देने के लिए सीमेंट मोर्टार ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाएगा और उन्हें 16 से 18 गेज के बाइंडिंग वायर से मज़बूती से बांधा जाएगा । मज़बूती को इसके अनुसार मोड़ा जाएगा। IS :2502 -1963 में बताए गए तरीके के अनुसार सीधा नहीं किया जाएगा और इस तरह से सीधा नहीं किया जाएगा जिससे मटीरियल को नुकसान पहुंचे।

कंक्रीट में डालने से ठीक पहले, सभी मज़बूती को ढीले मिल स्केल, ढीले जंग, तेल और ग्रीस या दूसरी नुकसानदायक चीज़ों से अच्छी तरह साफ़ कर लेना चाहिए, जो बॉन्ड को खराब कर सकती हैं या कम कर सकती हैं।

रीइन्फ़ोर्स्ड कंक्रीट मेंबर्स में रीइन्फ़ोर्समेंट को वेल्डिंग या कपलिंग से नहीं जोड़ा जाएगा। के अलावा के अनुसार प्रासंगिक आईएसएस और की पूर्व स्वीकृति के साथ

आर्किटेक्ट. ओवरलैप और जॉइंट्स को अलग-अलग जगह पर लगाया जाएगा और स्पैन के साथ ऐसी जगहों पर लगाया जाएगा जहां न तो शियर और न ही बेंडिंग मोमेंट सबसे ज़्यादा हो ।

ढकना :

रीइन्फोर्समेंट में RCC ड्रॉइंग में दिखाए गए कवर होंगे और जहाँ बताया नहीं गया है, वहाँ कवर की मोटाई इस तरह होगी। कवर ब्लॉक बनाने के लिए CM 1:1 में सीमेंट मोर्टार ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाएगा।

a) मजबूत करने वाले बार के हर सिरे पर 25 mm से कम नहीं, ऐसी रॉड या बार के डायमीटर के दोगुने से कम नहीं ।
b) के लिए ए अनुदैर्ध्य मजबूत छड़ में ए स्तंभ नहीं कम बजाय व्यास का ऐसा छड़ या छड़। में का मामला कॉलम का न्यूनतम का 20
mm या जिनके नीचे मज़बूत करने वाली सलाखें 13 mm से ज़्यादा न हों, उनके लिए 25 mm का कवर इस्तेमाल किया जा सकता है।
c) कॉलम में लंबाई में मज़बूत करने वाली बार के लिए 25 mm से कम नहीं। ऐसी छड़ या बार के व्यास से कम।
d) के लिए तन्यता, संपीड़न, कतरनी या अन्य सुदृढीकरण में ए पटिया 13 mm से कम नहीं और ऐसे रीइन्फोर्समेंट के डायमीटर से कम नहीं, और
e) के लिए चींटी अन्य सुदृढीकरण नहीं कम बजाय 13 मिमी. नहीं कम बजाय ऐसे रीइन्फोर्समेंट का डायमीटर।

वजन-बैचिंग आधार अर्थात (डिज़ाइन मिक्स ठोस):

– 2000 और किसी भी अन्य IS कोड के अनुसार किया जाएगा लागू।

मेज़ - ए

नहीं	नाममात्र मिलाएँ.	मात्रा का समुच्चय प्रति 50 kg सीमेंट की ज़रूरत होती है।		मात्रा का पानी आवश्यक प्रति 50 kg सीमेंट।	
		अच्छा घन मीटर	मोटा घन मीटर .	कंपनित	अकंपित
				(के लिए शुष्क समुच्चय)	
1	1:1:2	0.035 (1.2 सी.एफ.टी.)	0.070 (2.4 सी.एफ.टी.)	22 जलाया गैल.)	27 जलाया (4.8 (6 गैलन)
2	1:1½:.3	0.052 (1.8 सी.एफ.टी.)	0.106 (3.6 सी.एफ.टी.)	23 जलाया गैल.)	30 जलाया (5 (6 गैल.)
3	1:2:4	0.070 (2.4 सी.एफ.टी.)	0.138 (4.8 सी.एफ.टी.)	27 जलाया गैल.)	32 जलाया (6 (7 गैल.)
4	1:3:6	0.105 (3.6 सी.एफ.टी.)	0.210 (7.2 सी.एफ.टी.)	28 जलाया गैल.)	34 जलाया (6.25 (7.5 गैल.)
5	1:4:8	0.150 (4.8 सी.एफ.टी.)	0.280 (9.6 सी.एफ.टी.)	- - - -	45 लीटर (10 गैलन)

मेज़ – बी

नहीं	सकल	लगभग। मात्रा का सतह पानी में ज्योतिर्मय / घन मीटर .

1	बहुत गीला रेत।	120
	मध्यम गीला रेत।	80

3	नम रेत।	40
4	गीली बजरी या कुचला हुआ सॉक। एग्रीगेट जितना मोटा होगा, कमतर पानी यह इच्छा ढोना।	20 40 तक

मेज़ – सी

नहीं।	प्रकार का काम	मंदी कब कंपन होता है कब नहीं स्फूर्त
1.	द्रव्यमान कंक्रीट में आरसीसी नींव आधार .	2.5 सेमी . (1") 5 सीएमएस . (2")
2.	बीम, स्लैब, कॉलम साथ सरल सुदृढीकरण .	2.5 सेमी . से 5 सेमी . (1" 2" 5 सीएमएस . से 10 सीएमएस . तक (2" से 4")
3.	पतले वर्गों के साथ अतिप्रजन का सुदृढीकरण।	5 सीएमएस . 10 तक सेमी . को 15 सीएमएस . (2" 4" 10 सीएमएस . तक (4" से 6")

नोट : चाहिए स्थितियाँ गवर्निंग मंदी और काम करने की क्षमता में बदलाव की ओर इशारा को एक की सलाह बढ़ा हुआ मंदी, यह करेगा यह सिर्फ़ एग्रीगेट की मात्रा कम करके किया जा सकता है, पानी की मात्रा बढ़ाकर नहीं।

ए) **वजन-बैचिंग आधार अर्थात (डिज़ाइन मिक्स ठोस)** :-

कारीगरी के लिए डिज़ाइन मिक्स ठोस करेगा होना ले जाया गया बाहर IS 4562000 के अनुसार और कोई भी अन्य IS कोड लागू है।

ईंट और पत्थर चिनाई

सामान्य :

सभी ईंटों का काम ड्रॉइंग में दिखाए गए तरीके से सेटबैक, प्रोजेक्शन, कटिंग, टूथिंग वगैरह के साथ किया जाना चाहिए। जहाँ भी सीमेंट मोर्टार का अनुपात खास तौर पर नहीं बताया गया है, वहाँ 1:6 के अनुपात में सीमेंट मोर्टार का इस्तेमाल किया जाएगा। जहाँ भी ज़रूरत हो, बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के फ्लैट ईंटों के आर्च दिए जाएँगे। ईंटों का काम चलते समय गीला रखा जाएगा, जब तक कि मोर्टार ठीक से सेट न हो जाए। छुट्टियों में या जब काम खत्म हो रहा हो, तो सभी अधूरी चिनाई के ऊपर का हिस्सा गीला रखा जाएगा। अगर मोर्टार सूख जाए, सफेद हो जाए या पाउडर जैसा हो जाए, तो क्योरिंग के काम की कमी के कारण उसे हटा दिया जाएगा। ठेकेदार के यहां गिराया और फिर से बनाया गया खर्चे।

ईंट कार्य 1 कक्षा :

काम पर इस्तेमाल करने से पहले ईंटों को अच्छी तरह से साफ़ किया जाना चाहिए, अच्छी तरह गीला किया जाना चाहिए और कम से कम बारह घंटे ताज़े पानी में भिगोया जाना चाहिए। ईंटें आस-पास मिलने वाली सबसे अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए।

दीवार बनाने में पूरी तरह से इंग्लिश बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। पूरे काम में, साइड में और साइड में, दोनों तरफ एक अच्छा बॉन्ड बनाए रखा जाएगा। दीवार बनाने में,

कोर्स को पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल और सीधा रखा जाएगा, जिसमें फ्रॉग ऊपर की ओर होंगे। वर्टिकल जॉइंट्स की मोटाई 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए । मोर्टार से भरा होना चाहिए। क्लोजर के अलावा किसी भी टूटी हुई ईंट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दिन भर के काम के बाद सभी जोड़ों को 12 mm गहराई तक रेक किया जाएगा ताकि प्लास्टरिंग के लिए सही की मिल सके।

इस्तेमाल किया जाने वाला मोर्टार संबंधित मदों में बताए अनुसार होगा और हर तीसरे ईंट के काम के दौरान मोर्टार ग्राउट डाला जाएगा।

पूरे स्ट्रक्चर में चिनाई का पूरा काम एक जैसा लेवल पर किया जाएगा; लेकिन जहाँ टूट-फूट ज़रूरी हो, वहाँ जोड़ अच्छी लंबी सीढ़ियों में बनाए जाएँगे। दीवारों और क्रॉस दीवारों के सभी जंक्शनों को ध्यान से मुख्य दीवारों में बाँधा जाएगा। अगर सीमेंट मोर्टार का इस्तेमाल किया जाता है, तो चिनाई की ऊंचाई हर दिन 60 cm तक हो सकती है और अगर चूने के मोर्टार का इस्तेमाल किया जाता है, तो यह 45 cm तक हो सकती है। ज़्यादा ऊँचाई तभी बनाई जा सकती है जब आर्किटेक्ट इसकी इजाज़त दे।

बारिश के दौरान, मोर्टार को बहने से बचाने के लिए काम को ध्यान से ढक दिया जाएगा। अगर कोई मोर्टार या सीमेंट बह जाता है, तो काम को हटाकर कॉन्ट्रैक्टर के खर्चे पर दोबारा बनाया जाएगा।

ईंटों काम द्वितीय श्रेणी :
1st क्लास ईंट के काम जैसा ही होगा, बस इसमें 2nd क्लास ईंटों का इस्तेमाल किया जाएगा और जोड़ 10 mm से 12 mm मोटे होंगे।

आधा ईंट चिनाई :

करेगा होना तय करना में सीमेंट गारा जैसा निर्दिष्ट। घेरा लोहा बैंड का 2.5 सेमी। एक्स 0.16 (1" एक्स 1/16") करेगा होना अंतर्निहित में प्रत्येक चौथी अवधि साथ मोटी मोर्टार बैंड या 2 नग 6 मिमी. (1/4") व्यास.
सलाखों करेगा होना इस्तेमाल किया गया में प्रत्येक छठा अवधि अन्यथा निर्दिष्ट अंतर्गत वस्तु।

मलबे चिनाई

सामान्य :

पत्थर आइटम में बताई गई तरह के होने चाहिए और किसी अप्रूव्ड खदान से होने चाहिए। पत्थर होगा बिछाने से पहले अच्छी तरह गीला करें पद। मोर्टार आइटम में बताए गए अनुसार होगा। फेस स्टोन इससे कम नहीं होगा ऊंचाई की अपेक्षा चौड़ाई में अधिक होने के कारण, यह कार्य में इसकी लंबाई से अधिक भी होगा ऊंचाई। दरवाज़ों, खिड़कियों और खुलने वाली जगहों के जाम्ब को क्वॉइन से बनाया जाएगा। टूटी हुई दीवारों के मामले में, टूटी हुई सतह पर कोर्स बैटर के राइट एंगल पर होंगे।

हर कोर्स में 2 मीटर से ज़्यादा दूरी पर पत्थर या हेडर बिछाए जाएंगे और उन्हें अलग-अलग रखा जाएगा। वे एक ही जगह पर होंगे। 1.5 मीटर चौड़ी दीवारों के लिए टुकड़ा और के मामले में लैप जॉइंट किया जाएगा दीवार जिसकी मोटाई आधे मीटर से ज़्यादा हो। हर हेडर का फेस एरिया 0.50 sqm से कम नहीं होगा । जहां अच्छी लंबाई के हेडर उपलब्ध नहीं हैं, वहां 1:2: 4 सीमेंट कंक्रीट की भी अनुमति दी जा सकती है। आसानी से पहचानने के लिए हेडर पर ऑयल पेंट से निशान लगाए जाएंगे।

क्वॉइन की ऊंचाई कोर्स के बराबर होगी। क्वॉइन की लंबाई 0.50 होगा मीटर और हेडर रखा जाएगा और स्ट्रेचर को बारी-बारी से। क्वॉइन के चेहरे ठीक से तैयार किए जाएंगे। कोई भी क्वॉइन पत्थर 0.30 cum से कम नहीं होगा। सामग्री में। चिनाई के जोड़ों को रेक किया जाएगा और जब तक जैसा कि कहा गया है, सभी खुली सतहों पर सीमेंट मोर्टार 1:1 का इस्तेमाल करके सीमेंट की नोक बनाई जाएगी। सभी चिनाई के काम में सात दिनों तक अच्छी तरह पानी दिया जाएगा।

a) **कोर्स्ड मलवा चिनाई – पहला क्रम से लगाना** :

कोर्स की ऊंचाई 15 cm से कम नहीं होगी और सभी कोर्स एक जैसी ऊंचाई के होंगे। पाठ्यक्रम होगा समान ऊँचाई का। कोर्स की ऊंचाई उसके नीचे के किसी भी कोर्स से ज़्यादा होगी। बेड और साइड्स को चेहरे से 75 mm पीछे हथौड़े या छेनी से तैयार किया जाएगा। 35 mm. क्रमशः.

पत्थरों के फेस पर हथौड़े से ड्रेसिंग की जाएगी और बुशिंग 35 mm से ज़्यादा नहीं होगी। जोड़ों की मोटाई 10 mm से ज़्यादा नहीं होगी। पत्थरों के जोड़ कोर्स की कम से कम आधी ऊंचाई पर टूटने चाहिए। अंदर का काम चेहरा बिल्कुल वैसा ही होगा, जैसा बाहरी चेहरे पर है।

क्वॉइन कम से कम 0.5 m लंबे होंगे, उन्हें उनके बेड पर चौकोर बिछाया जाएगा और कम से कम 10 cm की गहराई तक ठीक से तैयार किया जाएगा।

b) **बिना पाठ्यक्रम के मलवा चिनाई** :

पत्थरों को हथौड़े से घिसा जाएगा। लगभग पचास परसेंट पत्थरों में 0.30 cm से कम नहीं होगा , और पच्चीस परसेंट पत्थर चिनाई में 40 cm या उससे ज़्यादा पीछे की ओर होंगे। पत्थरों को इस तरह लगाया जाएगा कि जोड़ जितना हो सके टूटें।

लंबे वर्टिकल जॉइंट्स से सावधानी से बचना चाहिए। जॉइंट्स की मोटाई किसी भी हालत में 12 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।

पिलर ऑफसेट को सही एंगल बनाने के लिए हथौड़े या छेनी से ठीक से तैयार किया जाएगा। बैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले पत्थर काफी बड़े साइज़ के होने चाहिए।

c) **यादृच्छिक मलवा चिनाई - पहला क्रम से लगाना** :

पत्थरों को छेनी से मोटा-मोटा तैयार किया जाएगा। उन्हें गारे में अच्छी तरह से लगाया जाएगा। पत्थर की ऊंचाई, सामने की चौड़ाई या लंबाई से ज़्यादा नहीं होगी। पत्थर बराबर साइज़ के होंगे और इस तरह से अरेंज किए जाएंगे कि जॉइंट्स जितना हो सके टूटें, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जॉइंट्स की लंबी लाइनों से बचें। क्वॉइन्स वैसे ही होंगे जैसे कोर्स्ड रबल मेसनरी में बताए गए हैं – पहली तरह। सभी पत्थरों को ध्यान से फिट किया जाएगा। फेस जॉइंट की मोटाई 25 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पत्थरों के किनारों को छेनी से तैयार किया जाएगा। सही जगह पर फिट होना।

एमएसगेट , एमएस ग्रिल्स वगैरह।

रोल्ड स्टील सेक्शन बनाने में इस्तेमाल होने वाले स्टील में 0.060 परसेंट से ज़्यादा सल्फर और 0.065 परसेंट से ज़्यादा फॉस्फोरस नहीं होना चाहिए। कार्बन की मात्रा 0.30 परसेंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और वेल्ड करने लायक क्वालिटी की होनी चाहिए। बाकी सभी मामलों में, रोल्ड स्टील सेक्शन IS 226-1955 और IS 1977-1962 के हिसाब से होने चाहिए।

फ्रेम चौकोर और सपाट होने चाहिए। फिक्स्ड और खुलने वाले, दोनों तरह के फ्रेम ऐसे सेक्शन से बनाए जाएंगे जिन्हें लंबाई में काटा गया हो, कोनों पर मिटर्ड और इलेक्ट्रिकली वेल्ड किया गया हो। सबडिवाइडिंग बार यूनिट्स को फ्रेम में टेनन और रिवेट किया जाएगा । सभी फ्रेम के कोनों को सही राइट एंगल पर वेल्ड किया जाएगा और वेल्ड को अच्छी तरह से साफ किया जाएगा। कपलिंग, मोल्डिंग और वेदर बार आर्किटेक्ट के निर्देशानुसार दिया जाएगा।

बाहरी फ्रेम में सेक्शन के वेब में बीच में फिक्सिंग छेद दिए जाएंगे और फ्रेम को चिनाई से फिक्स करने के लिए फिक्सिंग स्क्रू और लग्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जोड़ों को वॉटरटाइट बनाने के लिए मैस्टिक सीमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा।

कब्ज़े मज़बूत, बाहर निकले हुए टाइप के होने चाहिए। अगर डायरेक्टेड फ्रिक्शन टाइप के कब्ज़े इस्तेमाल किए जाते हैं, तो खिड़कियों में पेग स्टे नहीं लगाए जाएंगे। बाहर निकले हुए कब्ज़े वाले शटर में ब्रॉन्ज़ या पीतल के पेग स्टे लगाए जाएंगे, जो 30 cm लंबे होंगे और जिनमें पेग और ब्रैकेट फ्रेम से वेल्डेड/रिवेटेड होंगे या जैसा नीचे बताया गया है।

सभी खिड़कियों में पीतल या कांसे के हैंडल या किसी और चीज़ के हैंडल लगे होंगे। कहा गया उनके अधीन ।

फिक्स्ड फ्रेम में रिवेटेड /वेल्डेड प्लेन हिंज से फिक्स किया जाएगा । खिड़कियों की तरह 30 cm लंबा पीतल या कांसे का पेग स्टे दिया जाएगा या जैसा आइटम में बताया गया है।

सेंटर में लटके वेंटिलेटर को पीतल या लेड वाले टिन के कांसे के कप पिवट के दो जोड़ों पर लटकाया जाएगा, जो वेंटिलेटर के अंदरूनी और बाहरी फ्रेम में रिवेट किए गए होंगे ताकि वेंटिलेटर लगभग 85° के एंगल पर घूम सकें। वेंटिलेटर के खुलने की जगह इतनी बैलेंस्ड होनी चाहिए कि नॉर्मल मौसम में यह किसी भी मनचाहे एंगल पर खुला रहे। वेंटिलेटर के ऑपरेशन के लिए वेंटिलेटर के टॉप बार के बीच में एक कांसे का स्प्रिंग कैच लगाया जाएगा। इस स्प्रिंग कैच को पीतल के स्क्रू से फ्रेम में सुरक्षित किया जाएगा और यह बाहरी वेंटिलेटर के बाहर रिवेट या वेल्ड की गई माइल्ड स्टील की लचीली लोहे की कैच प्लेट में बंद हो जाएगा। चौखटा छड़। ए पीतल रस्सी चरखी पहिया हल्के में इस्पात या निंदनीय कार्ड आई के साथ आयरन ब्रैकेट दिए जाएंगे।

खिड़कियों और वेंटिलेटर को पेंट किया जाएगा। सभी स्टील की सतहों को पिकिंग या फॉस्फेटिंग से अच्छी तरह साफ किया जाएगा और जंग, स्केल या गंदगी और मिल स्केल से मुक्त किया जाएगा और बनाने से पहले अप्रूव्ड प्राइमर के एक कोट से पेंट किया जाएगा और बनाने के बाद अप्रूव्ड शेड और क्वालिटी के सिंथेटिक इनेमल पेंट के दो फिनिशिंग कोट से पेंट किया जाएगा।

फ्रेम के बाहर तय मोटाई की ग्लेज़िंग दी जाएगी और जब तक कुछ और न बताया गया हो, ग्लास लगाने के लिए मंज़ूर आकार और सेक्शन की मेटल बीडिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर कहा जाए, तो मंज़ूर मेक की खास मेटल सैश पुट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा।

<u>गढ़ा हुआ लोहा ग्रिल्स</u> :

ग्रिल ड्राइंग के हिसाब से बनाई जाएंगी और वेल्ड किए गए जोड़ चिकने होने चाहिए। ग्रिल को लगाने से पहले एंटी-कोरोसिव पेंट का एक कोट और अप्रूव्ड क्वालिटी और शेड के सिंथेटिक इनेमल पेंट के दो कोट लगाए जाएंगे।

पलस्तर

मचान :

मचान के लिए भार उठाते बाहर पलस्तर काम करेगा होना दोहरा इस्पात मचान होना वर्टिकल सपोर्ट के दो सेट ताकि मचान दीवारों से अलग हो।

तैयारी सतह का :

ईंट के काम में सभी पुटलॉग छेद और कंक्रीट और ईंट के काम के बीच के जंक्शन को पहले से ठीक से भर दिया जाएगा। ईंट के काम में जोड़ों को लगभग 10 mm तक रैक किया जाएगा। रेक नहीं किया गया ईंट-पत्थर का काम करते समय और कंक्रीट की सतह को प्लास्टर को पकड़ देने के लिए काटा जाता है, अगर पहले नहीं काटा गया तो जोड़ों पर गैप के कारण मोर्टार जलने लगता है। शटरिंग हटा दी जाएगी।

सतह को वायर ब्रश / कॉयर ब्रश से साफ़ करके गंदगी, धूल वगैरह हटानी चाहिए, और सतह को साफ़ पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए ताकि एफ़्लोरेंस, ग्रीस और तेल वगैरह हट जाएं, और प्लास्टर लगाने से पहले कम से कम छह घंटे तक गीला रखना चाहिए।

नीरू प्लास्टर :

तय अनुपात और मोटाई का सीमेंट मोर्टार छोटे बैच में तैयार किया जाएगा। और दीवार की सतह / छत पर लगाया जाता है। यह सही मोटाई, गेज्ड पैच सुनिश्चित करता है होगा

1.5 से 2 m की दूरी पर बनाया जाएगा और सतह को लाइन, लेवल और प्लंब के हिसाब से प्लास्टर किया जाएगा, खिड़कियों, दरवाजों, दीवार के रिटर्न, कोनों, जंक्शन वगैरह के चौखट को फिनिश करने का खास ध्यान रखा जाएगा। फिर नीरू की एक पतली परत लगाई जाएगी और सतह पर रगड़ी जाएगी और ट्रॉवेल से तब तक फिनिश किया जाएगा जब तक सतह एक जैसी और चिकनी न हो जाए। सतह सात दिनों तक नमी बनाए रखें और फिर सफेदी का कोट चढ़ा दें।

रेत-चेहरा प्लास्टर :

सतह करेगा होना तैयार जैसा ऊपर।

सीमेंट की परत मोर्टार में 1:4 का अनुपात या जैसा निर्दिष्ट, करेगा समान रूप से लागू किया जाए पूरी सतह पर 12 mm की मोटाई तक और लेवल और लाइन के हिसाब से फिनिश किया जाएगा और सतह पर कीज़ बनाई जाएंगी। फिनिशिंग कोट लगाने तक सतह को नम रखा जाएगा।

फिनिशिंग कोट एक या दो दिन बाद लगाया जाएगा। फिनिशिंग कोट के लिए मोर्टार का अनुपात एक हिस्सा सीमेंट और तीन हिस्सा चुना हुआ, अच्छी तरह से ग्रेड किया हुआ और धुला हुआ होगा। रेत, या मद में निर्दिष्ट अनुसार और इसे 6 मिमी. (1/4") की एकसमान मोटाई में लगाया जाएगा।

बताए गए तरीके से स्पंज पैड का इस्तेमाल करके सतह को एक जैसा दानेदार टेक्सचर देने के लिए टैप किया जाएगा। 24 घंटे बाद क्योरिंग शुरू होगी और सतह को सात दिनों तक गीला रखा जाएगा।

किसी न किसी कास्ट प्लास्टर :

फिनिशिंग कोट को छोड़कर, सतह तैयार की जाएगी और प्लास्टर का बेस कोट सैंड-फेस्ड प्लास्टर की तरह लगाया जाएगा।
फिनिशिंग कोट मोर्टार में एक हिस्सा सीमेंट, एक हिस्सा खास तौर पर चुनी हुई और ग्रेडेड रेत और एक हिस्सा 3 से 6 mm साइज़ की बजरी होगी। इसे पहले कोट पर बड़े ट्रॉवेल से लगाया जाएगा ताकि एक जैसा और सजावटी कोट बन सके। आम तौर पर IS :1661 -1960 के क्लॉज़ 16.5 के अनुसार । कोट की मोटाई लगभग 12 mm (1/2") होगी। इसे सात दिनों तक ठीक किया जाएगा।

किसी न किसी परत प्लास्टर साथ रंग खत्म करना :

यह फिनिश ऊपर दिए गए रफ कास्ट प्लास्टर जैसा ही होगा, बस मोर्टार तैयार करते समय, आम ग्रे सीमेंट के बजाय, सफेद सीमेंट के साथ अप्रूव्ड शेड का हाई-ग्रेड मिनरल पिगमेंट मिलाया जाएगा।

पानी प्रूफिंग इलाज :

जब तक कुछ और न बताया गया हो, कॉन्ट्रैक्टर बेसमेंट, छत और पानी रोकने वाले स्ट्रक्चर का वॉटरप्रूफिंग ट्रीटमेंट उन जानी-मानी फर्मों से करवाएगा जो इस फील्ड में स्पेशलाइज़ेशन रखती हैं और आर्किटेक्ट्स से अप्रूव्ड हैं। कॉन्ट्रैक्टर को ऐसे ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी आर्किटेक्ट्स को देनी होगी और जब कहा जाए तो ट्रीटमेंट कितना असरदार है, इसके बारे में सारी जानकारी/प्रूफ वगैरह भी देनी होगी। ऐसे सभी ट्रीटमेंट एम्प्लॉयर द्वारा मंज़ूर किए गए फ़ॉर्म में कम से कम समय के लिए गारंटी दी जाती है दस साल की गारंटी। गारंटी पीरियड के दौरान अगर कोई खराबी / लीकेज दिखे, तो कॉन्ट्रैक्टर को उसे मुफ़्त में ठीक करना होगा, जिसमें सरफेस को उसकी असली हालत और फिनिश में वापस लाना भी शामिल है।
रूम वगैरह के लिए फर्श के स्लैब के धंसे हुए हिस्सों की वॉटर-प्रूफिंग इस तरह की जाएगी। में निर्दिष्ट अनुसूची और आम तौर पर इसमें शामिल होंगे :

a) ए परत गर्म का बिटुमेन, न्यूनतम 6 मिमी. मोटा जांच की साथ पत्थर धैर्य.
b) मैन्युफैक्चरर के स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार अप्रूव्ड वॉटर-प्रूफिंग सीमेंट कंपाउंड के साथ सीमेंट मोर्टार 1:3 में कम से कम 20 mm मोटा सीमेंट प्लास्टर। प्लास्टर को सात दिनों तक पीटकर ठीक किया जाएगा।

ऊपर बताए गए ट्रीटमेंट के रेट में सुखाने का खर्च भी शामिल होगा। और सफाई मुक्त सतहें धूल वगैरह हटाने और बिटुमेन लगाने से पहले केरोसिन से पोंछने की ज़रूरत होती है। वर्टिकल फेस और रिटर्न को भी इसी तरह ट्रीट किया जाएगा। वर्टिकल फेस और रिटर्न सहित ट्रीट किए गए असली एरिया को मापा जाएगा और उसका पेमेंट किया जाएगा। काम इस तरह से किया जाना चाहिए कि बाथ में फिनिश्ड फ्लोरिंग का स्लोप कम से कम 20 से 25 mm हो।

चित्रकारी सामान्य :

जहाँ भी मचान है ज़रूरी, यह करेगा होना दोहरा मचान।

सतह को अच्छी तरह ब्रश करके मोर्टार की बूंदों और बाहरी चीज़ों से साफ़ किया जाएगा। सभी स्टील के काम से ढीला जंग, मिल के निशान वगैरह साफ़ किए जाएंगे ताकि असली सतह दिखे। सभी टूटे हुए किनारे, दरारें, ढीला प्लास्टर और लहरदार सतह को या तो पैच प्लास्टर वर्क या प्लास्टर ऑफ़ पेरिस से ठीक किया जाएगा ।

सभी सामग्री जैसे, सूखा डिस्टेंपर, तेल से बंधा डिस्टेंपर, तेल पेंट, फ्लैट तेल पेंट, सिंथेटिक इनेमल रँगना, प्लास्टिक पायसन रँगना, सीमेंट प्राइमर, लाल नेतृत्व करना और अन्य प्राइमरों और

मेटैलिक पेंट संबंधित IS स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार होने चाहिए और अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर्स से ही लिए जाने चाहिए। सभी पेंट्स को रेडी मिक्स्ड फॉर्म में सीलबंद थिन्स में साइट पर लाया जाना चाहिए और अगर मैन्युफैक्चरर्स ने रिकमेंड किया हो, तो थिनर मिलाकर सीधे लगाया जाना चाहिए।

सफेदी :

सफेद गम को मौके पर ही बुझाए हुए चूने से बनाया जाएगा, जिसमें पतला क्रीम बनाने के लिए काफ़ी पानी मिलाया और हिलाया जाएगा। इसे 24 घंटे के लिए रखा रहने दिया जाएगा और साफ़ कपड़े से छान लिया जाएगा। हर क्यूबिक मीटर क्रीम में चार kg गोंद गर्म पानी में घोलकर मिलाया जाएगा (115 gm प्रति cft)।

ज़रूरी सफ़ेदी के लिए नीला रंग मिलाया जाएगा। क्रीम बनाने में लगभग पाँच लीटर पानी प्रति kg चूने में मिलाया जाएगा।

व्हाइट वॉश को फ्लैट ब्रश या स्प्रे पंप का इस्तेमाल करके तय कोट में लगाया जाएगा। हर कोट को सूखने दिया जाएगा, उसके बाद अगला कोट लगाया जाएगा। अगर एक जैसी और स्मूद फिनिश पाने के लिए बताए गए कोट के अलावा और कोट लगाने की ज़रूरत हो, तो यह बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के लगाया जाएगा।

तैयार सूखी सतह पर दरार या छिलने के कोई निशान नहीं दिखने चाहिए और न ही रगड़ने पर यह हाथ से आसानी से निकलनी चाहिए।

अगर आर्किटेक्ट्स के कहने पर, लगाने से पहले चॉक और ग्लू का एक कोट लगाया जाएगा। बिना किसी एक्स्ट्रा कीमत के सफ़ेद / कलर वॉश।

कलरवॉश :

कलर वॉश को व्हाइट वॉश में चूने से प्रभावित न होने वाले मिनरल कलर मिलाकर तैयार किया जाएगा । जब तक कलर वॉश का सैंपल ज़रूरी रंग का न हो जाए, तब तक कोई कलर वॉश नहीं किया जाएगा। या शेड को आर्किटेक्ट से अप्रूवल मिल गया है।
रंग धोना करेगा होना लागू जैसा निर्दिष्ट अंतर्गत सफ़ेद धोना।

सूखा डिस्टेंपर :

छाया करेगा होना प्राप्त अनुमत से आर्किटेक्ट्स पहले आवेदन का डिस्टेंपर।

सतह को पहले बताए गए तरीके से तैयार किया जाएगा। अप्रूव्ड प्राइमर या साइज़िंग का इस्तेमाल करके प्राइमर कोट लगाया जाएगा। मैन्युफैक्चरर के निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया डिस्टेंपर लगाया जाएगा और अगला कोट लगाने से पहले हर कोट को सूखने दिया जाएगा। तैयार सतह पर रगड़ने पर चाकिंग नहीं होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए और उस पर ब्रश के निशान नहीं होने चाहिए। अगर और कोट की ज़रूरत हो, तो वे बिना किसी एक्स्ट्रा कीमत के दिए जाएंगे।

तेल अवश्यंभावी डिस्टेंपर :

सतह को ऊपर बताए गए तरीके से तैयार किया जाएगा। सीमेंट प्राइमर या किसी अप्रूव्ड डिस्टेंपर प्राइमर का प्राइमर कोट लगाया जाएगा।

बाद भजन की पुस्तक परत है सूखे, सतह करेगा होना हलकी हलकी रेत कागज़ से ढका हुआ और झाड़ा चिकना करने के लिए डिस्टेंपर प्राप्त करना।

डिस्टेंपर को बनाने वाली कंपनी के निर्देशों के अनुसार और मंज़ूर शेड के हिसाब से तैयार किया जाना चाहिए। इसे तय कोट में लगाया जाना चाहिए, और ध्यान रखें कि अगले कोट लगाने से पहले हर कोट सूख जाए।

जलरोधक सीमेंट रँगना / सैंडटेक्स मैट रँगना :

सतह को ऊपर बताए गए तरीके से तैयार किया जाएगा और वॉटर-प्रूफ सीमेंट पेंट लगाने से पहले उसे साफ पानी से अच्छी तरह गीला किया जाएगा।

पेंट को पूरी तरह से मैन्युफैक्चरर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से और इतनी मात्रा में तैयार किया जाना चाहिए कि मिक्स करने के एक घंटे में इस्तेमाल हो जाए, नहीं तो मिक्सचर जम जाएगा और गाढ़ा हो जाएगा, जिससे फ्लो और फिनिश पर असर पड़ेगा।

इस तरह तैयार पेंट को ब्रश या स्प्रेइंग मशीन से साफ और गीली सतह पर लगाया जाएगा। समाधान करेगा होना हिलाते रहे दौरान अवधि इसे बिल्डिंग की उस सतह पर लगाया जाएगा जो छायादार तरफ हो ताकि सतह पर सूरज की सीधी गर्मी न पड़े। पूरी सतह पर पानी डालना चाहिए। दिनों का काम। कोट की संख्या आइटम में बताई जाएगी।

अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर का बिटुमेन 80/100 पेनेट्रेशन, 177 से 190 C. (350 से 375 F) के टेम्परेचर पर गरम किया जाएगा, फिर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटर या हैंड-स्प्रे से 12.5 kg. / 10 sqm की दर से सड़क की सतह पर बराबर लगाया जाएगा ।

सामग्री परीक्षा सूची

कॉन्ट्रैक्टर्स को कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल होने वाले इन मटीरियल या किसी दूसरे मटीरियल के लिए, जो लागू हो, IS कोड के हिसाब से ज़रूरी मटीरियल टेस्ट अपने खर्च पर करवाना होगा, समय-समय पर या जब आर्किटेक्ट / कंसल्टिंग इंजीनियर कहें।

मटीरियल का टेस्ट IS स्टैंडर्ड के हिसाब से किसी अप्रूव्ड लैबोरेटरी में करवाना चाहिए और टेस्ट रिपोर्ट की डुप्लीकेट कॉपी आर्किटेक्ट के ऑफिस में जमा करनी चाहिए।

1) रेत : ए) गाद सामग्री।
बी) बल्किंग.
सी) कण आकार डिस्ट्रीब्यूशन। या
डी) जैसा बताया गया है।

2) स्टोन एग्रीगेट : ए) कोमल और हानिकारक सामग्री।
बी) पार्टिकल साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन।

3) सीमेंट ठोस आरसीसी मिक्स : ए) मंदी. डिज़ाइन b) क्यूब स्ट्रेंथ. या जैसा
सी) प्रति है 456-2000

4) ईंटें : ए) DIMENSIONS
b) पानी अवशोषण और प्रदाह।
c) संपीड़न ताकत।

5) लकड़ी : नमी।

6) सिरेमिक/विट्रिफाइड ज़मीन टाइलें : a) अनुप्रस्थ ताकत।
b) पानी सोखना।

c) घर्षण परीक्षा।

7) स्टील : a) तन्य
: b) झुकना.

टिप्पणी : ठेकेदार इच्छा पास होना को लेना ज़रूरी सामग्री परीक्षा अन्य बजाय ऊपर परीक्षा संबंधित IS कोड के अनुसार, यदि आवश्यक हो और आर्किटेक्ट / मालिक के निर्देशानुसार।

सामग्री परीक्षण

अलग-अलग बिल्डिंग मटीरियल पर टेस्ट करने के लिए तय समय और मात्रा दिखाने वाला एक चार्ट दिया गया है। कृपया पक्का करें कि टेस्ट हमारे हिसाब से किए जाएं। ऊपर दिए गए गाइडलाइंस के अनुसार। कॉन्ट्रैक्टर के रेट में ज़रूरी खर्च शामिल होना चाहिए निम्नलिखित परीक्षणों के नमूनों के परिवहन सहित परीक्षण।

नहीं	सामग्री	परीक्षा	परीक्षा प्रक्रिया	न्यूनतम मात्रा	आवृत्ति
1	रेत	a) गाद सामग्री बल्किंग b) कण आकार वितरण c)	मैदान मैदान मैदान	20 वीर्य 20 वीर्य 40 वीर्य	20 वीर्य या उसका हिस्सा --- करना -- - प्रत्येक 40 वीर्य आवश्यक के लिए RCC का काम।
2	पत्थर	a) नरम और हानिकारक b) कण आकार वितरण	है - 2336 भाग – द्वितीय मैदान	45 सह.	आवश्यकता अनुसार। हर 45 सह उस के भाग के लिए RC काम। बाकी काम के लिए इच्छित।
3	सीमेंट या कंक्रीट आरसीसी	मंदी घन शक्ति	मैदान / क्षेत्र प्रयोगशाला	20 वीर्य स्लैब, बीम और जुड़े हुए स्तंभ 5 कॉलम में सह	एक बार ए दिन या इच्छा नुसार। प्रत्येक 20 सह का ए दिन ठोस।

					प्रत्येक 5 सह स्तंभ ठोस।

4	इस्पात	ए) लचीला ताकत	है - 1529	20 टन	प्रत्येक 20 टन या हिस्सा।
		बी) झुकना ताकत	---- करना --- -	---- करना --- -	---- --- - करना
5	नींबू	चूने के केमिकल और फिजिकल गुण।	है - 6932	5 मीट्रिक टन	10 मीट्रिक टन या उसका हिस्सा
नहीं	**सामग्री**	**परीक्षा**	**परीक्षा प्रक्रिया**	**न्यूनतम मात्रा**	**आवृत्ति**
	ईंटों	DIMENSIONS जल अवशोषण एफ़्लोरेंस संपीड़न शक्ति		पद का नाम 100 75) 50) 40,000 35) --- करना --- 100- 40,000 75) 50) 100,000 35)	प्रत्येक 40,000 या भाग हर 100,000 या भाग उसमें से एक परीक्षा के लिए के स्रोत 40,000 या भाग उसका। दो परीक्षण के लिए 1 सेंट बहुत का 40,000 और एक परीक्षण बाद के लिए प्रत्येक 40,000 और उसका हिस्सा।
7	ईंट टाइलें	संपीड़न ताकत फूलना		40,000 40,000	40,000 के लिए या भाग। एक परीक्षा प्रति स्रोत।
8	संगमरमर	नमी अवशोषण एमहोस स्केल कठोरता	है - 1124 - 1974 है - 1706 - 1972	रु.10,000/- कीमत	रु . 10,000/- या भाग उसका। (कीमत)
9	लकड़ी	नमी	है - 11215 - 1985	1 सह.	सब लोग सह और भाग।

10	अल्युमीनियम दरवाजा या खिड़की फिटिंग	एनोडिक कोटिंग की मोटाई।	है – 5523 – 1969	रु . 5,000/-	रु . 10,000/- या उस का भाग।

11	चीनी मिट्टी टाइलें / विट्रिफ़ाई टाइल्स / डिज़ाइनर प्रीकास्ट कंक्रीट टाइलें और इंटरलॉकिंग पक्की सड़क करनेवाला अवरोध पैदा करना	a) अनुप्रस्थ शक्ति b) पानी अवशोषण c) घर्षण परीक्षा	है – 1237 --- करना -- - --- करना -- -	200 टाइलें --- करना -- - --- करना -- -	2000 टाइलें या भाग। --- करना -- - --- करना -- -
12	फ्लश दरवाजा	a) विसर्जन समाप्त करें b) चाकू c) आसंजन	है – 2207	22 – 65 66 – 100 101 – 180 181 – 300 301 – 500 501 – ऊपर	विनाशकारी परीक्षण नहीं। शटर का . 1 2 2 3 4 5

नहीं	सामग्री	परीक्षा	परीक्षा प्रक्रिया	न्यूनतम मात्रा	आवृत्ति
13	टार फेल्ट टाइप- 3 श्रेणी - मैं	अनुरूप को है 1322 - 1970			एक परीक्षा
14	सुअर का सीसा	है 782 - 1978			एक परीक्षा
15	आरसीसी डिज़ाइन मिक्स एम- 25	सभी परीक्षा जैसा प्रति आईएस:456- 2000		के अनुसार निर्देशित	के अनुसार निर्देशित

टिप्पणी ठेकेदार को ऊपर दिए गए टेस्ट के अलावा ज़रूरी मटीरियल टेस्ट भी करवाना होगा। ऊपर बताई गई सामग्री के लिए IS कोड के अनुसार या ऊपर बताई गई सामग्री के अलावा, अगर ज़रूरी हो और आर्किटेक्ट / मालिक के निर्देशानुसार।

विशेष विवरण के लिए स्वच्छता, नलकारी और जल आपूर्ति स्थापना कार्य

सामान्य अनुभाग – ए

कार्य के दायरे में प्रस्तावित सिविल/बाहरी कार्यों के लिए सैनिटरी प्लंबिंग, जल आपूर्ति और जल निकासी वस्तुओं की आपूर्ति और स्थापना, पेंटिंग, आंतरिक और विद्युत कार्य शामिल हैं निर्माण का आरएसईटीआई नागांव में बिल्डिंग , धुले में अनुसार साथ ड्राइंग और संबंधित IS कोड स्पेसिफिकेशन।

अनुबंध :

कॉन्ट्रैक्ट का फ़ॉर्म "Conditions of Contract" प्रिंटेड फ़ॉर्म के अनुसार होगा। नीचे दिया गया क्लॉज़ कॉन्ट्रैक्टर की ज़िम्मेदारी का एक्सटेंशन माना जाएगा, न कि उसकी लिमिटेशन।

चित्र :

सभी ज़रूरी ड्राइंग बोर्ड पर लगाई जाएंगी और रैक में रखी जाएंगी और उन्हें इंडेक्स किया जाएगा; नहीं ड्रॉइंग रोल किए जाएंगे।

आयाम:

सभी मामलों में, स्केल किए गए साइज़ के बजाय फिगर्ड डाइमेंशन को प्राथमिकता दी जाएगी। बड़े स्केल की डिटेल्स को छोटे स्केल की ड्राइंग से पहले रखा जाएगा। किसी भी अंतर के मामले में, कॉन्ट्रैक्टर काम शुरू करने से पहले आर्किटेक्ट से स्पष्टीकरण मांगेंगे।

ठेकेदार को निरीक्षण साइट :

कॉन्ट्रैक्टर को काम की जगह पर जाकर जांच करनी चाहिए और मौजूदा सड़कों और आने-जाने के दूसरे तरीकों और काम से जुड़ी दूसरी डिटेल्स और लोकल हालात और सुविधाओं के बारे में खुद को खुश करना चाहिए, ताकि काम को पूरा करने में असर डालने वाली सभी बातों पर अपनी जानकारी ले सके। अगर इनमें से किसी भी पॉइंट पर कोई गलतफहमी या गलत जानकारी या कम जानकारी होने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा।

सेटिंग बाहर :

ठेकेदार को तय करना जल निकासी, मिट्टी, अपशिष्ट और पानी की पाइप लाइनें और अन्य आर्किटेक्ट के प्लान और निर्देशों के अनुसार फिटिंग और फिक्स्चर। ऊपर बताई गई बातों के सही होने के लिए कॉन्ट्रैक्टर ज़िम्मेदार होगा और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के क्लॉज़ में बताए अनुसार किसी भी गलती को अपने खर्चे पर ठीक करना होगा। वह साइट पर जाने से पहले उसका लेवल लेने और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के उसे रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए ज़िम्मेदार होगा।

काम कार्यक्रम :

कॉन्ट्रैक्टर को यह नहीं करना चाहिए कि काम आम बिल्डिंग का काम पूरा होने से पहले ही पूरा हो जाए और कॉन्ट्रैक्टर को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि काम बनने और पूरा होने के बाद उसमें कोई नुकसान या टूट-फूट न हो। सैनिटरी और पानी सप्लाई का काम इस तरह से प्रोग्राम किया जाएगा कि यह आम कंस्ट्रक्शन या दूसरे कामों में रुकावट न डाले।

मीट्रिक साइज़ में सामग्री उपलब्ध न होने की स्थिति में, आर्किटेक्ट से पूर्व अनुमोदन के बाद एफपीएस इकाइयों में निकटतम साइज़ उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए न तो अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा और न ही कोई अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। कोई भी रिबेट वापस नहीं लिया जाएगा।

अगर कहा जाए, तो मटीरियल का टेस्ट किसी भी मंज़ूर टेस्टिंग लैबोरेटरी में किया जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर को टेस्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल रूप में आर्किटेक्ट को देना होगा और पूरा चार्ज देना होगा। ओरिजिनल और बार-बार होने वाले टेस्ट का खर्च कॉन्ट्रैक्टर उठाएगा। अगर आर्किटेक्ट्स चाहें, तो कॉन्ट्रैक्टर काम के कुछ हिस्सों को अपने खर्च पर टेस्ट करने का इंतज़ाम करेगा ताकि यह साबित हो सके कि वे ठीक हैं और काम करने में कुशल हैं। अगर ऐसे किसी टेस्ट के बाद, आर्किटेक्ट्स की राय में, काम या काम का कोई हिस्सा खराब या ठीक नहीं पाया जाता है, तो कॉन्ट्रैक्टर उसे अपने खर्च पर गिराकर दोबारा करवाएगा। खराब सामान को साइट से हटा दिया जाएगा।

यह अनिवार्य होगा के लिए ठेकेदार को प्रस्तुत सर्टिफिकेट, अगर मांगा जाए द्वारा वास्तुकार, मैन्युफैक्चरर या मटीरियल सप्लायर से, कि काम उनके मटीरियल का इस्तेमाल करके किया गया है और उनकी सलाह के अनुसार इंस्टॉल/फिक्स किया गया है।

सीमेंट :

सीमेंट करेगा अनुपालन करना में प्रत्येक आदर साथ मांग का नवीनतम प्रकाशन आईएस : 269 और जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का उपयोग किया जाएगा।

सीलबंद बैग में सीमेंट का वज़न 50 माना जाएगा। किलोग्राम , जो आयतन में 35 लीटर (1.2 सीएफटी) के बराबर है ।

सीमेंट को वेदर-प्रूफ शेड में स्टोर किया जाना चाहिए, जिसमें लकड़ी के ऊंचे फर्श हों, ताकि नमी या बाहरी चीज़ों के अंदर आने से खराब होने से बचाया जा सके।

रेत :

नदी की रेत साफ और मुक्त होगी नमक, मिट्टी, सीपियों और सब्ज़ियों से बना और आर्किटेक्ट्स की राय में इस्तेमाल के लिए सही।

खुरदुरा सकल :
मोटा एग्रीगेट एंगुलर, सख्त, नुकीला और अच्छी ग्रेड वाला पत्थर का मेटल होना चाहिए जो मंज़ूर सोर्स से आया हो। यह साफ़ होना चाहिए और इसमें कोई बाहरी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर कहा जाए तो सामान को धोया जाएगा।
ईंटें :

ईंटें आस-पास मिलनी चाहिए और मंज़ूर क्वालिटी की होनी चाहिए, अच्छी तरह पकी होनी चाहिए, उनमें दरारें, चिप्स, खामियां और पत्थर नहीं होने चाहिए। सूखने पर यह अपने वज़न का 20% से ज़्यादा पानी नहीं सोखेगी।

सीमेंट मोर्टार :

सीमेंट मोर्टार, शेड्यूल ऑफ़ क्वांटिटीज़ में खास आइटम में बताए गए अनुपात का होगा। रेत को सही मापने वाले बॉक्स में मापा जाएगा और सही मात्रा में सीमेंट मिलाया जाएगा। मटीरियल को एक साफ़ प्लेटफ़ॉर्म पर सूखा मिलाया जाता है। फिर साफ़ पानी डालकर अच्छी तरह मिलाया जाता है। इसे इतनी मात्रा में तैयार किया जाएगा कि आसानी से इस्तेमाल हो सके। जो मोर्टार थोड़ा जम गया है, उसे किसी भी हालत में और मटीरियल या पानी मिलाकर दोबारा नहीं मिलाया जाएगा।

मैं। निकासी (आंतरिक और बाहरी) स्टोनवेयर पाइप और फिटिंग :

करेगा अनुपालन करना आईएस:651 प्रत्येक सम्मान और सभी स्टोनवेयर पाइप, बेंड, नाली जाल और सीवर ट्रैप सबसे अच्छी सॉल्ट ग्लेज्ड वैरायटी के होने चाहिए, जो अंदर और बाहर दोनों तरफ से ग्लेज्ड हों, हार्ड, स्मूद, एक जैसे, टेक्सचर वाले हों, जिनमें आग लगने की दरारें, झटके और छाले न हों। पाइप क्रॉस सेक्शन में पूरी तरह गोल, बिल्कुल सीधे और स्टैंडर्ड नॉमिनल डायमीटर, लंबाई और सॉकेट की गहराई के होने चाहिए।

खज़ाना खजाना :

अगर खुदाई के दौरान या काम करते समय कोई खजाना, फॉसिल्स, मिनरल्स या एंटीक काम मिलता है, तो कॉन्ट्रैक्टर को ऐसी किसी भी खोज की तुरंत जानकारी आर्किटेक्ट्स को देनी होगी और ऐसी खोज को एम्प्लॉयर को सौंपना होगा।

पहुँच के लिए निरीक्षण :

कॉन्ट्रैक्टर को काम के चलने और मेंटेनेंस के समय के दौरान, आर्किटेक्ट या उनके प्रतिनिधियों को काम के इंस्पेक्शन या मेज़रमेंट के लिए हर समय सही सुविधाएं और ज़रूरी अटेंडेंस देनी होगी।

पानी आपूर्ति :

पानी करेगा होना व्यवस्था की में अनुसार साथ धारा नहीं। 56 का विशेष स्थितियाँ का अनुबंध।

इलेक्ट्रिक आपूर्ति :

बिजली की व्यवस्था कॉन्ट्रैक्ट की स्पेशल शर्तों के क्लॉज़ नंबर 57 के अनुसार की जाएगी।

वाउचर :

कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट के कहने पर उन्हें वाउचर देगा ताकि यह साबित हो सके कि सामान बताए गए तरीके से है और यह भी बताया जा सके कि सामान किस रेट पर खरीदा गया है, ताकि उन नॉन-टेंडर आइटम का रेट एनालिसिस किया जा सके जिन्हें करने के लिए उसे कहा जा सकता है।

अनुभाग – बी

काम करता है को अनुपालन करना स्थानीय विनियम और दर को शामिल करना :

1) सभी स्वच्छता प्रतिष्ठान, जल आपूर्ति और जल निकासी कार्य स्थानीय नगरपालिका उपनियमों और/या स्थानीय निकायों के नियमों और विनियमों के अनुरूप होंगे और कार्य अधिकार क्षेत्र वाले अलग-अलग अधिकारियों द्वारा जांचा और पास किया जाएगा।

2) काम करेगा होना ले जाया गया बाहर के माध्यम से ए लाइसेंस प्लंबर।

3) कॉन्ट्रैक्टर पानी और ड्रेनेज कनेक्शन लेने के लिए लोकल म्युनिसिपल और/या पब्लिक अथॉरिटीज़ से इंतज़ाम करेगा और एम्प्लॉयर रसीद दिखाने पर परमानेंट कनेक्शन चार्ज वापस करेगा।

4) कॉन्ट्रैक्टर को अपने अधिकार क्षेत्र वाली अलग-अलग अथॉरिटी से सभी ज़रूरी परमिशन फ़ॉर्म लेने होंगे और परमिशन लेने और काम को ठीक से पूरा करने के लिए ज़रूरी सभी प्लान अप्लाई करने होंगे और फाइल करने होंगे।

5) दिए गए रेट पूरी चीज़ों के लिए होंगे, जैसा कि जगह पर तय है और इसमें मटीरियल, लेबर , टूल्स, सुपरविज़न, छेद काटने, चेज़ वगैरह का सारा खर्च शामिल होगा, और साथ ही क्लैम्प, ब्रैकेट, लकड़ी के ब्लॉक वगैरह जैसे इंतज़ाम देने और लगाने का भी खर्च शामिल होगा। रेट इसमें सैनिटरी इंस्टॉलेशन, पानी की सप्लाई और ड्रेनेज को ठीक करने के प्रोसेस के दौरान दीवारों, फर्श वगैरह को हुए सभी नुकसान को ओरिजिनल कंडीशन में ठीक करना भी शामिल होगा। प्लंबर की खुदाई वगैरह का सारा मलबा बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के हटा दिया जाएगा।

6) सभी CI पाइप, ब्रैकेट, CI सिस्टर्न, GI पाइप और फिक्स्चर, MS फिक्स्चर, AC पाइप और फिटिंग को बाहर से अप्रूव्ड प्राइमर के एक कोट और इनेमल / फ्लैट ऑयल पेंट के दो कोट से पेंट किया जाएगा। पेंटिंग का सारा काम पूरी तरह से किया जाएगा

की संतुष्टि आर्किटेक्ट्स. अगर निर्देश दिया जाए, तो अतिरिक्त कोट पेंट का होगा के लिए आवेदन किया बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के एक जैसी और मैचिंग फिनिश पाएं।

7) बिल्डिंग के अंदर, सभी पाइप, चाहे कास्ट आयरन लेड के हों या GI के, आर्किटेक्ट के कहने पर दीवारों या फर्श में बने छेदों में मंज़ूर तरीके से लगाए जाएंगे। प्लंबर दीवारों वगैरह में ज़रूरी छेद करेंगे और उन्हें पहले जैसी हालत में वापस लाएंगे।

8) सभी जल आपूर्ति और स्वच्छता फिक्स्चर, पाइप और पाइप फिटिंग, ट्रैप वगैरह, जिन्हें कंक्रीट या मेसनरी के काम या दूसरे बिल्डिंग के काम में लगाना है, उन्हें कंक्रीट डालते समय या ईंट का काम करते समय सही जगह पर रखा जाएगा और लगाया या छिपाया जाएगा। अगर कंक्रीट, मेसनरी, या दूसरे स्ट्रक्चरल या कंस्ट्रक्शन के काम को काटना या चेज़ करना ज़रूरी हो, तो ऐसी फिटिंग, पाइप लाइन और ट्रैप वगैरह की जगहों को सही तरीके से मार्क किया जाएगा और कंस्ट्रक्शन के काम को काटना, चेज़ करना या उसमें रुकावट डालना, आर्किटेक्ट की मंज़ूरी के बाद ही किया जाएगा।

9) किसी भी प्लास्टरिंग, टाइलिंग या फिनिशिंग का काम शुरू होने से पहले सभी कटिंग, चेज़िंग और फिक्सिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा।

10) जब तक कुछ और न बताया गया हो, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप और पाइप फिटिंग मीडियम क्वालिटी की होंगी और IS: 1239 के हिसाब से होंगी और आर्किटेक्ट के कहने पर उन्हें टेस्ट किया जाएगा।

11) कॉन्ट्रैक्टर पूरे प्लंबिंग सिस्टम के ठीक से काम करने और काम करने की क्षमता के लिए ज़िम्मेदार होगा और अगर उसकी राय में, ड्राइंग में दिखाए गए सिस्टम पर उसे कोई गंभीर आपत्ति है, तो वह उस सिस्टम के ठीक से काम करने और काम करने को पक्का करने के लिए अपनी आपत्ति या अपने सुझाव बताएगा और काम शुरू करने से पहले आर्किटेक्ट को बताएगा।

12) काम के चलने के दौरान और एम्प्लॉयर द्वारा फाइनल मंज़ूरी मिलने तक, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर द्वारा काम के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल के लिए काम की जगह पर पहुंचाया गया कच्चा माल भी शामिल है, काम की पूरी ज़िम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की होगी और उसी के इंचार्ज और देखभाल में होगी और उसके रिस्क पर होगी। एम्प्लॉयर द्वारा काम की फाइनल मंज़ूरी से पहले ऐसे सामान या काम को कोई भी नुकसान या क्षति होने पर कॉन्ट्रैक्टर को तुरंत अपने खर्चे पर उसे बदलना होगा।

अनुभाग – सी

<u>सामग्री</u> : (एएस प्रति बिल का मात्रा जुड़ा हुआ)

1) मटीरियल सबसे अच्छी अप्रूव्ड क्वालिटी का होना चाहिए और जब तक कुछ और न बताया गया हो, वे संबंधित इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के अनुसार होंगे।

2) ऑर्डर देने से पहले सभी मटीरियल के सैंपल अप्रूव करवा लें और अप्रूव्ड सैंपल आर्किटेक्ट के पास जमा किए जाएंगे।

3) अगर मीट्रिक साइज़ में सामान उपलब्ध नहीं है, तो FPS यूनिट में सबसे पास का साइज़ आर्किटेक्ट की पहले से मंज़ूरी लेकर दिया जाएगा, जिसके लिए न तो ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे और न ही कोई रिबेट लिया जाएगा।

4) अगर कहा जाए, तो मटीरियल का टेस्ट किसी भी मंज़ूर टेस्टिंग लैबोरेटरी में किया जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर को टेस्ट सर्टिफ़िकेट ओरिजिनल रूप में आर्किटेक्ट को देना होगा और पूरा चार्ज देना होगा। के लिए मूल जैसा कुंआ जैसा दोहराया गया परीक्षण करेगा होना जनित द्वारा ठेकेदार। अगर

ज़रूरत के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्टर काम के कुछ हिस्सों को टेस्ट करने का इंतज़ाम करेगा। अपनी मज़बूती और कुशलता साबित करने के लिए उन्होंने अपनी लागत लगाई।

अगर ऐसे किसी टेस्ट के बाद, आर्किटेक्ट की राय में, काम या काम का हिस्सा खराब या ठीक नहीं पाया जाता है, तो कॉन्ट्रैक्टर उसे गिरा देगा और अपने खर्च पर दोबारा काम करेगा। खराब सामान को साइट से हटा दिया जाएगा।

5) अगर आर्किटेक्ट मांगे तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए मैन्युफैक्चरर या मटीरियल सप्लायर से यह सर्टिफिकेट देना ज़रूरी होगा कि काम उनके मटीरियल का इस्तेमाल करके किया गया है और उनकी सलाह के हिसाब से लगाया/फिक्स किया गया है।

तरीका का माप

सामान्य:

बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ में हर आइटम का ब्यौरा उसके मटीरियल और काम के स्पेसिफिकेशन्स के साथ पढ़ा जाएगा और जब तक कुछ और न कहा गया हो, इसमें ज़रूरी ट्रांसपोर्टेशन और डिलीवरी, हैंडलिंग, अनलोडिंग, स्टोरिंग, फैब्रिकेशन, होइस्टिंग, लोअरिंग, ज़रूरी शेप और साइज़ में फिनिशिंग के लिए सारी लेबर , सेटिंग, फिटिंग और पोजिशन में फिक्सिंग, स्ट्रेट कटिंग और वेस्ट और दूसरे इंसिडेंटल ऑपरेशन शामिल माने जाएंगे। कोई भी आइटम जो नीचे उल्लिखित वस्तुओं को संबंधित वस्तु के लिए IS 1200 के अनुसार मापा और भुगतान किया जाएगा।

बाहरी जल निकासी:

a) पाइपों को उनके डायमीटर के हिसाब से बांटा जाएगा। माप 2 मैनहोल के अंदर के हिस्सों के बीच पाइपों की सेंटर लाइन के साथ लिया जाएगा। रेट में कटिंग, जॉइंटिंग, टेस्टिंग और कमीशनिंग शामिल होंगे।

b) ड्रेनेज लाइन बिछाने के लिए खाइयों की खुदाई का पेमेंट वॉल्यूमेट्रिक मेज़रमेंट के हिसाब से किया जाएगा। खाई की लंबाई 2 मैनहोल के बाहरी किनारों के बीच उसकी सेंटर लाइन के साथ मापी जाएगी। चौड़ाई खाई के ऊपर और नीचे मापी गई चौड़ाई का एवरेज होगी। गहराई इस तरह निकाली जाएगी खाई में कम से कम 3 जगहों पर गहराई नापकर, और उसका एवरेज निकालकर। अगर ज़मीन ऊबड़-खाबड़ है, तो 3 से ज़्यादा रीडिंग ली जाएंगी। वॉल्यूमेट्रिक माप लंबाई x एवरेज चौड़ाई x एवरेज गहराई से निकाला जाएगा।

c) सिम्पसन रूल का इस्तेमाल करके निकाला जाएगा।

d) मैनहोल, चैंबर, सेप्टिक टैंक की गिनती की जाएगी और नीचे बताए गए नंबर के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा:

1) जब तक कुछ और न कहा गया हो, सभी पाइपों की नेट लंबाई, जिसमें सभी फिटिंग जैसे बेंड, जंक्शन वगैरह शामिल हैं, रनिंग मीटर में मापी जाएगी। लंबाई पाइपों और फिटिंग्स की सेंटर लाइन के साथ ली जाएगी।

2) फिटिंग्स जैसे टैप्स, वाल्व्स, ट्रैप्स वगैरह की लंबाई, जिनका पेमेंट सही आइटम्स के तहत किया जाता है, उन्हें ऊपर बताए गए लाइनर मेज़रमेंट के तहत नहीं मापा जाएगा।

3) मिट्टी के कचरे और वेंट पाइप को स्टैक की सेंटर लाइन के साथ मापा जाएगा, जिसमें WC पैन, नहानी ट्रैप वगैरह से जुड़ने वाले मोड़/टीज़ भी शामिल हैं, और ऊपर बताए गए तरीके से पेमेंट किया जाएगा।

4) WC पैन, लैवेटरी बेसिन, सिंक, ड्रेन बोर्ड, यूरिनल, मिरर, ग्लास शेल्फ, टॉयलेट पेपर होल्डर, को नंबर से मापा जाएगा और हर आइटम के नीचे डिटेल स्पेसिफिकेशन में बताई गई सभी एक्सेसरीज़ शामिल होंगी।

5) जब तक कुछ और न बताया गया हो, सभी तरह के नल, वाल्व वगैरह को नंबर के हिसाब से मापा जाएगा और उसका पेमेंट अलग से किया जाएगा।

6) मैनहोल, इंस्पेक्शन चैंबर, गली ट्रैप वगैरह डिटेल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाए जाएंगे, और उन्हें मापा जाएगा। नंबर और अलग से भुगतान किया। गहराई मैनहोल का अभिप्राय मैनहोल कवर के शीर्ष से मुख्य नाली चैनल के आउटगोइंग इनवर्ट तक की ऊर्ध्वाधर दूरी से है।

7) पानी के मीटर में स्थानीय निकायों द्वारा आवश्यक "वाई" छलनी और अन्य उपकरण शामिल होंगे और इसमें विस्तृत विनिर्देशों के अनुसार ताला लगाने योग्य कवर आदि के साथ ईंट चिनाई कक्ष शामिल होगा और वस्तुओं को संख्या के आधार पर मापा जाएगा और तदनुसार या मात्रा की अनुसूची के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

नियोक्ता / वास्तुकार हस्ताक्षर.

ठेकेदार के हस्ताक्षर।